लोक-सभा वाद-विवाद

शुक्रवार,
२५ नवंबर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

vation Unit
3-5-92
Fumigated
On 15-11-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६--शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक सभा

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

*१९४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कोई नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) आजकल सहारनपुर प्रशिक्षण केन्द्र में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । मद्रास और अम्बाला में दो प्रादेशिक दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र और अम्बाला, पटना और अजमेर में तीन टेलीफून संचालन प्रशिक्षण कक्षायें खोली गई हैं ।

(ख) पोस्टल क्लर्क (डाकीय लिपिक) ७६

आर० एम० एस० सारटर (डाक छांटने वाले)	५६
टेलीफ़ून संचालक	३३
पोस्टल सिगनलर	५६
टेलीग्राफिस्ट (सर्किल सर्विस)	८
परीक्षणाधीन (डाकघरों के अधीक्षक, आई० पी० एस०), (प्रथम वर्ग)	३
कुल	२३२

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन स्कूलों में वे सब विषय पढ़ाये जायेंगे जो कि आर० एम० एम० स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं क्या इस की व्यवस्था की गई है या ऐसा करने में कुछ समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से जैसा प्रकट होगा, ये पूर्ण रूप से विकसित डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं । इसमें केवल टेकनिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जैसे आपरेटर (संचालक), वाएरमैन, मकैनिक (मिस्त्री) ।

सरदार हुक्म सिंह : अन्य क्षेत्रों में सम्पूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा था । वह योजना कब पूरी होने वाली है ?

श्री राज बहादुर : वह योजना उन क्षेत्रों और प्रदेशों के लिये है जो आजकल सहारनपुर प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत नहीं आते । उन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये इमारतें बनाने के लिये अभी हम जमीनों के अर्जन करने का प्रयत्न कर रहे हैं और अन्य कार्यवाही की जा रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : जब यह स्कूल खोला गया था उस समय पहले पहल जो पाठ्यक्रम पुरःस्थापित किया गया था वही अब भी चालू है या उसमें सुधार करने के लिये गत वर्ष कोई और विषय बढ़ाये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि अन्य प्रशिक्षण स्कूलों, प्रशिक्षण संस्थाओं या टेकनिकल संस्थाओं में होता है, पाठ्यक्रम पर लगातार विचार किया जाता है और समय विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये परिवर्तन किये जाते हैं ।

श्री बी० डी० पाण्डे : प्रति वर्ष कितने अफ़सरों और अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : अब तक कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, यह मैं बता सकता हूं । सहारनपुर पोस्टल और आर० एम० एस० प्रशिक्षण केन्द्र में २–४–५१ से लेकर ३१–१०–५५ तक कुल ३,६३५ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है । आजकल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या २३२ है ।

पूर्व एशियाई ग्राम-पुनर्निर्माण सम्मेलन

*१९५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को हाल में टोकियो में होने वाले पूर्व एशियाई ग्राम पुनर्निर्माण सम्मेलन की सिफ़ारिशों की एक प्रति प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन सिफ़ारिशों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन सिफ़ारिशों में से कोई, और यदि हां, तो कौन सी, कार्यान्वित करने का विचार करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) भारत सरकार को अभी तक वह अधिकृत प्रतिवेदन नहीं मिला है जिसमें सम्मेलन की सिफ़ारिशें दी गई हों ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री श्रीनारायण दास : इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस रूप में था ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्मेलन में दो ग़ैर सरकारी प्रतिनिधि भेजे गये थे ।

श्री श्रीनारायण दास : इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में मुख्य मुख्य देशों के नाम क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : चूंकि अभी हमें अधिकृत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः मैं उन देशों के नाम नहीं बता सकता हूं जिन्होंने वास्तव में सम्मेलन में भाग लिया है परन्तु विचार यह किया जाता था कि ये देश भाग लेंगे : अर्थात् बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, हांगकांग, भारत, हिन्देशिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलाया, ओकीनावा, पाकिस्तान, फिलिप्पीन, थाईलैण्ड तथा वियतनाम ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने, वहां से लौटने के बाद भारत सरकार के सामने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी, हां । उन्होंने अपने प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी है ।

तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के लिये स्थान

*१९६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे द्वारा तीन शयन स्थान वाले ऐसे डिब्बे देने का कोई प्रयोग किया गया है जिनमें शयन स्थान इस प्रकार के हों कि ऊपर के शयन स्थान का यात्री अपने स्थान पर बैठ सके ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रयोग किस प्रकार के थे और क्या परिवर्तित शयन स्थानों की जांच की गई थी;

(ग) शयन स्थानों में परिवर्तन करने के लिये क्या बंगलौर और पैराम्बूर के डिब्बों के कारखानों के विशेषज्ञों से सलाह की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं रेलवे के सेन्ट्रल स्टैण्डर्ड्स आफिस में इस बारे में कुछ प्रयोग किये गये हैं ।

(ख) बीच और ऊपर वाले बर्थ में जगह छोड़ने के बारे में फिर आज़माइश की गई है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ). जी, नहीं। इस सिलसिले में यूरोप की रेलों में ऊपर नीचे तीन बर्थ वाले सोने के जो डिब्बे हैं उन पर ग़ौर कर लिया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सोने के लिये तीसरी बर्थ का प्रयोग किया गया है यह किस प्रकार का किया गया है, किसने इसकी देखभाल की और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

श्री शाहनवाज खां : इसकी देखभाल तो रेलवे के अफसरों ने ही की थी । जितने डिज़ाइन बनते हैं उनको सेंट्रल स्टैंडर्ड्स आफिस के अफ़सर, जो कि इस मामले में एक्सपर्ट हैं, बनाते हैं और वही इसकी देखभाल करते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि अगर रेल के डिब्बों के बारे में कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर हो चुका है तो क्या पैराम्बूर कोच फैक्टरी और बंगलौर कोच फैक्टरी में जो डिब्बे बनते हैं उन में समानता और समन्वय लाने की कोशिश की जा रही है ? और यह समन्वय कब तक हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : शायद माननीय सदस्य दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं । एक तो वे कोचेज हैं जो कि आम तौर पर बनते हैं, पैराम्बूर में और दूसरे वर्कशाप्स में भी । वे कोचेज़ तो साधारण होते हैं । वह सब स्लीपिंग कोचेज नहीं होते । माननीय सदस्य का सवाल स्लीपिंग कोचेज के बारे में है । उसमें जो हमने थोड़ी तबदीली की है वह यह है कि अब आप ऊपर की सीट पर बैठ सकते हैं । पहले उस पर आदमी बैठ नहीं सकता था । अब हमने छत और ऊपर की बेंच के बीच में इतनी जगह कर दी है कि एक कोने पर आदमी बैठ भी सकता है । लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कि उसकी वजह से पूरा आराम हो गया है । पूरा आराम तो तभी होगा जब सिर्फ़ दो बेंचेज रहें । लेकिन दो बेंचेज रहने से हमको घाटा होता है । इसी ख्याल से अभी हमने तीन बेंचेज रखी हैं । लेकिन जितना हम आराम दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करते हैं ।

श्री सी० डी० पाण्डे : क्या दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये भी सोने के स्थान की सुविधा दी जायेगी क्योंकि भीड़-भाड़ जितनी तीसरे दर्जे में होती है उतनी ही दूसरे दर्जे में भी होती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : बात यह नहीं । आजकल के दूसरे दर्जे पुराने समय के ड्योढ़े दर्जे वाले डिब्बे हैं जिनमें शयन स्थान नहीं थे । इसलिये आजकल के दूसरे दर्जे में सोने के स्थान की व्यवस्था करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

गवेषणा कार्यक्रम समिति

*१८९. **श्री बर्मन** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवेषणा कार्यक्रम समिति ने पश्चिमी बंगाल में फार्म व्यवस्था अर्थशास्त्र पर गवेषणा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अनुसंधान पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब प्रकाशित होगा ; तथा

(ग) गवेषणा एवं अनुसंधान की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, पश्चिमी बंगाल में फार्म (प्रक्षेत्र) व्यवस्था सर्वेक्षण के प्रथम वर्ष का क्षेत्रीय अनुसंधान पूरा हो चुका है ।

(ख) आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा प्रथम वर्ष के सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की १९५६ के प्रारम्भ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(ग) जांच के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(१) फार्म (प्रक्षेत्र) व्यवस्था अध्ययन से सम्बन्धित परिव्यय लेखा तथा भूपरिमाप रीतियों के आपेक्षिक गुणों का अध्ययन करना ।

(२) विभिन्न तत्वों के संयोग की सापेक्ष दक्षता के अध्ययन की दृष्टि से फार्मों के व्यय-आय सम्बन्धों का अध्ययन करना ।

(३) फसलों के प्रति एकड़ तथा प्रति मन मूल्य का, उनके संवटकों में व्योरे सहित भू-धृतियों तथा मुख्य फसलों आदि के लिये पृथक-पृथक, अध्ययन करना ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि समिति ने पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग का भ्रमण किया है जहां कृषि व्यवस्था की दशा शेष बंगाल से सर्वथा भिन्न है और यदि किया है तो किन किन स्थानों का ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह ऐसी समिति नहीं है ; यह ऐसा अनुसंधान है जो एक स्थान विशेष से सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ पश्चिमी बंगाल के मामले में यह हुगली जिले के चौबीस परगने तक सीमित था ; तथा धान और जूट की फसलों पर विचार किया गया था । यह उन विशेष क्षेत्रों तक सीमित है जो चुने गये हैं ।

श्री बर्मन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति का यह भी एक उद्देश्य था कि आदर्श फार्म की अर्थ व्यवस्था का पता लगाया जाय ; और यदि वह ऐसा था तो क्या समिति ऐसे आदर्श फार्म के क्षेत्र तथा स्थान के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय कर सकी है जो किसी भी मध्य वर्ग के परिवार के लिये उपयुक्त हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : अपने पास पूर्ण प्रतिवेदन न होने के कारण मैं यह नहीं कह सकता कि इस विशेष बात पर अनुसंधान किया गया अथवा नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल से कुछ व्यक्ति फार्म व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजे गये थे और यदि भेजे गये थे, तो क्या उनकी सेवाओं से लाभ उठाया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या किसी भी आदर्श फार्म में जापानी ढंग से चावल की खेती का प्रयोग किया गया है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में क्या वृद्धि हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक किसी भी फार्म में होने वाली खेती का सम्बन्ध है, मेरे पास विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं । परन्तु ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां यह उपयुक्त न पाया गया हो और जहां उत्पादन में ५० प्रतिशत से ५०० प्रतिशत तक की वृद्धि न हुई हो ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस अनुसंधान का विस्तार देश के अन्य प्रदेशों तक भी किया जायेगा क्योंकि खेती के तरीके स्थान-स्थान में भिन्न होते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी, हां, हमने इस कार्यक्रम में छः राज्य लिये हैं जिनमें बम्बई, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं

बाढ़

*१९९. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पेप्सू, दिल्ली उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इस वर्ष बाढ़ तथा अति-वृष्टि से नष्ट हुई फसलों का अनुमित मूल्य क्या है ;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप खाद्य के उत्पादन में कोई कमी पड़ेगी ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र से कितनी सहायता दी गई और विदेशों से कितनी रकम प्राप्त हुई ;

(घ) क्या सरकार ने नष्ट हुये जान, माल तथा पशुओं का अन्दाजा लगाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

श्रीमान् अनुपूरकों के पूछे जाने के पूर्व मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विवरण (१) में वे आंकड़े दिये गये हैं जो हमें राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त हुये हैं । हमने उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है किन्तु यह स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में ये आंकड़े बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिये गये हैं ।

श्री गिडवानी : यदि राज्य सरकारें सही जानकारी नहीं देतीं, तो सही अनुमान का आधार, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्या होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : ये प्रथम प्राक्कलन हैं । हमें विस्तृत प्रतिवेदन और प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुये हैं ।

श्री गिडवानी : सरकार को ठीक ठीक आंकड़े कब तक मिल जाने की आशा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यथा समय ठीक ठीक आंकड़े मिल जाने की आशा है ।

श्री गिडवानी : विवरण के दूसरे भाग में कहा गया है :

"यद्यपि विभिन्न राज्यों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, फिर भी वर्तमान लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछले मौसम के उत्पादन में और चालू मौसम के सम्पूर्ण उत्पादन में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा" ।

विवरण में यह बात किस आधार पर कह दी गई है, जब कि ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्पूर्ण देश में फसलों की हालत देखने के बाद ही यह बात कही गई है ।

श्री बी० के० दास : क्या ऐसे किसी प्राक्कलित क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हुई है जहां बाढ़ के पश्चात् वैकल्पिक फसल उगाने की संभावना हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक सारे ही क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह एक सामान्य प्रश्न है । जिन स्थानों में फसलें बुरी तरह नष्ट हुई हैं,वहां वैकल्पिक फसलों के उगाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता और कोई न कोई फसल अवश्य उगाई जाती है । उदाहरणतः, मान लिया जाये कि गेहूं बोना संभव नहीं है तो पंजाब में जौ बोया जाता है और इसी तरह से अधिकांश स्थानों में भूमि का उपयोग किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को ऐसी शिकायतों की सूचना मिली है कि जिला अधिकारियों ने सहायता के वितरण में ग़ैर कांग्रेसी संस्थाओं के सदस्यों को नहीं मिलाया, यद्यपि तब भी उन सदस्यों ने अपना सहयोग दिया और अब भी वे प्रत्येक प्रकार की सहायता देने को उद्यत हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह एक सामान्य बात है ।

डा० पी० एस० देशमुख : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : बाढ़ के लिये पश्चिमी बंगाल को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पश्चिमी बंगाल को ६६.४२ लाख रुपये का अनुदान और ६८.६७ लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

सरदार इक़बाल सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब में ५०० से १००० गांव तक पूरी तरह से बह गये और क्या सरकार इन ग्रामवासियों को कोई विशेष अनुदान देना चाहती है, ताकि वे उन स्थानों में नये ग्राम बसा सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में नियमों में पर्याप्त उपबन्ध कर दिया गया है । हम ने सहायता के लिये एक नीति निश्चित की है । राज्य सरकारें सहायता देती हैं और उस में जितना भाग देने का हम ने वायदा किया है, उतना हम देते हैं ।

श्री हेमराज : जो आप ने स्टेटमेंट सभा के पटल पर रखा है उस में यह दिया गया है कि पंजाब में एक करोड़ रुपये की प्रापरटी का नुकसान हुआ है, फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का अभी पता नहीं है, लेकिन उस में जो इमदाद दी गई है, वह उस में पंजाब के लिये दर्ज नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब के लिये कोई इमदाद आज तक क्यों नहीं दी गई और यदि दी गई है तो कितनी दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमख : तुरन्त सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । राज्य सरकारों के पास स्वयं अपने संसाधन हैं और किसी भी योजना के अन्तर्गत वे उस में से खर्च कर सकती हैं । कोई भी वित्तीय सहायता देने का प्रश्न तब उठता जबकि राज्य संसाधन अपर्याप्त होंगे । यथासमय लेखे तैयार किये जायेंगे और जो सहायता देने का हम ने वायदा किया है, वह हम देंगे । किसी विशेष राज्य का उल्लेख न होने का यह अर्थ नहीं है कि हम उस राज्य को सहायता नहीं देंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को मालूम है कि अभी हाल में आने वाली बाढ़ों के कारण बड़े बड़े भूमि खण्ड कृषि योग्य नहीं रह गये हैं ? क्या सरकार ने उन खण्डों को कृषियोग्य बनाने के लिये कुछ योजनायें बनाई हैं अथवा क्या सरकार उन लोगों को कोई दूसरी भूमि देने का विचार कर रही है, जिन को इन बाढ़ों से नुकसान पहुंचा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के प्रथम भाग से सहमत नहीं हूं । जहां तक मुझे मालूम है, कोई भी भूमि इतनी बेकार नहीं हुई है, जिस में कृषि नहीं की जा सके । वस्तुतः, फसल इतनी अच्छी नहीं होगी, जितनी कि वह उस पहले की अवस्था में होगी । किन्तु, जहां तक मुझे मालूम है, पंजाब में जिन स्थानों में बाढ़ आई, उनमें से अधिकांश गेहूं अथवा जौ की काश्त के लिये उपयुक्त हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में बीसों ग्राम बह गये हैं और उन के निवासियों के बसने के लिये कोई भी अन्य जगह नहीं है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर रही है कि वह उन गांव वालों के लिये भूमि ले कर दे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । राज्य सरकार ने उस का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

श्री हेमराज : क्या यह सही है कि यह जो बाढ़ देश में आई और जिस बाढ़ में बहुत सारी जगहें बह गई हैं और पंजाब में ऐसे लोग जिन के पास कोई ज़मीन नहीं रही है, उन के लिये सरकार क्या इस किस्म का कोई बंदोबस्त करेगी कि जिन के पास ज़मीनें थीं और जिन की सारी की सारी ज़मीनें बाढ़ के कारण बह गई हैं, उन को ज़मीन देने का बन्दोबस्त हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक यह सवाल हमारे सामने पेश नहीं हुआ है लेकिन सूबे की गवर्नमेंट अगर हम से इस के बारे में पूछेगी तो हम देखेंगे कि हम उन के लिये क्या कर सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पंजाब सरकार ने यह सूचना दी है कि कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से कृषि के अयोग्य नहीं रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पंजाब के विकास मंत्री से जो बात-चीत हुई, उस के आधार पर ही मैं ने अपना उत्तर दिया था और उन्हों ने मुझे बताया कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आई, उस का लगभग ५ या १० प्रतिशत भाग इतना खुश्क नहीं हो पायेगा, जिस से कि वहां गेहूं की खेती की जा सके किन्तु वहां जौ की खेती करना सम्भव हो सकेगा । इस का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि कोई भी स्थान इतना उजड़ गया है कि वहां कोई भी फसल न उगाई जा सके । फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता कि इस की संभावना नहीं है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ५लड कंट्रोल के वास्ते और रिलीफ एड के वास्ते हम कितनी कितनी इमदाद देते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम जो मदद देना चाहते हैं, वह जो हमने नियम बनाये हैं, उस के मुताबिक देते हैं । इस के अलावा प्राइम मिनिस्टर के फंड से और इंडियन पीपल्स फैमिन ट्रस्ट फंड से देते हैं । यू० पी० के प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड से ५ लाख, २७ हजार २०८ रुपये और फैमिन फंड से ३३ हजार रुपये दिये गये हैं । इस के अलावा जो हम और रिलीफ देते हैं, उस का हिसाब मेरे पास नहीं है ।

श्री बी० के० दास : जो खाद्य फसलें तथा अन्य फसलें नष्ट हुई हैं, उन की कीमत के प्रथक प्रथक आंकड़े क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं । मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या सरकार ने एक स्थायी बाढ़ सहायता निधि बनाने की आवश्यकता पर विचार कर लिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे आशा है कि कम-से-कम एक स्थायी रूप की बाढ़ सहायता निधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी । मैं नहीं समझता कि हमेशा बाढ़ें आती रहेंगी ।

श्री सी० टी० ओ० (केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन)

*२०१. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** २४ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छंटनी किय हुए कर्मचारियों को अन्य उपयुक्त स्थानों में लगाने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : २४ अगस्त, १९५५ को लोकसभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर में जो छंटनी करने को कहा गया था, वह अभी तक नहीं की गई है । तब से सी० टी० ओ० तथा अन्य संगठनों के रिक्त स्थानों पर आवश्यकता से अधिक अधिकांश कर्मचारी लगा लिये गये हैं और इसी प्रकार से निकट भविष्य में आवश्यकता से अधिक शेष कर्मचारियों को लगाने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं । यदि इस दिशा म किसी

कठिनाई के कारण कुछ व्यक्तियों को निकालना भी पड़ेगा तो सरकार की सामान्य नीति के अनुसार उन को यथाशीघ्र ही भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों पर खपाने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा ।

डा० सत्यवादी : ऐसे कितने आदमी रह गये हैं जिन के लगाने का सवाल बाकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें अभी ४५ आदमी और रिट्रेंच करने हैं ।

डा० सत्यवादी : क्या यह सही है कि इस स्कीम की आड़ में कुछ मुलाज़िम मुस्तक़िल तौर पर दूसरे सेन्टरों को तब्दील कर दिये गये हैं जिन को कि अभी तीन साल नहीं हुए थे हालांकि आप का रूल ऐसा है कि जब किसी को तीन साल हो जायें तभी उस को तब्दील किया जाय ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह होना सम्भव है, इसलिये कि एक तरफ तो हम रिट्रेंचमेंट करना मुनासिब समझते हैं और हाउस की भी राय है कि फालतू आदमी न रख कर हम उन का रिट्रेंचमेंट कर दें । साथ-ही-साथ ऐसा भी न करें कि वे बेरोज़गार हो जायें । इन सब बातों में हो सकता है चन्द इन्स्टेन्सेज़ ऐसे मिल जायें जिनमें इस तरह के आदमी एक जगह से दूसरी जगह भेजे गये हों ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या जान सकता हूं कि जिन लोगों को रिट्रेंच किया गया है उन में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन को सीनिआरिटी की दृष्टि से नहीं रिट्रेंच न होना चाहिये था ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे ऐसे किसी मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है, किन्तु यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है, तो वे मुझ को अवश्य बतायें ।

सरकारी कर्मचारियों की एक्सरे परीक्षा

*२०४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :—

(क) क्या सामूहिक एक्सरे परीक्षा योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के सारे कर्मचारियों की परीक्षा हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने व्यक्तियों की परीक्षा हुई ;

(ग) कितने लोगों को क्षय रोग या फेफड़ों के अन्य रोगों का रोगी पाया गया है ;

(घ) क्या ऐसी ही पुनःपरीक्षा नियमित रूप से करने का विचार है, और यदि हां, तो कब ; और

(ङ) क्या रक्तचाप के सम्बन्ध में भी ऐसी ही सामूहिक परीक्षा करना वांछनीय समझा जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) योजना के अधीन केवल उन कर्मचारियों की परीक्षा ली गई थी जो दिल्ली और नई दिल्ली में रहते थे और उस समय आये जब उन्हें परीक्षा के लिये बुलाया गया था ।

(ख) ४२,६५४ ।

(ग) यह पता लगा था कि ९४९ व्यक्ति क्षय रोग से और ११२ व्यक्ति फेफड़ों के अन्य रोगों से पीड़ित थे ।

(घ) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ङ) निश्चय ही यह अभिष्ट है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना के अधीन रक्तचाप के लिये अपनी परीक्षा करा सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी, जो भारत के अन्य नगरों में रहते हैं, योजना में सम्मिलित किया जायेगा?

राजकुमारी अमृत कौर : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में फेफड़ों के रोगों तथा अन्य रोगों का प्रभाव भयप्रद है, और यदि हां, तो इन रोगों का प्रभाव और कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह बताने के लिये मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि सरकारी कर्मचारियों में क्षयरोग भयप्रद गति से बढ़ रहा है । स्वभावतः अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना के अधीन उन्हें वह पूर्ण उपचार प्राप्त होगा जिस का उन्हें अधिकार है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन लोगों के लिये कोई अनुवर्ती उपचार बताया जाता है, और यदि हां तो, भारत सरकार उन्हें क्या क्या सुविधायें देती है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जहां तक अनुवर्ती उपचार का सम्बन्ध है, यदि वे क्षयरोग से पीड़ित हो चुके हैं तो उन की समय समय पर परीक्षा की जाती है, और उन्हें आवश्यक उपचार सुविधायें दी जाती हैं ।

बड़े पत्तन

***२०५. चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुछ छोटे पत्तनों को बड़े पत्तन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो, इन पत्तनों का क्या नाम है ;

(ग) उन में से प्रत्येक पर कितना व्यय किये जाने का अनुमान है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). समय समय पर टूटीकोरिन, मैंगलोर या मालपी और उड़ीसा तट पर परादीप के बड़े पत्तनों के विकास के सुझाव दिये गये हैं । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इन योजनाओं सम्बन्धी टेक्नीकल तथा अन्य जांच पड़तालों के लिये व्यय का उपबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) जांच पड़ताल पूर्ण होने पर ही व्यय का अनुमान किया जा सकता है ।

चौ० रघुबीर सिंह : क्या व्यापार प्रयोजनों के लिये ये बड़े पत्तन पर्याप्त हैं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान बड़े पत्तन यातायात के लिये पर्याप्त हैं या नहीं, तो मेरा उत्तर यह है यातायात बढ़ रहा है, परन्तु यह देखते हुए, बड़े पत्तनों के आधुनिकीकरण तथा वहां सुविधाओं में वृद्धि करने की बड़ी योजनायें आरम्भ की गई हैं । हम प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में कार्य करते रहे हैं । यह कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी चलता रहेगा । अतः बड़े पत्तनों की भी क्षमता में वृद्धि होगी, परन्तु फिर भी अन्य पत्तनों का, "जिन्हें मध्यवर्ती पत्तन कहा जा सकता है," विकास करने की गुंजाइश है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या कारण है कि मालपी की अपेक्षा, जहां वर्ष भर काम में आने वाला पत्तन है, मैंगलोर के दावे को स्वीकार किया जाता है, और क्या कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत विकास के लिये कारबार और भकटल के दावों पर विचार नहीं किया जाता है जहां बड़ी सुविधायें हैं ?

श्री अलगेशन : ये सब छोटे छोटे पत्तन हैं जोकि वास्तव में विभिन्न सम्बन्धित राज्यों के प्रशासकीय प्राधिकार में हैं । मैंगलोर और मालपी के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें की गई हैं और इन दो पत्तनों की सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में योजनाओं पर पूरा गवेषणा केन्द्र में आजकल विचार किया जा रहा है तथा प्रयोग किये जा रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मसूलीपट्टम के दावों की उपेक्षा क्यों की गई है ?

श्री अलगेशन : किसी पत्तन के दावों की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है । वास्तविकता यह है कि विभिन्न छोटे छोटे पत्तनों के विकास के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने विस्तृत योजनायें भेजी हैं और उन में से अधिकांश कार्यान्वित किये जाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं ।

रेलवे में कोयले की चोरी

***२०६. श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग ५० मन स्टीम कोयला, जोकि रेलवे का था, हाल ही में फतहगढ़ जिले में मिला है ; और

(ख) वर्ष १९५४ और १९५५ के दौरान में विभन्न रेलों में रेल के कोयले की चोरी के कितने मामले प्रकाश में आये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पुलिस १५ मन कोयले की चोरी की जांच कर रही है ।

(ख) लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस विवरण में उल्लिखित जिन १९२१ मामलों में ये कोयले की चोरी पकड़ी गई उन में कितने परिमाण तथा कितने मूल्य का कोयला अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री शाहनवाज़ खां : १९५४ में रेलवे में कोयले की चोरी के ११९१ मामले हुए और ३० सितम्बर, १९५५ तक ७३१ मामले हुए ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मैं कोयले का मूल्य तथा परिमाण जानना चाहता हूं ।

श्री शाहनवाज़ खां : १९५४ में मात्रा ६८,००३ मन तथा १९५५ में २०,९०४ मन थी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या कोई अभियुक्त गिरफ़्तार किया गया अथवा किसी के विरुद्ध अभियोग चलाया गया या अन्य प्रकार की कार्यवाही की गई ।

श्री शाहनवाज़ खां : कई अपराधी पकड़े गये । वे सभी आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकारी रेलवे पुलिस को सौंप दिये गये ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या इन मामलों में कुछ चोरी गया माल बरामद किया गया और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, निश्चय ही । किन्तु मेरे पास यथार्थ राशि का ब्योरा नहीं है । काफी बड़े परिमाण में कोयला बरामद किया गया ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस रेलवे की चोरी में कितने रेलवे आफिसर्स या कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जहां तक चोरी का मामला है, कोई रेलवे कर्मचारी पुलिस की कार्यवाई से बरी नहीं है । अगर पुलिस औरों पर

कार्यवाही करती है तो रेलवे कर्मचारियों पर भी करती है । लेकिन यह मानना कि सब रेलवे कर्मचारी ऐसा करते हैं, ठीक नहीं है ।

विमान यात्रा का किराया तथा वस्तु भाड़ा

*२०९. **श्री झूलन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान समवायों का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् विमान यात्रा तथा परिवहन के किराये तथा वस्तु भाड़े की दरों में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक में यथार्थतः कितनी वृद्धि हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विमान यात्रा तथा परिवहन के किराये तथा वस्तु भाड़े की दरें, उन के वैज्ञानिकन के निमित्त १५ जुलाई, १९५५ से पुनरीक्षित कर दिये गये हैं । इस के फलस्वरूप कुछ मामलों में किराये में वृद्धि हुई है । कुछ मामलों में किराये में कमी भी हुई है ।

(ख) पूर्ण जानकारी देने वाला एक विवरण शीघ्र ही लोक सभा पटल पर रखा जायेगा ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य मंडल तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सरकार पर इस सम्बन्ध में लांछन लगाने के लिये किये गये जोरदार प्रचार की ओर आकर्षित हुआ है ?

श्री राज बहादुर : सरकार को इस का पता है । किन्तु यह प्रगट है कि विमान समवायों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व आठ समवाय कार्य कर रहे थे । उन की किराये की दरें विभिन्न थीं तथा उन के किराये तथा वस्तु भाड़े की दरों में असंगतियां तथा गलतियां थीं । उन्हें ठीक करना था । क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध यातायात के प्रकार को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही परिवहन की अन्य प्रतियोगी प्रणालियों का विचार कर के सारे प्रश्न का पुनर्विलोकन किया गया तथा उसी के प्रकाश में यह फिर बदल दी गईं ।

श्री झूलन सिंह : क्या किराये तथा वस्तु भाड़े की वृद्धि के फलस्वरूप उसी अनुपात में यात्रियों की सुविधाओं की भी वृद्धि हुई है ?

श्री राज बहादुर : निगम सुविधाओं के सम्बन्ध में, कार्यक्षमता में सुधार तथा वृद्धि करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति : क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल के किराये तथा वस्तु भाड़े में भी इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के समान वृद्धि हुई है ?

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया इंटरनेशनल के किराये आई० ए० टी० ए० द्वारा सम्पादित अभिसमयों द्वारा निश्चित किये जाते हैं तथा उन्हें अपनी दरें उस के अनुसार निश्चित करनी होती हैं । जहां तक अन्तर्देशीय खंड का सम्बन्ध है, उन्हें वस्तु भाड़े की दरें इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के सहयोग से निश्चित करनी होती हैं । इस उद्देश्य से उनकी दरों में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं ।

श्री कासलीवाल : ये परिवर्तित दरें विदेशों में प्रचलित अन्तर्देशीय विमान समवायों की दरों की तुलना में कैसी हैं ?

श्री राज बहादुर : हमारे देश के किराये तथा वस्तु भाड़े की दरें अन्य देशों, उदाहरणस्वरूप अमेरिका और इंगलैंड, में प्रचलित दरों से बहुत कम हैं ।

एक माननीय सदस्य : उन की प्रति व्यक्ति औसत आय भी बहुत अधिक है ।

श्री राज बहादुर : इन मामलों में प्रति व्यक्ति औसत आय का कोई प्रश्न नहीं है । क्योंकि सभी स्थानों में विमान चर्याओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति धनी ही होते हैं । दूसरे, हमारे विमान समवायों, के संचालन का व्यय अमेरिका तथा इंगलैण्ड के संचालन व्यय से कहीं अधिक है ।

चारे के भंडार

*२१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारा आधिक्य क्षेत्रों में चारे के भंडारों की स्थापना करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(ग) यह योजना कब से लागू होगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). घास का संग्रह तथा परिरक्षण करने तथा अकाल के समय उपयोग करने के निमित्त उस का संचय करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से, हैदराबाद राज्य में चारे का भंडार स्थापित करने की एक अग्रिम योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सामान्य वर्ष में २ लाख मन में से जोकि सदैव गोदाम में रहेगा आधी मात्रा बेच दी जायेगी तथा उसी अनुपात में नई घास संग्रह कर ली जायेगी ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ से ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार उन जगहों पर जहां हर साल बाढ़ आती है फाडर जमा करने का विचार कर रही है या रखेगी ताकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के मवेशियों को जरूरत पड़ने पर खाने का चारा मिल सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने बाढ़ की तरफ तो ख्याल नहीं किया है, हम ने ज्यादा तवज्जह इस में उन एरियाज़ की तरफ दी है जहां काफी मरतबा फाडर का फैमीन (चारे का अकाल) पड़ जाता है जैसेकि पंजाब, राजस्थान, अजमेर, गुजरात, सौराष्ट्र और मद्रास, हैदराबाद और आंध्र के कुछ हिस्से ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री जी को पता है कि बिहार में इस साल भयंकर बाढ़ आई है और वहां पर चारे की कमी हो गई थी और मिलता भी नहीं था जिस से कि मवेशियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा । क्या सरकार आगे के लिये सरपलस एरियाज़ से चारा ला कर के वहां जमा करेगी ताकि जब बाढ़ आवे तो वहां मवेशियों के खाने के काम आ सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां जहां भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं या आपत्तियां आती हैं वहां पर चारा देने की हम कोशिश करते हैं । मगर यह जो सवाल है इस को हमने सेकेंड फाइव इयर प्लान में लिया है और कुछ अलग किस्म का है ।

सर्कस प्रदर्शनीकारियों का बीमा

*२११. **श्री वी० पी० नायर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत में चलने वाली सर्कस-कम्पनियां अपने प्रदर्शनकारियों का और विशेष कर एक दिन में कई बार अपनी जान को खतरे में डालने वाले प्रदर्शनकारियों का भी अनिवार्य-बीमा नहीं कराती है ; और

(ख) सर्कस में भयंकर कारनामों में निहित संकटों और खतरों के बदले में पर्याप्त प्रतिकर निश्चित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार निकट भविष्य में कोई इस प्रकार का विधान बनाने का विचार करती है, जिस के द्वारा सर्कस प्रदर्शनकारी उन के स्वामियों द्वारा दी गई बीमे की किश्तों द्वारा रक्षित किये जा सकें, ताकि किसी भी दुर्घटना के हो जाने पर वे अपने शेष जीवन के निर्वाह के लिये पर्याप्त धन प्राप्त कर सकें ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : इस के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय मांगी गई है । हम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम को संशोधित करना और प्रतिकर को इन कर्मचारियों के लिये लागू करना चाहते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि जोखिमपूर्ण कारनामें करते समय अथवा उन का अभ्यास करते समय जब इन व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इन प्रदर्शनकारियों को काम से निकाल दिया जाता है और उस के परिणामस्वरूप उन्हें अपने जीवन के शेष दिन भीख मांग मांग कर व्यतीत करने पड़ते हैं ।

श्री खंडूभाई देसाई : इस के सम्बन्ध में हमें कोई ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार के पास, सर्कस के प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों की मृत्यु को अथवा अंग भंग हो जाने की दुर्घटनाओं को दिखाने वाला कोई अभिलेख है ?

श्री खंडभाई देसाई : जैसाकि मैं ने पहले बताया, हमारे पास इस से सम्बन्ध रखने वाली कोई जानकारी नहीं है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या स्वास्थ्य मंत्री ने अपने हाल ही के चीन के दौरे में, चीन में प्रदर्शनकारियों के सामान्य रूप से संरक्षण के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों, और विशेषकर उन के संरक्षण के लिये प्रयुक्त किये जा रहे यांत्रिक आविष्कारों का अध्ययन किया था ?

श्री खंडूभाई देसाई : श्रम मंत्री से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि उसे स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय के अनुभवों का ज्ञान हो ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३

*२१२. **श्री गोपाल राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९३३ को संशोधित करने की प्रस्थापना क्यों करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२].

श्री गोपाल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३, अब पुराना हो चुका है और हजारों चिकित्सा व्यवसायी इस के क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं, सरकार इस अधिनियम को संशोधित करने वाला विधेयक कब सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने का विचार रखती है ? मैं इस का एक ठोस उत्तर चाहता हूं क्योंकि सरकार ने अक्तूबर १९५३ में यह कहा था कि वह शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेगी । इस के सम्बन्ध में दूसरा आश्वासन अप्रैल, १९५५ में दिया गया था, और तीसरा आश्वासन सितम्बर, १९५५ में दिया गया था । इस प्रकार से सदा वचन भंग किये जाते रहे हैं, और इसीलिये मैं अब एक ठोस उत्तर चाहता हूं ।

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे सभी राज्यों का परामर्श प्राप्त करना था और उन के उत्तरों की प्रतीक्षा करनी थी । अब सभी उत्तर प्राप्त हो चुके हैं । मुझे भारतीय चिकित्सा परिषद् की कार्यपालिका से भी परामर्श प्राप्त करना था और अब उन की स्वीकृत प्रस्थापनायें प्राप्त हो चुकी हैं । मंत्रिमंडल की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है और अब विधेयक विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

श्री गोपाल राव : क्या मैडिकल लाईसेन्सीएटों द्वारा की गई शिकायतों को दूर करने के लिये कोई ठोस उपबन्ध बनाये गये हैं और क्या मैडिकल लाईसेन्सीएटों की अर्हताओं को संविहित रूप से अभिज्ञात करने के बारे में कोई प्रस्थापना है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को इस विधेयक की प्रतीक्षा करनी चाहिये जोकि शीघ्र ही सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है ; विधेयक तैयार किया जा रहा है ।

पर्यटकों के लिये रेल-डिब्बे

*२१३. **श्री राधा रमण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केवल तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये पश्चिमी रेलवे पर पर्यटकों के लिये बड़ी लाइन के कुछ एक रेल-डिब्बे तैयार किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो, उन की संख्या क्या है ;

(ग) उन के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है और उन की विशेषतायें क्या होंगी ;

(घ) क्या वैसे ही डिब्बे अन्य रेलों के लिये भी बनाये जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां तो, तो कब और किस रेलवे के लिये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) दो ।

(ग) ३१-३-१९५६ तक । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ५३**].

(घ) जी, हां ।

(ङ) १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में सभी बड़ी लाइन की रेलों के लिये पर्यटकों के लिये बड़ी लाइन के १७ डिब्बे तैयार करने का उपबन्ध रखा गया है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं पूछ सकता हूं कि पर्यटकों के इन डिब्बों में से प्रत्येक पर कितना खर्च होने का अनुमान है और सरकार इन पर कुल कितनी रकम खर्च कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : बड़ी लाइन पर चलने वाले पर्यटकों के एक डिब्बे पर लगभग १,३३,००० रु० और छोटी लाइन के प्रत्येक डिब्बे पर लगभग १,०१,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

श्री राधा रमण : इन डिब्बों पर कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ? आप ने तो केवल एक डिब्बे की कीमत बताई है ।

श्री शाहनवाज़ खां : मैं ने एक डिब्बे की कीमत बता दी है और माननीय सदस्य को केवल इतना करना है कि इसे १७ से गुणा कर दें ।

श्री राधा रमण : देश में पर्यटन की परिस्थितियों में सुधार करने की सरकार की इच्छा को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि पर्यटकों के इन डिब्बों के उपयोग के सम्बन्ध में क्या कोई विशेष शर्तें हैं ? यदि

हां, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे क्या हैं और क्या इस इच्छा को देखते हुए उन में कुछ छट की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई भी विशेष शर्तें नहीं लगाई गई हैं । केवल एक ही शर्त है कि जो व्यक्ति भी पहला आवेदक है उस का अधिकार पहला है "प्रथम आवेदक, प्रथम पूर्ति" इस सिद्धान्त पर चला जाता है ।

काण्डला पत्तन

*२१४. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में जनवरी से सितम्बर तक काण्डला पत्तन के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कितना खर्च हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जनवरी से सितम्बर १९५५ की अवधि में पत्तन का काम पूरा हो चुका है और तेल कोठार (आइल बर्थ) बनने के करीब है । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जात है । जिसमें विभिन्न मदों पर हुई प्रगति की चर्चा है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) सितम्बर, १९५५ तक ५९८ लाख रुपये खर्च हुये जिन में से जनवरी से सितम्बर, १९५५ की अवधि में खर्च होने वाली रकम १४४ लाख रुपये है ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सत्य है कि निर्माण कार्य लक्ष्य से काफ़ी धीमा है और यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने की कब तक आशा है ?

श्री अलगेशन : मैं ने सभा-पटल पर जो विवरण रखा है उसमें प्रत्येक कार्य की वर्तमान अवस्थिति का वर्णन है, जैसा कि मैंने कहा था प्रमुख वस्तु, बन्दर, बन चुका है और तेल कोठार (आयल बर्थ) लगभग तैयार है । दूसरे कार्यों पर काम हो रहा है । लक्ष्य तिथि १-४-१९५७ निश्चित की गई है और उस तिथि तक वे सभी काम, जो ठेकेदारों द्वारा किये जाने हैं, पूरे कर लिये जायेंगे ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने कोठार (बर्थ) और अवतरणियां तैयार हैं ?

श्री अलगेशन : यह काम भी आजकल किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : कितनी तैयार हो चुकी है ?

श्री अलगेशन : विवरण में यह कहा गया है : "ढांचे गाड़ने (पाइल ड्राइविंग) के कार्य में काफी प्रगति हुई है और...."

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह यह नहीं पूछ रहे ।

श्री अलगेशन : मेरे पास यही जानकारी है । मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : तब उन्हें विवरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं । यदि उनके पास संख्या है तो वह बता सकते हैं ।

श्री आर० एस० दीवान : पश्चिम रेलवे को बड़ी लाइन से मिलाने का क्या सरकार का कोई विचार है ?

श्री अलगेशन : बड़ी लाइन का कोई प्रश्न नहीं है । हम पहले ही एक छोटी लाइन बना चुके हैं ।

डाकखानों में चैक व्यवस्था

*२१५. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन डाकखानों की संख्या क्या है जिनमें डाकखाना बचत बैंक लेखा के लिये चैक व्यवस्था लागू की गई है ; और

(ख) इस व्यवस्था का काम कैसा चल रहा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोई नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि चैक सिस्टम जारी होने वाला है या नहीं, और अगर होने वाला है तो कब से शुरू होगा ?

श्री राज बहादुर : जी, इसको इम्तिहानन बम्बई जी० पी० ओ० में चालू किये जाने की बात है । लेकिन उसके पहले कई जरूरी कदम उठाने होंगे । मिंजुमला उनके नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट के सेक्शन ३ का अमेंडमेंट होना था, और इसके अलावा और भी स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह की बातें थीं । वह फायनेन्स मिनिस्ट्री के जेर गौर है । जब वह पूरा हो जायेगा तब उसे चालू कर दिया जायेगा ।

श्री एम० एन० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जब यह पास हो जायेगा तब भी परीक्षण किया जायेगा या सारे देश के डाकखानों में इसको चालू कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : इसके बारे में एक ऐक्ट तो पिछले अधिवेशन में पास कर दिया गया था और वह इसलिये पास किया गया था कि जो और बैंकों की हिफाजत जरूरी है वह पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक को भी मिल जाय । इसको इम्तिहानन इसलिये चालू किया जायेगा क्योंकि इसमें स्टाफ की ट्रेनिंग की बहुत काफी जरूरत है, और जो लोग इससे फायदा उठायें उनको भी इसके आदी होने की जरूरत है ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८

*२१६. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने १९४८ के न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन कृषि क्षेत्र में नौकरियों के लिए न्यूनतम मजूरी अभी नियत नहीं की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मद्रास, मध्य भारत, सौराष्ट्र, तिरुवांकुर-कोचीन और भोपाल ।

श्री आई० ईयाचरण : क्या मैं जान सकता हूं कि देरी के कारण क्या हैं और इसे शीघ्र ही नियत करने की दिशा में क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री आबिद अली : इस सम्बन्ध में कोई विशेष विलम्ब नहीं हुआ है । क्योंकि क्षेत्र बहुत विशाल है और सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या लगभग ३,४०,००,००० है इस कारण कुछ कठिनाइयां हैं । कुछ राज्य सरकारों ने कुछ कठिनाइयां अनुभव की हैं और वह अधिनियम की इस विशेष उपबन्ध को लागू नहीं कर सके हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया गया है और क्या इस पुनरीक्षण को अब तक प्रकाशित किया गया है ?

श्री आबिद अली : इस का केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पुनरीक्षण किया गया है और इस अधिनियम के कार्यकरण का एक प्रतिवेदन भी श्रम मंत्रालय में पिछले प्रतिवेदन में प्रकाशित किया गया था ।

श्री आई० ईयाचरण : जब कृष्य श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी नियत की जाती है तब किन विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है ?

श्री आबिद अली : यह बात स्वयं अधिनियम में वर्णित है ।

क्षय रोग

*२१७. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या भारत में क्षय के आपात का पता लगाने के लिए कोई नमूना परिमाप किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन कौन से क्षेत्र चुने गये थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां, पिछले १५ वर्षों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर समय-समय पर नमूना परिमाप किये गये हैं । इस वर्ष भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने ६ प्रदेशों में व्यवस्थित ढंग से एक क्षय-परिमाप आरम्भ किया है ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

श्री भागवत झा आजाद : इस विवरण में कहा गया है कि गत १५–२० वर्षों में परिमाप किय गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि विवरण में १५–२० वर्षों में किये गये जिन परिमापों का उल्लेख है, उनसे क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : आरम्भ में १९३८ से लेकर १९५२ के बीच जो परिमाप किये गये थे वे सामान्य प्रकार के परिमाप थे । इस में कोई सन्देह नहीं है कि क्षय आज भारत में एक प्रबल संकट बन गया है और हमें आशा है कि हमने जिस परिमाप का कार्य इस वर्ष अपने हाथ में लिया है उसके कहीं अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं यह जान सकता हूं पिछले १५–२० वर्षों में जो परिमाप किये गये हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों की तुलना में अब भारत में क्षय का आपात अधिक बढ़ गया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी, हां, क्षय का आपात बढ़ गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन परिमापों के फलस्वरूप सरकार के पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिनसे यह पता चल सके कि कितनी प्रतिशत जनता इस रोग से प्रभावित है और ऐसे रोगियों के लिए देश में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ये आंकड़े इसी क्षण तो नहीं दे सकती, परन्तु १९४९ में हमने लगभग १६ हजार निवासियों वाले एक छोटे से नगर में एक परिमाप किया था और उसके फलस्वरूप यह पता चला था कि १·७ प्रतिशत व्यक्ति अस्वस्थ थे और ०·७ प्रतिशत में क्षय के कीटाणु दिखाना सम्भव हुआ था ।

श्री बंसीलाल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या राजस्थान में भी कोई परिमाप किया गया है ; और यदि हां, तो किस स्थान पर ?

राजकुमारी अमृत कौर : राजस्थान में कोई परिमाप नहीं किया गया है ।

अमृतसर केन्द्रीय वर्कशाप

*२२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया गया है कि अमृतसर केन्द्रीय वर्कशाप को पंजाब सरकार से ले लिया जाय ;

(ख) इस वर्कशाप पर कितना अनुमानित आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय होगा; और

(ग) क्या पंजाब सरकार को कोई प्रतिकर दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . इस वर्कशाप पर जो आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय होगा उसका

प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किया गया है और इस हस्तांतरण सम्बन्धी ब्यौरे पर अभी समझौता-वार्त्ता जारी है ।

सरदार इकबार सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस वर्कशाप का विस्तार करना चाहती है,क्योंकि पंजाब सरकार को एक आश्वासन यह भी दिया गया था कि उत्तरी रेलवे के लिए एक पुर्जे जोड़ने वाला कारखाना होना चाहिए ।

श्री अलगेशन : जी, हां, इसे अपने हाथ में लेने पर हमें इस वर्कशाप को काफी सीमा तक बढ़ाना होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस वर्कशाप को माल-डिब्बे अथवा यात्री डिब्बे बनाने के काम में लाया जायेगा ?

श्री अलगेशन : इसका प्रयोग इंजनों की सावधिक साज-संवार और इंजनों के छोटे पुर्जों का निर्माण करने के लिये किया जायेगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार अमृतसर के वर्कशाप में एक माल डिब्बे बनाने वाला संयंत्र भी स्थापित करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस समय यह प्रश्न हमारे विचाराधीन नहीं है ।

चिकित्सा कर्मचारीवृन्द की सेवा-निवृत्ति व्यय

*२२१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २०३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा कर्मचारीवृन्द की सेवा-निवृत्ति आयु के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये आदेश क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : पिछले सत्र में मंत्री महोदया ने कहा था कि आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि इस विलम्ब का कारण क्या है ?

राजकुमारी अमृत कौर : उसके बाद से यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि यदि किसी विशेष वैज्ञानिक प्रविधिक कर्मचारीवृन्द की सेवायें आवश्यक हुई तो अवधि ६० वर्ष की आयु तक बढ़ायी जा सकती है । इसीलिये किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा-मंत्रालय भी इसी सम्बन्ध में विचार कर रहा है, और यदि हां, तो क्या दोनों में इस सम्बन्ध में कोई सहयोजन है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जब किसी वैज्ञानिक, प्रविधिक कर्मचारी का प्रश्न आता है, तब स्वाभाविक रूप से चिकित्सा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक कर्मचारी भी उसमें आ जाते हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह आयु-सीमा स्वास्थ्य मंत्रालय के उन सलाहकारों अथवा विशेष अधिकारियों पर, जिनकी आयु वास्तव में ७० वर्ष के लगभग हो गयी है और जिन्होंने कोई क्रियाकारी, नीरोगकारी, शल्य क्रिया अथवा रुजालय सम्बन्धी कार्य नहीं किया है और जिन्हें लोक सेवा आयोग ने भी अस्वीकृत कर दिया है, कड़ाई से क्यों लागू नहीं की जाती है ?

गन्ना

*२२२. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३० अगस्त, १९५५ को

दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिल मालिकों को जल्दी गन्ना पेरने के लिये क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ख) कितनी चीनी मिलों ने इस सुविधा से लाभ उठाया है और जल्दी गन्ना पेरना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) अधपके गन्ने की प्रदाय करने के कारण उत्पादकों को कम तौल के कारण जितने मन की हानि हुई उसकी कमी किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५५-५६ की ऋतु में साधारणतया समय से पहले गन्ना पेरने के लिये चीनी मिलों को कुछ रियायतें देने का विचार बाढ़ के कारण फसलों को हुई हानि और अक्तूबर, १९५५ के पहले पखवारे में अत्यधिक और देर से वर्षा होने के कारण गन्ने के पकने में हुई देरी की दृष्टि से, समाप्त कर दिया गया था ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बाबू रामनारायण सिंह : प्रश्न के पार्ट (सी) में पूछा गया है कि समय के पहले ही कट जाने से जो उसकी तौल कम होगी और उससे जो किसानों का घाटा होगा, उसको पूरा करने का कोई उपाय है या नहीं और अगर है तो वह क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह प्रपोजल ड्राप कर दिया गया है और इसलिये अब किसी नुक़सान की भरपाई करने का सवाल नहीं उठता ।

श्री सारंगधर दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि बिहार के अधिकांश भागों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना पेरने की ऋतु पहले क्यों शुरू कर दी गई थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुख्यतः यह प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा रखा गया था और हमने जल्दी गन्ना पेरे जाने की दशा में आधा उत्पादन शुल्क छोड़ देना स्वीकार किया था । अब उनका यह कहना है कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है और इस कारण प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

पंडित एस० सी० मिश्र : क्या सरकार ने जिन क्षेत्रों को सहायता की आवश्यकता है उनमें से प्रत्येक पर अलग अलग ध्यान दिया है, और कोई सामान्य निर्णय क्यों किया गया है जब कि वह कुछ क्षेत्र, जिनको गन्ना बहुत दूर स्थित फैक्टरियों में भेजना पड़ता है, वास्तव में संकटापन्न स्थिति में थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : : हम राज्य सरकारों की सिफारिशों पर निर्भर रहते हैं, और यदि वे किसी क्षेत्र विशेष का अथवा मिल विशेष की सिफारिश करती हैं तो हम उस पर विचार करेंगे ।

न्यूटन चिकली कोयला खान दुर्घटना

*२२३. **श्री कामत** : क्या श्रम मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूटन चिकली कोयला खान (मध्य प्रदेश) के मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). कुछ अनिवार्य प्रारम्भिकताओं के पूरी हो जाने के पश्चात् शीघ्र ही कार्यवाही प्रारम्भ की जाने वाली है ।

श्री कामत : इस विनाशकारी दुर्घटना के पश्चात् यह कोयला खान कितने दिनों तक बन्द रही ?

श्री आबिद अली : जब कि उसमें पानी भरा हुआ था तो उस कोयला खान में काम करना संभव नहीं था । पानी को निकालने के लिये कई महीने चाहिये थे । तत्पश्चात् कुछ अन्य प्रविधिक आवश्यकताओं का परिपालन भी किया जाना था । इसमें कई महीने लग गये ।

श्री कामत : इस विनाश की जांच पड़ताल करने वाले जांच न्यायालय की निष्पत्तियों और सिफारिशों के अनुसार कोयला खानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिये कौन कौन से उपाय सरकार द्वारा लागू किये गये हैं अथवा लागू किये जा रहे हैं ?

श्री आबिद अली : सरकार ने इस समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक विनिमय यथासमय प्रकाशित किये जायेंगे ।

श्री कामत : क्या सिफारिशों को लागू करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री आबिद अली : भारत सरकार के खान महानिरीक्षक इसकी जांच कर रहे हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : जिस जांच न्यायालय ने इस विनाशकारी दुर्घटना की जांच की थी उसकी एक सिफारिश यह थी कि कोयला खानों में सुरक्षा के प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति आयोग की नियुक्ति की जाये । उक्त समिति अथवा आयोग की नियुक्ति कब की जायेगी क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्री आबिद अली : यह भी यथा समय किया जायेगा ।

एड्रिमा मशीनें

*२२४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत चालित नामों के लेबल छापने वाली एड्रिमा मशीनें आ गई हैं और उनको लगा कर उनसे काम लिया जाने लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे संतोषजनक कार्य कर रही हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, एड्रिमा मशीनें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के रेलवे डाक सेवा के ज्येष्ठ अधीक्षकों को प्राप्त हो गई हैं ।

(ख) हां ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं प्रत्येक मशीन की कीमत और क्षमता जान सकता हूँ ?

श्री राज बहादुर : लगभग कीमत ५,४०० रुपये है । क्षमता, यदि यह मशीनें बिजली से चलें, तो १६०० से २००० लेबल तक प्रति घंटा । परन्तु हमारे पास अभी तक कार्ड भरने वाले कुछ छोटे पुर्जे नहीं हैं। उनके बिना हाथ से चलाये जाने पर लगभग १२०० लेबल प्रति घंटा क्षमता होगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रत्येक मशीन कितने कर्मकारों को प्रतिस्थापित कर सकेगी ?

श्री राज बहादुर : अभी ऐसा बताना बहुत समय से पहले की बात होगी क्योंकि इन मशीनों का अभी काफी परीक्षण किया जाना है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या प्रत्येक मशीन जिस स्टेशन पर वह लगाई जा रही है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, अथवा उसकी क्षमता दूसरे केन्द्रों तक भी विस्तृत की जा सकेगी ?

श्री राज बहादुर : यह मशीन इसी उद्देश्य से लगाई गई है। यह अन्तिम स्थानों के नाम लिखेगी, लगाने वाले लेबल लिखेगी, धनादेश पर्चियां लिखेगी तथा लिफाफों पर पता लिखेगी। हाथ से लिखने में बहुत समय लगता है तथा लिखावट गंदी भी हो सकती है।

शीघ्रता करने के लिये ही इसे लगाया जा रहा है, इससे कार्य की क्षमता भी बढ़ती है और उसमें सफाई भी आती है।

यात्रा संगठनों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

*२२५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में हुए अधिकृत यात्रा संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के दसवें अधिवेशन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने स्वागत और व्यवस्था आदि पर कितना व्यय किया;

(ख) अधिवेशन के किन निर्णयों का असर भारत पर विशेष रूप से होगा;

(ग) क्या अधिवेशन में सामाजिक भ्रमण के लिये कोई नई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (घ). जो सूचना मांगी गई है उसके बारे में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

श्री श्रीनारायण दास : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में कहा गया है कि इस सम्मेलन ने भारतवर्ष से कहा है कि दो प्रादेशिक आयोग बनाने के बारे में दक्षिण पूर्वी ऐशियाई आयोग का निर्माण भारतवर्ष करे, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है और उस सिलसिले में क्या कोई कार्यवाही आगे बढ़ी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह जो मीटिंग हुई थी वह तो २५ अक्तूबर को खत्म हुई है, अभी बहुत थोड़ा वक्त गुजरा है कि कोई कार्यवाही अमल में आयी हो, लेकिन गवर्नमेंट इस पर जरूर विचार करेगी।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार ने दूसरी सिफारिशों के बारे में कुछ विचार किया है या क्रियात्मक रूप से विचार करने के लिये तैयार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी तो यह विचाराधीन है।

श्री रघुरामैया : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो लोग हमारी सरकार के खर्च पर यात्रा करते हैं उनका काम किसी स्थानीय यात्रा संस्था अथवा यहां के किसी पर्यटक अभिकरण को न देने का कोई विनिश्चय किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: हां, सरकार ने अब यह विनिश्चय किया है कि वह सीधे बुकिंग करायेगी और यह कार्य किसी यात्रा अभिकरण के द्वारा नहीं कराया जायेगा।

श्री रघुरामैया : क्या इस प्रकार की प्रक्रिया से हमारे स्थानीय यात्रा अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन अभिकरणों की तुलना में, जिनको उनके अपने देश की सरकारों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, निम्न स्तर पर अथवा असुविधाजनक स्थिति में नहीं आजायेंगी ?

श्री अलगेशन : वह निजी बुकिंग करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। यह निर्णय तो अभी हाल ही में किया गया था कि सरकारी बुकिंग उनके द्वारा नहीं कराया जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उस सीमा तक उनके कार्य में कमी हो जायेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रम मंत्री सम्मेलन

*१९७. **श्री एन० राचय्या :**
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या नवम्बर १९५५ को पहले सप्ताह में हैदराबाद में श्रम मन्त्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां; तो क्या वेतन असमानताओं को कम करने के लिये

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सम्बन्धी विषय पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या उस सम्मेलन में एक राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणीकरण बोर्ड बनाने की प्रस्थापना पर चर्चा हुई थी; और

(घ) उक्त सम्मेलन में औद्योगिक तथा कृषि कर्मकारों के विषय में और क्या विनिश्चय किये हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). हां ।

(घ) सम्मेलन द्वारा किये गये अन्य विनिश्चय यह थे :—

(१) मार्च १९५६ तक काम दिलाऊ दफ्तर तथा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकारों को दे दिये जायें।

(२) धीरे-धीरे रिक्शा खींचना समाप्त कर दिया जाये और इस बीच इसका ठीक प्रकार से विनियमन किया जाये ।

(३) श्रम तथा कल्याण अधिकारियों से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई जाये ।

(४) केन्द्रीय उपक्रमों में महिला कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति करने के मामले में कार्य-वाही की जाये ।

(५) राज्य कर्मचारी बीमा योजना की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को यथासम्भव शीघ्र कर्म-कारों के परिवारों तक बढ़ाया जाये ।

(६) केन्द्रीय न्यूनतम वेतन परामर्श-दात्री बोर्ड की वेतनानुसार, क्षेत्रानुसार तथा उद्योगानुसार वर्गीकरण सम्बन्धी सिफारिशों का राज्य सरकारों द्वारा परिपालन किया जाना चाहिये ।

(७) कृषि-श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित किये जाने के साथ साथ, उनके लाभ के लिये कुटीर तथा छोटे उद्योगों को संगठित करने के लिये भी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अफ़गानिस्तान तक का हवाई भाड़ा

*२००. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और मई, १९५५ के मध्य तथा अगस्त और सितम्बर, १९५५ के मध्य अमृतसर से कन्धार (अफगानिस्तान) तथा कन्धार से अमृतसर के बीच प्रति पौंड हवाई भाड़ा कितना था ; और

(ख) यदि इन दोनों अवधियों में उक्त भाड़ा दरों में कोई असमानता थी तो उस का क्या कारण था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अप्रैल-मई १९५५ में अमृतसर से कन्धार तक प्रति पौंड हवाई भाड़ा १३ आने था । अगस्त-सितम्बर, १९५५ में अमृतसर और कन्धार के बीच कोई नियमित अनुसूचित सेवा नहीं थी केवल सारे वायुयान का कुल किराया देने पर अमृतसर से कन्धार तक कुछ विशेष वायुयान उड़ाये जाते थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अगस्त-सितम्बर, १९५५ में कोई प्रति पौण्ड दर नहीं थी ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*२०३. श्री डाभी : क्या परिवहन मंत्री ८ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन सेवा के लिये ४०० बसों के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बसों की संख्या में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप बस सेवा में नियमितता, समयानुकूलता इत्यादि के सम्बन्ध में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) पर्याप्त सुधार हुआ है । अनुसूचित चक्करों की तुलना में प्रति दिन किये गये चक्करों की प्रतिशतता अप्रैल, १९५५ में ८८ थी और फिर बढ़ कर अक्तूबर में ९४.८ हो गई ।

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना

*२०७. श्री एन० एम० लिंगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मद्रास राज्य में स्वीकृत योजना में और इन योजनाओं के निष्पादन के सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति दी गई हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७] ।

बम्बई में टैलीफ़ोन

*२०८. श्री हेडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई नगर में टैलीफोन कनैक्शनों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त नगर में ६ अंक वाले टैलीफोन खोलने के लिये क्या औचित्य है ; और

(ग) क्या किसी अन्य नगर में भी ६ अंक वाले टैलीफोन लगाये जाने को हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ३१ अक्तूबर, १९५५ को ३१,६८१ ।

(ख) उन टैलीफोन कनैक्शनों की अधिकतम संख्या, जो कि एक पांच अंक वाले एक्सचेंज में खोले जा सकते हैं, कोई ६०,००० है । क्योंकि आगामी पांच वर्षों में बम्बई में टैलीफोन कनैक्शनों की संख्या के ६०,००० से अधिक हो जाने की आशा है, इसलिये ६ अंक अंकेशण योजना का अपनाया जाना अपीहार्य है ।

(ग) कलकत्ता में पहले से ही ६ अंक अंकेशण प्रणाली चालू है । आगामी दस वर्षों में भारत के किसी अन्य नगर में ६ अंक प्रणाली को चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जमाया हुआ दुग्ध

*२१८. श्री आर० एन० सिंह : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेयरी गवेषणा संस्था, बंगलौर में ग्राम्य अवस्थाओं में जमाये हुए दुग्ध के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई गवेषणा कार्य किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) परीक्षण प्रारम्भिक प्रकार के थे और प्राप्त परिणाम निश्चयात्मक नहीं थे ।

सब्जियों की खेती

*२१९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सब्जियों को गहन खेती के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सब्जियों की नई किस्मों, जो भारत में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु दूसरे भारत जैसी जलवायु वाले देशों में मिलती हैं, की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ; विभिन्न राज्यों में सब्जियों की विदेशी किस्में, जो भारत के जलवायु में उगाई जा सकती हैं, पहले ही उगाई जा रही हैं ।

रेलों पर विभागीय भोजन व्यवस्था

*२२६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय भोजन व्यवस्था का प्रयोग किस तारीख से आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने स्टेशन चुने गये हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) रेलवे भोजनालयों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी करने के सम्बन्ध में विभिन्न स्टेशनों से प्राप्त रिपोर्टों का सारांश क्या है ;

(घ) क्या इन रिपोर्टों पर वाणिज्यिक समिति द्वारा विचार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर रेलवे के दिल्ली और पठानकोट स्टेशनों पर १-१०-१९५५ से रेलवे की ओर से भोजन का प्रबन्ध किया गया है, दूसरी रेलों में, जहां अभी रेलवे का अपना प्रबन्ध नहीं इसे जल्द शुरू करने का विचार है ।

(ख) जो सूचना मांगी गई है उसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५८]**

(ग) से (ङ). इस तरह की कोई रिपोर्ट रेलों से न आई और न मांगी गई थी । रेलवे बोर्ड ने सुझाव दिया था कि स्टेशनों पर भारतीय ढंग का जो भोजन दिया जाता है उसमें से कुछ चीजों को निकाल कर उसकी कीमत कम कर दी जाये । बोर्ड के इस सुझाव पर कमर्शियल कमेटी ने सितम्बर, १९५५ में विचार किया, लेकिन कमेटी इस सुझाव के पक्ष में न थी । कमेटी की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है ।

जनता एक्सप्रेस

*२२७. **श्री गिडवानी** :
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का भारतीय रेलों पर शीतोष्ण नियंत्रित तीसरे दर्जे की जनता एक्सप्रैस चलाने की कोई प्रस्तावना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब चलाई जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अक्टूबर, १९५६ से प्रयोग रूप में एक मध्य मार्ग द्वारा जुड़ी हुई तथा पूर्णतः शीतोष्ण नियंत्रित रेल सेवा चलाने का विचार है ।

फसल प्रतियोगिता

*२२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** १९५४ में फसल प्रतियोगिता में सफल व्यक्तियों के नाम और अन्य बातें बताने की कृपा करेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से प्रत्येक को कितना पारितोषिक मिला ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]**

चीनी

*२२९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के लिये ठेके पर लिये गये गन्ने के लिय भुगतान की संभावनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में देरी का कारण समिति द्वारा भेजे गये प्रश्नों के उत्तरों के आने में देरी है ।

खाद्य पदार्थों के स्तरों के लिये केन्द्रीय समिति

*२३०. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि खाद्य पदार्थों के स्तरों के लिये केन्द्रीय समिति ने जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ की धारा ३ के अधीन बनाई गई थी, इस अधिनियम को उचित रूप और दक्षता से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । खाद्य स्तरों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति इस अधिनियम के प्रशासन सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय या राज्य सरकारों को केवल मंत्रणा दे सकती है ।

गोरखपुर स्थित उत्तर-पूर्वी रेलवे प्रशासन विभाग

*२३१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलवे कार्यकर्ता संघ, गोरखपुर के कार्यकारी प्रधान द्वारा लिखे गये खुले पत्र में गोरखपुर (उत्तर पूर्वी रेलवे) के प्रबन्ध के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की कोई जांच हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) आरोप सच नहीं पाये गये ।

अमेरिका से घी

*२३२ **श्री विभूति मिश्र :**
विश्वनाथ राय :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न

संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उस समय से अमेरिका से घी का आयात न करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) अमेरिका सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्ताव की बदली हुई शर्तें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं की हैं ।

पंजाब के लिए आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र

*२३३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ को दिये गये प्रश्न संख्या १११३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या पंजाब में आयुर्वेदिक औषधियों और औषधियों के दूसरी लोकप्रिय पद्धतियों में गवेषणा के लिये गवेषणा केन्द्र खोलने की सरकार की कोई प्रस्तावना है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने वहां ऐसी संस्था खोलने के लिये कोई प्रार्थना की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) कोई ऐसी प्रस्तावना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

विमान सेवाओं का विस्तार

*२३४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वायु सेवाओं के विस्तार की कोई नई प्रस्तावना है ;

(ख) उन सेवाओं पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) क्या इन नई वायु सेवाओं को चलाने के लिये सरकार ने कोई प्राथमिकतायें भी निश्चित की हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कुछ सहायी पथों पर 'हैरन' विमानों द्वारा विस्तार करने की प्रस्तावना है ।

(ख) इन सेवाओं के चलाने के लिये खरीदे गये ८ 'हैरन' विमानों का कुल परिव्यय लगभग ५६,००,००० रुपये है ।

(ग) निम्नलिखित सहायी रास्तों पर सेवायें पहले ही चालू हैं (१) देहली–आगरा ग्वालियर–भोपाल–इन्दौर–औरंगाबाद–बम्बई (२) देहली–लाहौर–देहली (३) देहली जालंधर–कुल्लू । आशा है कि पहली दिसम्बर, १९५५ से देहली–बीकानेर–जोधपुर–अहमदाबाद–राजकोट रास्ते पर एक सेवा चलेगी । कुछ और रास्ते भी विचाराधीन हैं ।

टेलीफोन

*२३५. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ (अक्तूबर, १९५५ तक) की अवधि में देश में बनाये गये टेलीफोनों और स्वचालित एक्सचेंज लाइनों की संख्या क्या है ;

(ख) निर्धारित लक्ष्य के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). आंकित जानकारी बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०] उस विवरण से देखा जा सकता है कि लक्ष्य प्रायः पूरा हो चुका है ।

(ग) उत्पादन के औजार दुगने किये जा रहे हैं फैक्टरी के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था की जा रही है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

चलते-फिरते डाक घर

*२३६. { सरदार हुक्म सिंह : / श्री बहादुर सिंह : }

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलते फिरते नगरीय डाक-घरों की योजना को रात्रि विमान डाक सेवा द्वारा मिले हुये सब नगरों तक बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना जनता में लोकप्रिय हो रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) योजना मद्रास, नागपुर और दिल्ली में चल रही है और बम्बई तथा कलकत्ता में नहीं । बम्बई के लिये चलते फिरते डाक-घरों की गाड़ियां बम्बई के पोस्ट मास्टर जनरल को भेजी जा रही हैं । कलकत्ता के लिये चलते फिरते डाकघरों की गाड़ियों के ढांचों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) जी, हां ; यह नागपुर, मद्रास और दिल्ली में बहुत लोकप्रिय है, जहां यह पहले से लागू की जा चुकी है ।

विलिंग्डन अस्पताल

*२३७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जब से विलिंगडन अस्पताल को केन्द्रीय सरकार ने लिया है तब से किस रूप में उसका विकास किया गया है अथवा भविष्य में किये जाने का विचार है ;

(ख) उसके प्रबन्ध और कार्यसंचालन का वर्तमान ढांचा क्या है ; और

(ग) उसके लियें जाने के बाद केन्द्रीय सरकार पर कितना वित्तीय उत्तरदायित्व हो गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग). इस बारे में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें आवश्यक जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]

रक्त बैंक

*२३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या रक्त बैंक को रक्त देने वालों को कुछ राशि दी जाती है और यदि हां, तो किस दर से ;

(ख) क्या वह दर स्थान स्थान पर भिन्न है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम हुआ है कि विभिन्न स्थानों और अस्पतालों में कम्पाउंडर और डाक्टर, तथा कुछ स्थानों में पुलिस भी, रक्त के मूल्य में से अपना कमीशन काट लेते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में कोई जाँच कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) तथा (ख). इस बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि रक्त बैंक स्वेच्छिक संस्थायें भी चलाती हैं ।

(ग) तथा (घ). इन शिकायतों की तरफ राज्य सरकारों का ध्यान खींचा जा रहा है ।

अनाज के डिपो

*२३९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य और कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के डिपुओं में जमा किया गया अनाज बाढ़ों के कारण खराब हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन गोदामों में रखे अनाज में घुन लग गया है या कंकड़ शामिल हो गया है ;

(ग) क्या सरकार के पास इस मामले में कोई शिकायत आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) फिरोज पुर जिले में कासू बेगू को छोड़ कर, जहां बाढ़ के जल के द्वारा लगभग २८,००० बोरियां खराब हो गई थीं, केन्द्रीय सरकार के डिपुओं में रखे हुए अनाज को बाढ़ों के द्वारा कोई हानि हुई है, इसका कोई समाचार नहीं मिला है ।

(ख) अनाज में घुन नहीं लगा है यदि कहीं घुन लगा हुआ देखा गया है तो वह घुन को धूंए के द्वारा नष्ट कर दिया गया है । अनाज में कंकड़ नहीं मिला ह ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन बिल

*२४०. **श्री गिडवानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५५ को टेलीफोन शुल्क के बिलों की कितनी राशि अवशेष थी; और

(ख) अवशेष बिलों की वसूली के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१ मार्च १९५५ तक जारी किये गये बिलों की ३१ मार्च १९५५ तक अवशेष राशि २२५ लाख रुपये थी ।

(ख) सरकारी टेलीफोनों के मामले में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों और विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों आदि के साथ व्यक्तिगत रूप से और अर्धशासी पत्रों के द्वारा सम्पर्क करने के लिये विशेष कार्यवाहियां की जा चुकी हैं गैरसरकारी टेलीफोन वालों के बारे में, जहां वसूली की गुञ्जाइश है, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । दूसरे मामलों में, जहां राशि वसूल नहीं की जा सकती यह अपलिखित कर दी गई है ।

टी० टी० आई० (टिकट निरीक्षक)

९२. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ी के टिकिट निरीक्षकों को सफर भत्ता नहीं दिया जाता जब कि कन्डक्टर गार्डों को दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस विभेद को दूर करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गाड़ी के टिकिट निरीक्षकों को सफर भत्ता दिया जाता है पर कन्डक्टर गार्डों को चलती गाड़ी में काम करने का भी भत्ता दिया जाता है (जैसा कि चलती गाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है ।

(ख) टिकट निरीक्षकों को चलती गाडी में काम करने वाले कर्मचारियों में नहीं माना जाता ।

(ग) कोई विभेद नहीं है । वे दूसरी श्रेणी के हैं।

रेलवे दुर्घटना

९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ अक्तूबर, १९५५ को पूर्वी रेलवे के तिलड़ा स्टेशन के निकट दो मालगाड़ियों में टक्कर हो गयी और गार्ड तथा पुलिस के दो सिपाहियों को चोट आई;

(ख) यदि हाँ, तो दुर्घटना के कारण क्या हैं और क्या दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दे दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनको किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १८–१०–१९५५ को न कि १९–१०–१९५५ को जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, जबकि पूर्वी रेलवे के स्यालह डिवीजन के काकुरगची और बालीगुंगे स्टेशनों के बीच संख्या ७१६।७१४ डाउन माल गाड़ी सिगनल संख्या ए०सी० २ के पास पहुंची और रुक रही थी ११ बजकर १० मिनट पर रात में संख्या ए०डी० वाई० ४६ डाउन मालगाड़ी उसके पिछले भाग से टकरा गयी परिणाम स्वरुप ७१६/७१४ डाउन मालगाड़ीं के ब्रेकवान में सफ़र करने वाले दो रेलवे रक्षा पुलिस तथा गार्ड को चोटें आई।

(ख) जांच समिति के तथ्य निरुपण के अनुसार संख्या ए० डी० वाई० ४६ डाउन मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा कुछ आवश्यक नियमों का उल्लंघन करने के कारण टक्कर हुई थी ।

(ग) ड्राइवर को अभियोग पत्र दिया जा रहा है और उपयुक्त अनुशासन संबंधी कार्यवाही उसका उत्तर प्राप्त होने पर की जायेगी ।

काम दिलाऊ दफ्तर

९४. **श्री एच० आर० नथानी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में राजस्थान के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिया गया ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) २८,४९२

(ख) २,८२९ ।

नर्मदा पुल

९५. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री १७ अगस्त, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६, सागरनरसिंह पुर रोड़ पर बरमन पर नर्मदा के ऊपर बनने वाले सड़क पुल का रूपांकन तैयार हो गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सड़क पुल का रूपाकन अभी बन रहा है ।

नर्मदा पुल

९६. **श्री कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नर्मदा नदी पर होशंगाबाद पर एक दूसरे सड़क पुल बनाने के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है क्योंकि राज्य लोक निर्माण विभाग से पुल के क्षेय तथा रूपांकन के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

९७. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **श्रम** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में कर्मचारी राज्य बीमा योजना विकास करने का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) क्या इस योजना के अधीन कर्मचारियों अथवा कारखानों द्वारा दिये जाने वाले चंदे की दरों में कोई परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो वे परिवर्तन किस प्रकार के हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५६ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के और अधिक विस्तार का प्रयोगात्मक कार्यक्रम नीचे दिया जाता है :—

राज्यों के नाम	स्थानों के नाम	कार्यान्वित की जाने की संभावित तारीख
१	२	३
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, सहारनपुर, आगरा	जनवरी, १९५६।
	इलाहाबाद, बनारस, मोदी नगर	अप्रैल, १९५६।
ट्रावनकोर-कोचीन	आल्लपि, एरणाकुलम, आलवेयी, त्रिचूर	जनवरी, १९५६।
मध्य प्रदेश	जब्बलपुर, अकोला, बुरहानपुर, हिंगनघाट	जनवरी, १९५६।
सौराष्ट्र	राजकोट, मौर्वी, पोरबन्दर, सुरिन्द्र नगर, भावनगर, जाम नगर	फरवरी, १९५६।
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, लाखेरी, किशन गढ़	फरवरी, १९५६
अजमेर	अजमेर	फरवरी, १९५६।
पेप्सू	पटियाला, फगवाड़ा, गोविन्द गढ़, कपूरथला, सूरजपुर	अप्रैल, १९५६।
बम्बई	अहमदाबाद	जुलाई, १९५६।
बिहार	पटना, कटिहार	जुलाई, १९५६।
बाकी दूसरे केन्द्र		१९५६ के अन्त तक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि योग्य पड़त भूमि

९८. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में मध्य भारत में कृषि योग्य पड़त भूमि कितनी थी; और

(ख) १९४९ से १९५४ तक प्रत्येक वर्ष में उस राज्य में इस प्रकार की कितनी पड़त भूमि में कृषि की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५४–५५ में ८,०६,००० एकड़।

(ख) जितनी जानकारी प्राप्त है वह नीचे दी गई है :

साल	एकड़
१९४९–५०	प्राप्त नहीं
१९५०–५१	१७९,९५६
१९५१–५२	१८४,९४८
१९५२–५३	१९१,१२७
१९५३–५४	प्राप्त नहीं
१९५४–५५	प्राप्त नहीं

इन्दौर नगर में टेलीफोन

९९. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर नगर में टेलीफोन लगवाने के लिये निलम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) आजकल वहां कितने टेलीफोन हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ७२४.

(ख) ८८७ मुख्य कनैक्शन और १५५ उनके विस्तार इसके अतिरिक्त मध्य भारत सरकार के लिए ८५ कनैक्शन आरक्षित हैं।

रेल के डिब्बे

१००. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री आर० एन० सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में १९४७ से प्रति वर्ष कितने नये डिब्बे लाए गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने देशी हैं और कितने आयातित हैं ;

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रतिवर्ष पुराने और बहुत अधिक पुराने कितने डिब्बे उपयोग के लिये बेकार करार कर दिये गये;

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार डिब्बे बनाने के कितने और कारखाने खोलने का विचार करती है ; और

(ङ) कितने निजी कारखानों में रेल के डिब्बे बनाने के लिये सरकार से अनुज्ञा मांगी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) एक विवरण यहाँ संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(घ) इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर से संलग्न एक बी० जी० फर्निशिंग यूनिट और छोटी लाईन के डिब्बे बनाने का एक कारखाना खोलने की प्रस्थापना है।

(ङ) कोई नहीं।

रेलवे कर्मचारी

१०१. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ से प्रत्येक क्षेत्र में कितने स्थायी पद रिक्त पड़े हुए हैं। और उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी पदोन्नति १९५० में की गयी है और अबतक उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गवेषणा संस्थाएं तथा प्रयोगशालाएं

१०२. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह दिखाया गया हो कि उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन कार्य करने वाली अनेक गवेषणा संस्थाओं और प्रयोगशालाओं में नियुक्त प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उसमें अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ६३]** :

रेल के यात्री डिब्बे और माल डिब्बे

१०३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में अभी फिलहाल ऐसे कितने माल डिब्बे, यात्री डिब्बे और इंजिन हैं जिनका साधारण रूप से कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और

(ख) ऐसे कितने यात्री डिब्बे और इंजिन हैं जिन्हें तुरन्त बदलने की आवश्यकता है किन्तु जो नये यात्री डिब्बे और इंजिन न मिलने के कारण नहीं बदले जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३० सितम्बर, १९५५ को स्थिति निम्न प्रकार से थी:—

माल डब्बे—७६१० } ४ पहिये वालों
यात्री डिब्बे—१६४३ } के रूप में

इंजिन —२६०

(ख) ३० सितम्बर, १९५५ को स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

माल डिब्बे—१०७३ ४ पहिये वालों के रूप में

इंजिन —८५

चीनी के कारखाने

१०४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४–५५ में देश में चीनी के कारखानों में से किसी एक ने भी अपनी पूरी सामर्थ्य अनुसार काम नहीं किया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने कारखाने हैं जिन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य से काम किया है और ऐसे कार्य-दिवसों की संख्या क्या है ; और

(ग) ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ग) ८ ।

रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण

१०५. **पंडित डी० एन० तिवारी** :
श्री अमर सिंह डामर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस आधार पर स्टेशनों के पुनर्निर्माण सम्बन्धी फैसला किया जाता है ; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में १९५० से किन किन स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) स्टेशन की इमारतों और/अथवा हातों के ढांचों में सुधार करने के लिये रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाता

है जिससे (१) रेलवे के अधिक अच्छे कार्य हो सकें और (२) रेल परिवहन के उपभोक्ताओं को अधिक सुविधायें दी जा सकें ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में १९५० से पुनर्निर्माण किये गये स्टेशनों के नाम निम्न प्रकार से हैं :

(१) **सैन्ट्रल**

जुकेही, अजनी, इटारसी, अमरावती, अहमदनगर, चालीसगांव, किंग्स सर्किल, अकोला, बुरहानपुर, बांदा, दमोह, गदरवाडा, इटारसी, कटोल, खामगांव, खरडी, मुर्तिजापुर, मानिकपुर, पुनतम्बा, पंढुरना, शेगांव, शिवाजीनगर, ठाकुरली, थाना, बरोरा, बडनेरा, शिवपुरी रोड, बोरलारम बाजार, चांदा, चेम्बूर, दबीरपुरा, गुलबर्गा, हुंशंगाबाद, जलना, जलगांव, कल्याण, खम्मामेठ, लोनावाला, मसजिद, मलिकपेट, नेरल, नांददेड, वंगानी, यकुत्तपुरा, खैरात्ताबाद, जमई उसुमानिया, मनखुर्द, शनीचरा, मंडी, बमोरा, भुसावल, पुरना, राहुरी, मुबंरा, घाट कोपर, कोसीकलां, पलवल, हरपालपुर, माटुंगा, मलकापुर, गिरवर, विखरोली ।

(२) **ईस्टर्न** (पूर्वी)

बेहरामपुर, कोर्ट, कृष्णनगर सिटी, नवद्वीपघाट, शान्तिपुर, कल्याणी, जसीडीह ।

(३) **उत्तरी**

फिरोजपुर कैंट, अटारी, भरोली, अलावलपुर, भोगपुर, सिरवाल, दसया, टांडा उरमार, जोधपुर, मेरता सिटी, गेपुरा, भरवारी, दनकौर, एतमादपुर, हाथरस, इलाहाबाद, कानपुर, अहरौरा रोड, मेजा रोड, जमना ब्रिज, (आगरा ब्रांच) रूरा, छेवकी, चुनार, जीवनाथपुर, पहाड़ा, करछना. नैनी सुत्तनारैनी, कुरस्तीकलां, मैनपुरी, शिकोहाबाद, सुबेदारगंज, बिरोही, मनोहरगंज, शुजात्तपुर, अथसुराय, कोटाधन, खागा, रसूलाबाद, फरजुल्लापुर, कांसपुर-गुगौली, बिंदकी रोड, ओंग, चकेरी, देहली मेन, नई दिल्ली, शकूरबस्ती, राजघाट, बरेली, बालामऊ, दिबाई, रामगंगा ब्रिज, ओनला, मछरिया, खुरजा सिटी, डोईवाला, राईवाला, हर्रावाला, कांसराव, लक्सर, रोजा, दयाबस्ती, हकीमपुर, डासना, फजलपुर, तारा जंकशन, नांअगल माला, हरपालु और देहली कैंट ।

(४) **उत्तर पूर्वी**

लखनऊ जंकशन, पीलीभीत, बदायूं, काठगोदाम, काशीपुर, बहेरी, बस्ती, बिलासपुर, भोजीपुरा, बाजपुर, जुगौर, बुढ़वाल, गोरखपुर, थानाबीहपुर, मुजफ्फरपुर, सुमस्तीपुर, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, छपरा, इलाहाबाद सिटी, बरौनी जंकशन, भटनी, देवरिया, सुदा, सोनपुर, महेन्दूघाट, दिघवाडा, डीफू, केन्डूकना, कैथाल, कुची, अलीपुरद्वार जंकशन, होजई, अरुनाचल ।

(५) **दक्षिणी**

वेन्द्रा, गुदलावल्लेरू, उट्टापलम, त्रिचूर, ओलावक्कोट, टेल्लीचेरी, कडुलोर, एन० टी०, करईकुडी, मदुरा जंकशन, तुतीमेलूर, कयलपट्टनम, रनीबेन्नूर, कलाहस्ती, अनन्तपुर, मंगलगिरि, सांगली, पुरसंगी, बंगलोर सिटी, चिराल, तडेपल्लीगुडम, अनकपल्ले ।

६. **दक्षिणी पूर्वी**

कटक, सिलयारी, टाटा, बरजमदा, संतरागाछी, हाथबन्ध, खडकंपुर, बुभनेश्वर, छंदील, चक्रधरपुर, कोटाबोमली, कन्दरा, बेरी, बीरसिंहपुर, जेनापुर, बालूगान, कलूपारा घाट, वैतरनी, छिरीमिरी, घाटसिला, उमरया, बिलासपुर, कोटमा, जगसलाय, खरियाररोड, केसिंगा, भद्रक, डीगोआपोसी ।

७. **पश्चिमी**

दादर, पालघर, बिलीमोरा, सूरत, बडोदा, नडिआद, उज्जैन, इन्दौर, मैसाना, पलनपुर, मन्दसौर, अमरपुरा, मोहनपुरा, आनन्द, खोडीनार, मानीनगर, भक्ति-नगर, कोशम्बा, कहेर, चित्तौडगढ़ और आबू रोड ।

नदियों में भाप से चलने वाले जहाज

१०६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ के अधिनियम के अधीन, नदियों में भाप से चलने वाले कुल कितने जहाज पंजीकृत किये गये हैं ; और

(ख) नदियों में भाप से चलने वाले जहाजों के लिये जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पश्चिमी बंगाल आसाम और बिहार राज्यों में नदियों में भाप से चलने वाले जहाज अधिनियम के अधीन पंजीकृत जहाजों की कुल संख्या ५७० है। उड़ीसा में अधिनियम के अधीन अबतक कोई जहाज पंजीकृत नहीं किये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत जहाजों के आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं। नदियों में भाप से चलने वाले जहाज अधिनियम के पंजीकरण उपबन्ध अन्य राज्यों के नदी गलमार्गों के लिये नहीं लागू होते ।

(ख) १५५७ मील ।

औषधि तथा जादुई चिकित्सा

१०७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कितने व्यक्तियों ने १९५४ के औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम जो १ अप्रैल, १९५५, से लागू हुआ अबतक उल्लंघन किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, १९५४ के उल्लंघन के १३ मामलों की सूचना अबतक भारत सरकार को दी गयी है।

परसेंडी रेलवे स्टेशन

१०८. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में परसेंडी रेलवे स्टेशन पर हाथ से पानी निकालने वाला नल लगाने के लिये मंजूरी मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) पानी का नल लगाने का काम कब से प्रारंभ होने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन):

(क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) १९५३ में ।

(ग) शीघ्र ही।

जगदीश शुगर मिल्स लि०

१०९. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगदीश शुगर मिल्स लि० कठकुइयां (देवरिया) सरकारी नियंत्रण में कब से चलाई जा रही है,

(ख) उपरोक्त मिल्स की चल और अचल सम्पत्ति को नीलाम करने का विचार सरकार क्यों कर रही है, और

(ग) इस मिल्स का प्रबन्ध कौन पदाधिकारी कर रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जून १९४७ से।

(ख) मिल की कुल सम्पत्ति ११ लाख ६३ हजार रुपये थी, किन्तु इसके मुकाबले में, मिल पर २९ लाख ६३ हजार रुपये की जिम्मेदारी हो गई थी, जिसमें गन्ने की कीमत की बाकी, सहकारी संस्थाओं की कमीशन और गन्ने का कर मिला कर १८ लाख ३२ हजार रुपया शामिल थे। यह ऋण जमीन कर के रूप में वसूल किया जा सकता है। राज्य सरकार ने १० नवम्बर १९५५ को २५ लाख ८५ हजार रुपये में इस मिल को निलाम कर दिया।

(ग) **स्टेट इंडस्ट्रीयल डिसप्यूटस एक्ट १९४० के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए अधिकृत कन्ट्रोलर**

आर० बी० ब्रज नारायण सिंह जून, १९४७ से नवम्बर, १९४९ तक

कंवर रुद्र प्रताप नारायण सिंह नवम्बर, १९४९ से दिसम्बर, १९५२ तक

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए अधिकृत कन्ट्रोलर

कंवर रुद्र प्रताप नारायण सिंह	दिसम्बर, १९५२, से ९ नवम्बर, १९५२ तक	एसेंशल सपलाइज, टेम्परेरी पावर्स, एक्ट १९४६ के अधीन।
श्री एम० आर० जयपुरिया	१० नवम्बर, १९५३ से मई १९५४, तक	इन्डस्ट्रीज, डेव्लपमेन्ट एन्ड रेगूलेशन, एक्ट १९५१ के अधीन।
श्री एम० आर० जयपुरिया	जुलाई, १९५४ से आजतक	एसेंशल सपलाइज, टेम्परेरी पावर्स एक्ट १९४६ के अधीन।

टेलीफ़ोन कनैक्शन

११०. **श्री भक्त दर्शन**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन लगवाने के लिये कितने आवेदन-पत्र आजकल निलम्बित हैं;

(ख) प्रत्येक सर्किल में उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में कितने टेलीफोन लगाये जाने की सम्भावना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) ३० सितम्बर, १९५५ तक रजिस्ट्री किये आवेदन-पत्र २१,७२२

(ख) ३० सितम्बर, १९५५ तक का विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है, सभा पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) लगभग २०,००० सीधे (Direct) कनैक्शन।

भोजन व्यवस्था तथा वस्तु विक्रय कर्मचारी संघ

१११. **श्री हेडा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अक्तूबर, १९५५ में दिल्ली में हुए भारतीय भोजन व्यवस्था तथा वस्तु विक्रेता कर्मचारी संघ के सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संकल्पों पर विचार कर लिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय खान अधिनियम १९५२

११२. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या श्रम मंत्री भारतीय खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत पुनरीक्षित विनियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): भारतीय कोयला खानों तथा धातुयुक्त खान विनियमों की वर्तमान संहितायें पुनरीक्षित की जा रही हैं। जब इनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, तो इनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी दी जायेंगी।

छोटी और बड़ी लाइन के डिब्बे

११३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९५४ १९५५ और १९५५–५६ (सितम्बर के अन्त तक) में अलग अलग छोटी और बड़ी लाइन के कितने डिब्बे बाहर से मंगवाये गये हैं तथा कितने भारत में बनाये गये हैं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : विवरण साथ नत्थी है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

सहकारिता सप्ताह

११४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ नवम्बर, १९५५ से देश में "सहकारिता सप्ताह" मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में यह मनाया गया था और इस सम्बन्ध में सरकारी पदाधिकारियों ने किस प्रकार का सहयोग दिया ; और

(ग) जनता ने कैसा सहयोग दिया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) पूछी हुई जानकारी का विवरण नत्थी कर दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ग) जनता ने पूरा सहयोग दिया ।

दुग्धालय संस्थायें

११५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में दुग्धालय संस्थाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार इन संस्थाओं का विकास करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ग) यदि हां, तो विकास योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नलकूप (ट्यूब वैल)

११६. **श्री के० सी० सोंधिया :** क्या **खाद्य और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नलकूप लगाने में अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है, और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप योजना के सम्बन्ध में क्या विकास कार्यक्रम बनाया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में उत्पादन सम्बन्धी नलकूप बनाने का कोई भी कार्यक्रम प्रवर्तित नहीं किया है । इस कारण इस काम के लिय कुछ भी खर्च नहीं किया गया ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में, भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी नलकूपों का कार्यक्रम, जो कि मध्य प्रदेश में आज कल हो रहा है, के नतीजे पर ७० लाख रुपये के खर्च पर १०० उत्पादन सम्बन्धी नलकूप राज्य के उन क्षत्रों में बनाने का प्रस्ताव है जो कि इस काम के लिये ठीक समझे जायेंगे ।

डाक कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टर

११७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में डाक कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टर बनानें पर आजतक कुल कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है ;

(ख) चालू वर्ष में अब तक बनाये गये क्वार्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उक्त क्वार्टर बनाये गये हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लगभग ९·५ लाख रुपये ।

(ख) ३६०. ।

(ग) केवल कुछ अन्य श्रेणियों को छोड़ तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ।

ट्रेन सेवायें

११८. **श्री इब्राहीम :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में भारतीय रेलों पर नई चालू की गई अतिरिक्त रेलगाड़ियों की और ऐसी रेलगाडियों की, जिनकी यात्रा की दूरी बढ़ाई गई है पृथक पृथक संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १९५३–५४ और १९५५ में (१५–८–५५ तक) भारतीय रेलों पर ४८८ नई रेलगाड़ियां चालू की गई हैं और मौजूदा ३०४ रेलगाड़ियों की यात्रा की दूरी बढ़ाई गई है ।

रेलों के यात्री डिब्बे

११९. **श्री इब्राहीम :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के पहले चार वर्षों में भारतीय रेलों पर वास्तव में चलाये गये नये यात्री डिब्बों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन यात्री डिब्बों की कुल लागत क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अप्रैल १९५१ से लेकर मार्च १९५५ तक ३,३१७ नये यात्री डिब्बे काम में लाये गये ।

(ख) लगभग ३१.४५ करोड़ रुपये ।

पंजाब में श्रम विवाद

१२०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के केन्द्रीय क्षेत्र में हुए १९५४ में श्रम विवादों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इन विवादों के होने के कारण क्या थे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). १९५४ में पंजाब राज्य के "केन्द्रीय क्षेत्र" उपक्रमों में ३५ विवाद हुये थे । विवादास्पद मामलों का सम्बन्ध सामान्यतः मजूरी, बोनस, वेतनवृद्धि, काम के घंटे तथा नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों को पुनः काम पर लिये जाने आदि बातों से था ।

नये रेलमार्ग

१२१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाविधि में बनाये जाने वाले रेलमार्गों की मीलों में कुल लंबाई कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि में उत्तरी जोन में बनाये जाने वाले रेलमार्गों के नाम क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। द्वितीय योजनाविधि में बनाये जाने वाले नये रेलमार्गों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त सिफारिशों की जांच की जा रही है । बनाये जाने वाले रेलमार्गों की कुल लंबाई द्वितीय योजना में उपलब्ध धन और सामग्री पर निर्भर होगी ।

रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें

१२२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे कर्मचारियों की संख्या और रेलवे अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में क्या अनुपात है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस अनुपात का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इस समय रेलवे अस्पतालों में एक्सरे सैटों, इलेक्ट्रो कार्डियोग्रामों और तंत चिकित्सा एककों की संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) प्रत्येक ३०० रेलवे कर्मचारियों के लिये एक बिस्तर।

(ख) वर्तमान अनुपात, जन साधारण को उपलब्ध अनुपात की अपेक्षा, जो कि प्रति एक हजार व्यक्तियों के लिये ३ है तुलना में बहुत ही अच्छा है। रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की योजना इस समय विचाराधीन है ।

(ग) एक्सरे सेट ६६
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम १०
दंत चिकित्सा एकक १८

इंजिनों की टन मील दूरी

१२३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में संपूर्ण भारतीय रेलों पर इंजिनों द्वारा चले गये टन मीलों तथा सक्रिय सूची पर अच्छे इंजिनों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इंजिनों का औसत कर्षण सामर्थ्य कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख), एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है *[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]* ।

रेलवे में यात्रा दुर्घटनायें

१२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ में अब तक, रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा करने के कारण विभिन्न रेलों पर मृत व्यक्तियों की पृथक पृथक संख्या कितनी है ; और

(ख) रेलगाडियों की छत्तों पर यात्रा करने को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १–१–१९५५ से ३१–१०–१९५५ तक किसी भी रेल पर किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई ।

(ख) रेलों की छत्तों पर यात्रा करने के विरुद्ध यात्रियों को चेतावनी देने के आदेश कर्मचारियों को दिये जा चुके हैं तथा ऐसी यात्रा में निहित खतरों पर जोर देने के लिये प्रचार भी किया जा रहा है ।

चेतावनी के बावजूद भी जो यात्री इस तरह यात्रा करते हैं, उन पर भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९०, की धारा ११८(२) के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है ।

पशुधन का निर्यात

१२५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न-लिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) इस वर्ष जनवरी, १९५५ से कितनी गाय, बैल, भैंस और घोड़ों का इस देश से निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को निर्यात किया गया है और प्रत्येक देश को कितने पशुओं का निर्यात किया गया है ;

(ग) क्या उक्त समय में ऐसे पशुओं का देश में आयात भी हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). एक विवरण साथ नत्थी कर दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९] ।

धान के लिये मूल्य सहायता

१२६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मूल्य में सहायता देने के हेतु उत्तर प्रदेश में धान खरीदने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस भाव पर खरीद करने का निश्चय किया है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले इस खाद्यान्न की परिमात्रा के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) । (क) जी हां ।

(ख) ६–१४–० प्रति मन

(ग) कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । जितनी परिमात्रा भी प्राप्त होगी वह खरीद की जायेगी ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३९८१–४०२२

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१९४	डाक तथा तार प्रक्षिक्षण	३९८१–८३
१९५	पूर्व एशियाई ग्राम पुनः निर्माण सम्मेलन	३९८३-८४
१९६	तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने के लिये स्थान	३९८४–८६
१९८	गवेषणा कार्यक्रम समिति	३९८६–८८
१९९	बाढ़ें	३९८९–९४
२०१	केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन	३९९४–९५
२०४	सरकारी कर्मचारी की एकसरे परीक्षा	३९९५–९७
२०५	बड़े पत्तन	३९९७-९८
२०६	रेलवे में कोयले की चोरी	३९९९–४००१
२०९	विमान यात्रा का किराया तथा वस्तु भाड़ा	४००१–०३
२१०	चारे के भंडार	४००३-०४
२११	सरकस प्रदर्शनकारियों का बीमा	४००४–०६
२१२	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३	४००६-०७
२१३	पर्यटकों के लिये रेल डिब्बे	४००७-०८
२१४	काडला पत्तन	४००९-१०
२१५	डाकखानों में चैक व्यवस्था	४०१०–११
२१६	न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८	४०११–१२
२१७	क्षय रोग	४०१३–१४
२२०	अमृतसर की केन्द्रीय वर्कशाप	४०१४–१५
२२१	चिकित्सा कर्मचारी वृन्द की सेवा निवृत्ति व्यय	४०१५–१६
२२२	गन्ना	४०१६–१८
२२३	न्यूटन चिकली कोयला खान दुर्घटना	४०१८–१९
२२४	एड्रिमा मशीनें	४०१९–२१
२२५	यात्रा संगठनों का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व	४०२१–२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४०२२–५८
१९७	श्रम मंत्री सम्मेलन	४०२२-२४
२००	अफगानिस्तान तक का हवाई भाड़ा	४०२४
२०३	दिल्ली परिवहन सेवा	४०२५
२०७	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना	४०२५
२०८	बम्बई में टेलीफोन	४०२६
२१८	जमाया हुआ दुग्ध	४०२६–२७
२१९	सब्जियों की खेती	४०२७
२२६	रेलों पर विभागीय भोजन व्यवस्था	४०२७–२८
२२७	जनता एक्सप्रेस	४०२७–२९
२२८	फसल प्रतियोगिता	४०२९
२२९	चीनी	४०२९
२३०	खाद्य पदार्थों के स्तरों के लिये केन्द्रीय समिति	४०३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

ता० प्र० संख्या विषय स्तम्भ

२३१ गोरखपुर स्थित उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन सेवा विभाग . . ४०३०

२३२ अमेरिका से घी ४०३०–३१

२३३ पंजाब के लिये आयुर्वेदिक गवेषणा केन्द्र . ४०३१

२३४ विमान वायु सेवाओं का विस्तार . . ४०३१–३२

२३५ टेलीफोन . . ४०३२–३३

२३६ चलते फिरते डाक घर . ४०३३

२३७ विलिंगडन अस्पताल . ४०३३–३४

२३८ रक्त बैंक ४०३४

२३९ अनाज के डिपो ४०३५

२४० टेलीफोन बिल ४०३५–३६

अ० प्र० संख्या

९२ टी० टी० आई (टिकट निरीक्षक . ४०३६–३७

९३ रेलवे दुर्घटना ४०३७

९४ काम दिलाऊ दफ्तर. ४३८०

९५ नर्मदा पुरल ४०३८

९६ नर्मदा पुल . ४०३८

९७ कर्मचारी राज्य बीमा योजना ४०३९–४०

९८ कृषि योग्य पड़त भूमि ४०४१

९९ इन्दौर नगर में टेलीफोन . ४०४१

१०० रेल के डिब्बे ४०४२

१०१ रेलवे कर्मचारी ४०४२–४३

विषय स्तम्भ

१०२ गवेषणा संस्थायें तथा प्रयोगशालायें . ४०४३

१०३ रेल के यात्री डिब्बे और माल डिब्बे ४०४३

१०४ चीनी के कारखाने . ४०४४

१०५ रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण . . ४०४४–४७

१०६ नदियों में भाप से चलने वाले जहाज ४०४७

१०७ औषधि तथा जादुई चिकित्सा . ४०४७–४८

१०८ परसेंडी रेलवे स्टेशन . ४०४८

१०९ जगदीश शुगर मिल्स लि० ४०४८–४९

११० टेलीफोन कनेक्शन ४०४९

१११ भोजन व्यवस्था तथा वस्तु विक्रय कर्मचारी संघ ४०४९–५०

११२ भारतीय खान अधिनियम, १९५२ ४०५०

११३ छोटी और बड़ी लाइन के डिब्बे . . ४०५१

११४ सहकारिता सप्ताह . ४०५१

११५ दुग्धालय संस्थायें ४०५१–५२

११६ नलकूप (ट्यूब वैल) . ४०५२

११७ डाक कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टर ४०५२–५३

११८ ट्रेन सेवायें . ४०५३

११९ रेलों के यात्री डिब्बे . ४०५३–५४

१२० पंजाब में श्रम विवाद . ४०५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१२१	नये रेल मार्ग	४०५४
१२२	रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें	४०५५
१२३	इंजिनों की टन मील दूरी	४०५५
१२४	रेलवे में यात्रा दुर्घटनायें	४०५६
१२५	पशुधन का निर्यात	४०५६–५७
१२६	धान के लिये मूल्य सहायता	४०५७–५८

लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
२५ नवंबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

स्तम्भ

कार्य मंत्रणा समिति—

अठाइसवां प्रतिवेदन ६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक ६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव ६२१५
खंड १ से ४ ६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक ६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६२३८

मनीपुर (न्यायालय) विधेयक ६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव ६२८०
दैनिक संक्षेपिका ६२८९–९२

संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक ६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक ६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न ६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक ६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव ६३००
खंडों पर विचार—
खंड २ से ४६ और १ ६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक ६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव ६३१२

खंडो पर विचार—

खंड २ से ४ और १ ६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव ६३७२
दैनिक संक्षेपिका ६३७३–७६

संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६३७७, ६३८४

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक ६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तों) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक सभा

शुक्रवार, २५ नवम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : विविध सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २
लोक-सभा का दसवां सत्र १९५५

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८
लोक-सभा का नवां सत्र १९५५

[देखिए परिशष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२
लोक-सभा का आठवां सत्र १९५४

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६
लोक-सभा का सातवां सत्र १९५४

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २२
लोक-सभा का छठा सत्र १९५४

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २७
लोक-सभा का पांचवां सत्र १९५३

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३२
लोक-सभा का चौथा सत्र १९५३

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३७
लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ३५
लोक-सभा का दूसरा सत्र १९५२

[दखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]

(१०) अनुपूरक विवरण संख्या ३३
लोक-सभा का पहला सत्र १९५२

[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा २४ नवम्बर, १९५५ को सभा में रखे गये कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

स्अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा २४ नवम्बर, १९५५ को सभा में रखे गये कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : जब सरकारी भूगृहादि निष्कासन (संशोधन) विधेयक रखा गया था तो कार्य मंत्रणा समिति ने इस शर्त पर इसे रखा था कि यह बाद में देखा जायगा कि इसे इसी सत्र में पास करना आवश्यक है या नहीं। मैं देख रही हूं कि अब यह विधेयक सूची में सब से पहले रखा गया है और इसके लिए समय भी निश्चित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्या भ्रम में पड़ रही हैं। उस समय यह कहा गया था कि समय निश्चित किया जा सकता है, परन्तु इस पर विचार कब हो यह सभा की सुविधा के अनुसार तय किया जायेगा । समय निश्चित किये जाने का अर्थ यह नहीं कि इस पर इसी सत्र में विचार किया जायेगा ।

श्री **कामत** (होशंगाबाद): मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि समिति के प्रतिवेदन के पैरा (परिच्छेद) २ में उसकी सिफारिश हैं और पैरा ३ में सुझाव । सुझावों में उतना बल नहीं होता जितना कि सिफारिशों में ।

अध्यक्ष महोदय : सुझाव क्या हैं ?

श्री **कामत** : प्रतिवेदन के पैरा ३ में यह सुझाव दिया गया है कि सभा की बैठकें शनिवार १७ दिसम्बर को भी हो और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निश्चित दो शुक्रवारों अर्थात् १६ और २३ दिसम्बर को वह कार्य न किया जाय ।

मुझे याद है कि पिछले सत्र में भी गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निश्चत एक दिन हटाया गया था और उस समय आपने कहा था कि यह भविष्य के लिए एक उदाहरण नहीं बनेगा इस लिए प्रश्नोत्तर काल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निश्चित दिन को हटाना नहीं चाहिए । दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिस क्रम में विधेयकों पर विचार किया जाना हो उसकी सूचना हमें सोमवार को दे दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने प्रश्नोत्तर काल हटाने की सिफारिश नहीं की है। जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का सम्बन्ध है, मुझे समिति की सिफारिश और सुझाव में कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ता । सभा चाहे तो इसे स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार कर दे। समिति ने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की तुलना में अन्य कार्य के महत्व पर ध्यान देने के बाद ही यह सुझाव दिया है कि उपरोक्त दो दिनों में गैर-सरकारी कार्य न किया जाय । यह इसलिए किया गया है कि सभा के पास राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय रहे ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : पिछले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निश्चित दिन घटा दिए गये थे । अब भी ऐसा किया जा रहा है और भविष्य में में भी कोई-न-कोई महत्वपूर्ण सरकारी काय होगा ही । यह तो बड़ा खतरनाक उदाहरण बनता जा रहा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि हम इस सुझाव को छोड़ कर बाकी का प्रतिवेदन स्वीकार कर लें ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) कार्य मंत्रणा समिति ने औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक के लिए समय नियत नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की राय यह थी कि इस विधेयक पर इस सत्र में विचार न किया जाय । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के लिए ५४ घण्टे का समय नियत किया गया है, इसलिए समिति

ने सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी दिन सभा की बैठक एक घण्टे तक अधिक हो। क्योंकि छै या सात दिन तक एक घण्टा अधिक बैठना पड़ेगा इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कार्य न किया जाय। अन्यथा सभी दिन देर तक बैठना पड़ेगा। सदस्य स्वयं तो अधिक देर तक नहीं बैठना चाहते परन्तु उन्हें सचिवालय के कर्मचारियों का ध्यान नही जिन्हें सभा की बैठक समाप्त हो चुकने के बाद कई घण्टे तक बैठना पड़ता है। एक भी संसदीय पत्र सदस्यों के पास न पहुंचे तो फौरन शिकायत की जाती है। मेरा विश्वास है कि संसद् को अपने कर्मचारियों से काम लेने के बारे में उदाहरण बनाना चाहिए तभी उसके लिए श्रम सम्बन्धी विधान बनाना उचित होगा। मैं यह नहीं कहता कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का कोई महत्व नहीं परन्तु सरकारी कार्य भी तो सभा का कार्य है। सरकारी कार्य को पूर्ववर्तिता दी गयी है परन्तु यदि आप चाहते हैं कि अधिक काम हो तो उसके लिए कोई और ढंग निकालिए। अगले वर्ष में तीन सत्र हैं। उन दिनों हमें और अधिक बैठना पड़ेगा और सत्र भी लम्बे होंगे।

मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिनों में २ १/२ घण्टे अधिक बैठिए और ग़ैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दो की बजाय एक दिन रखिए। हम १६ तारीख को ग़ैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन रख सकते हैं क्योंकि दूसरा दिन २३ तारीख को होगा और हमें राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के समय को कम नहीं करना चाहिए। यदि सभा को यह स्वीकार हो तो हम समिति प्रतिवेदन में यह संशोधन कर सकते हैं कि १६ तारीख को ग़ैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन रहने दिया जाय और समय की यह कमी कुछ दिनों को अधिक देर तक बैठकर पूरी कर ली जाय। शुक्रवार २३ तारीख को ग़ैर- सरकारी सदस्यों का कार्य न रखा जाये।

श्री कामत : मेरा सुझाव है कि आवश्यक हो तो केवल २३ तारीख को ही गैर-सरकारी सदस्यों का दिन न रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय : इस का मतलब यह होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर पूरे ५४ घण्टे तक विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि यह बीच का सुझाव स्वीकार हो तो .....

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष महोदय : तो कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन इस संशोधित रूप में सभा के सामने है कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों का कार्य दो दिन न रखने की बजाय केवल एक दिन अर्थात् २३ दिसम्बर को न रहे।

श्री कामत : अस्थायी रूप से।

अध्यक्ष महोदय : यह तो निश्चित रूप से तय हो गया है।

श्री कामत : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाय। बाद में देखा जायगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : सारी कार्यसूची नहीं बताई गयी।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है परन्तु आज चार बजे समिति की बैठक फिर होगी और वह २३ तारीख तक, यथासम्भव, सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नियत करने की चेष्टा करेगी। समिति ने यह बात तो तय कर ली है कि सत्र २३ तारीख को अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री फीरोज़ गांधी (जिला प्रतापगढ़–पश्चिम व जिला राय बरेली–पूर्व) : बीमा (संशोधन) विधेयक का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन में जिस कार्य का उल्लेख नहीं है, समिति उस पर विचार करेगी और यह तय करेगी कि उसमें से पहले किस पर विचार किया जाय।

श्री फीरोज़ गांधी : मैं तो यह कहना चाहता था कि इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है और यह निश्चित काल में संसद् के सामने आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्तिः समिति को इस बात का पता है। इस प्रश्न पर समिति ने इसलिए विचार नहीं किया है कि अभी विधेयक पुरःस्थापित ही नहीं किए-गए। सरकार से कहा गया है कि वह यथा-शीघ्र विधेयक पुरःस्थापित करे जिससे कि विधेयकों के लिए समय नियत किया

मैं अब प्रश्न-सभा के सामने रखूंगा। मेरा विचार है कि सभा मेरे इस सुझाव से सहमत है कि शुक्रवार १६ दिसम्बर को ग़ैर सरकारी सदस्यों का कार्य किया जाय और राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के लिए नियत ५४ घाटों में से इस प्रकार हुई ढाई घण्टे की कमी को पूरा करने के लिए सभा ऐसे दिनों को, जिन की घोषणा समय-समय पर अध्यक्ष करे, अधिक देर तक बैठे।

माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा २४ नवम्बर, १९५५ को सभा में रखे गये कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से, निम्न रूपभेदों के साथ, सहमत है :
>
> (१) कि शुक्रवार १६ दिसम्बर, १९५५ ग़ैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत दिन को न हटाया जाय ;
>
> (२) कि इस प्रकार, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के लिए नियत ५४ घण्टों के समय में ढाई घण्टे की जो कमी पड़ेगी उसे सभा, ऐसे दिन जिनकी घोषणा समय-समय पर अध्यक्ष करे, देर तक बैठ कर पूरी करेगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पर फिर खण्डवार विचार प्रारम्भ करेगी। इस विधेयक के लिए नियत १३ घण्टों में से १० बीत चुके हैं। क्योंकि एक घण्टा विधेयक के तीसरे पाठ के लिए नियत हुआ है इसलिये खण्डवार विचार २ बजे तक होगा।

खण्ड ६--सदस्यों के सेवा-पद और शर्तें

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस खण्ड के संशोधनों का सम्बन्ध है मैं उन सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिन्होंने संशोधनों की पूर्व-सूचनाएं दे रखी हैं। श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी का संशोधन संख्या ३९ है और वे उपस्थित नहीं है। संशोधन संख्या ८ : श्री श्री नारायण दास।

श्री श्रीनारायण दास : (दरभंगा मध्य) : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ३ पर पंक्ति में "६ वर्ष" के स्थान पर "४ वर्ष" रखा जाय।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ३ में पंक्ति १० से १५ के बीच में पहले की बजाय यह रखा जाय कि आयोग में पहली बार काम करने वाले सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष के बाद यथा शीघ्र रिटायर हो जायेंगे।

श्री श्रीनारायण दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २१—

अन्त में जोड़ दिया जाय :

"and a member so appointed shall hold office for the remaining period for which the member in whose place he is appointed would have held office"

["और इस प्रकार नियुक्त कोई सदस्य उस अवशिष्ट कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, पद धारण करता "]

श्री वी० पी० नायर : मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ३ पर पंक्ति २२ और २३ में "चेयरमैन" ["सभापति"] के स्थान पर "सेक्रेटरी" ["सचिव"] शब्द रखा जाय।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरु मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २२ " shall be a" ["होगा"] के बाद " whole time and" ["पूरे समय का और"] रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय : तो इस खण्ड में संशोधन संख्या ८, ४१, ९, ४३ और १० हैं।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : तो मेरा संशोधन ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। जब माननीय सदस्यों का नाम पुकारा जाय तो उन्हें उपस्थित होना चाहिए। मैंने सदस्यों के नाम पुकारे थे और संशोधन संख्याएं भी बताई थीं।

श्री मात्तन : मैं यहीं था। मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) उठे--

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि मैंने नाम पुकारा था। परन्तु चूंकि यह पहला ऐसा अवसर है इसलिये मैं उन्हें अनुमति देता हूं। परन्तु भविष्य में उन्हें सावधान रहना चाहिए। श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन संख्या ३९ है और श्री मात्तन--संशोधन संख्या क्या है ?

श्री मात्तन : ३०, ३३ और ३८।

अध्यक्ष महोदय : कौन से खंड में हम तो खन्ड ६ पर विचार कर रहे हैं।

श्री मात्तन : खन्ड ५।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): संशोधन सख्या ३७, ३३ और ३८ तो कल निबटाये जा चुके हैं।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : मेरा संशोधन यह है के पृष्ठ ३ पंक्ति ९ में "छै वर्ष' के स्थान पर "तीन" वर्ष रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के सामने हैं।

श्री श्री नारायण दास : खण्ड ६ के उप-खण्ड (१) में कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य ६ वर्ष तक सदस्य रहेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरे संशोधन संख्या ८ का उद्देश्य यह है कि इस अवधि को ४ वर्ष कर दिया जाय जिस से कि नये लोग आयोग में आ सकें।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मेरे संशोधन संख्या १० का उद्देश्य यह है कि आयोग का अध्यक्ष पूरा समय काम करने वाला हो। मालूम होता है कि गलती से ये शब्द रह गये हैं। वह वैतनिक अधिकारी हो, यह तो मूल खण्ड में है, परन्तु साथ ही यह भी होना चाहिए कि वह पूरा समय काम करने वाला अधिकारी हो।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा संशोधन सीधा साधा है जिसका तात्पर्य यह है कि आयोग की सदस्यता की अवधि ६ वर्ष की बजाय ३ वर्ष होनी चाहिए।

इसके प्रस्तावित करने का कारण यह है कि अवधि अधिक होने से यह खतरा है कि चाहे आयोग ठीक तरह कार्य करे या न करे उसको बीच में समाप्त नहीं किया जा सकेगा। इसका और कोई उपाय नहीं।

हम जानते हैं कि विभिन्न लोक-सेवा आयोग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। उनकी अवधि काफी लम्बी है किन्तु वे संविहित निकाय हैं जिनकी रचना संविधान के अन्तर्गत की गई है। उनकी अवधि तथा आयु की सीमा निश्चित हैं किन्तु फिर भी लम्बी अवधि होने के कारण कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। एक कठिनाइ यह है कि

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

यद्यपि आयोग के कुछ सदस्य अयोग्य सिद्ध होते हैं फिर भी सरकार द्वारा उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अस्तु, मैं महसूस करता हूँ कि कम अवधि अच्छी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। क्या माननीय सदस्य का एक परिनियमित निकाय के संबंध में यह कहना उचित है कि वह असफल सिद्ध हुआ है और हम असमर्थ हैं? यह सही नहीं है। उस पर महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए ऐसा तर्क रखना ठीक नहीं है। क्या माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि कुछ न्यायाधीश असफल सिद्ध हुए हैं और हम उन्हें हटाने में असमर्थ हैं? ऐसे उच्च पदाधिकारियों के संबंध में हम ऐसा नहीं कह सकते। अन्यथा यह भी कहा जा सकेगा कि सरकार आयोग्य है, हर कोई असमर्थ है; इसलिए एक वर्ष या तीन वर्ष की अवधि रखी जाय। क्या यह समय किसी विशेष संविहित निकाय के कार्य की जांच करने का है ? मान्य सदस्य को उदाहरण के रूप में संविहित निकायों का उल्लेख नहीं करना चाहिये जैसे कि उनके विरुद्ध अपराध और अक्षमता के दोष सिद्ध हो चुके हों। वह इतना कह सकते हैं कि छः वर्ष की अवधि बहुत अधिक है इसलिये तीन वर्ष की अवधि रखी जाये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैंने लोक सेवा आयोग के विरुद्ध कोई निन्दात्मक शब्द नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी कहा था कि आयोग की अक्षमता सिद्ध हो चुकी है। उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में एक निश्चित प्रक्रिया है और राज्यों के सेवा आयोग हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आते।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं समझता था कि इससे मेरे तर्क को बल मिलेगा किन्तु क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय ने इसे अपवाद माना है अतः मैं इसे नहीं लेता। मेरा सुझाव यह है कि छः वर्ष की अवधि बहुत अधिक है, इसलिये इसके स्थान पर तीन वर्ष की अवधि रखी जानी चाहिये। इस विषय पर शांत चित्त से विचार किया जाये और मैं अपील करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

श्री वी० पी० नायर : मेरे संशोधन का यह भाव है कि तीसरे वर्ष की समाप्ति पर आधे सदस्य सेवानिवृत्त न होकर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर एक तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त होने चाहियें।

विधेयक में इस आयोग के लिये उचित व्यक्तियों को चुनने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वे कुछ शर्तों पर, जो अति व्यापक हैं, सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाएंगे।

सरकार द्वारा तीन उपकुलपति नाम-निर्देशित किये जाएंगे। मैं किसी विशेष विश्वविद्यालय या उपकुलपति का नाम नहीं लेना चाहता, किन्तु यह सच है कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा था तो कुछ उपकुलपतियों ने सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठा लिये थे और फ्रांस तथा बेल्जियम आदि देशों में अपने दूत भेजने पर प्रयत्न कर रहे थे। कुछ उपकुलपति पूरे समय के दो दो पदों को संभाले बैठे हैं। कुछ उपकुलपति संसद् के भी सदस्य बने हुए हैं।

इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि कि सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों की पदावधि को घटाया जाये। चाहे डा० एम० एम० दास के कितने भी ऊंचे विचार क्यों न हों, किन्तु संभव है इस आयोग के लिये कुछ ऐसे व्यक्ति चुने जायें जिन्हें वर्षों तक सरकार संबंधी कार्यों से दूर रखना ही वांछनीय है। इसलिये मैंने यह सुझाव रखा है कि यदि प्रति दो-वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य निवृत्त कर दिये जायें, तो यह बुराई कुछ कम हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि खण्ड ६ के उप खण्ड (१) के परन्तुक में "इस अधिनियम के अधीन बनाय गये नियमों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया" क स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये निवनियमनों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया" कर दिया जाये ।

दो वर्ष के बाद सदस्यों को निवृत करने का एक लाभ यह होगा कि अधिक उपयुक्त तथा अधिक क्षमता वाले लोग उपलब्ध हो सकेंगे जो उस समय के अनुकूल शिक्षा की प्रगति की देख-रेख कर सकें । अतः मैं यह संशोधन सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) छः वर्ष की अवधि बहुत लंबी है और निर्वाचन का कोई सिद्धान्त न होने के कारण इतने लंबे समय के लिये नियुक्त सदस्यों से यह आयोग निहित स्वार्थ व्यक्तियों का निकाय बन कर रह जायेगा और इसका काम ठीक ढंग से नहीं चल सकेगा । इसलिये इसकी अवधि चार वर्ष होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि तीन वर्ष के बाद आधे सदस्य निवृत्त करने की बजाये प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर एक तिहाई सदस्य निवृत्त कर दिये जाएं ।

इस आयोग का सभापति पूरे समय के लिये और वेतन पाने वाला व्यक्ति होना चाहिये । यदि सभासचिव ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है तो उन्हें अब इसे स्वीकार कर लेना चाहिये । सभापति की सेवा की शर्तें भी इन नियमों में दी जानी चाहिये । अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि छः वर्ष की इस लंबी अवधि को घटा देना चाहिए ।

डा० एम० एम० दास : मुझे इस बात का खेद है कि मैं श्री श्रीनारायण दास का संशोधन संख्या ८ स्वीकार नहीं कर सकता, कि छः वर्ष के स्थान पर सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष कर दिया जाये । माननीय सदस्य ने यह युक्ति दी है कि नवीन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर देना चाहिये किन्तु इस मामले में हमारा लगातार अनुभव से प्रयोजन है । इसलिय मैं इस विषय में कोई संशोधन स्वीकार करने की असमर्थता प्रकट करता हूं ।

संशोधन संख्या ९ को हम स्वीकार कर रहे हैं क्यों कि इसमें केवल शाब्दिक परिवर्तन करने की ही चेष्टा की गई है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार के संशोधन संख्या १० के बारे में मैं कह ही चुका हूं कि सरकार इसे स्वीकार कर रही है ।

संशोधन संख्या ८, ३९, और ४१ सभाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २१ अन्त में जोड़ दिया जाये:

"and a member so appointed shall hold office for the remaining period for which the member in whose place he is appointed would have held office"

[और इस प्रकार नियुक्त कोई सदस्य उस अवशिष्ट कालावधि तक पदधारण करेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, पद धारण करता ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति २२, "shall be a" (होगा) के पश्चात् "whole time and" (पूरे समय का और) रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मैं खण्ड ६ के उपखण्ड (४) पर पर बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने खण्ड तथा उप-खण्डों सम्बन्धी समस्त संशोधनों को सभा के सामने रख दिया था । माननीय सदस्य उस

[उपाध्यक्ष महोदय]

समय बोल सकते थे । भविष्य में यह नियम रहेगा कि यदि कोई उपखण्ड बड़े महत्व के होंगे, तो उन पर पृथक् विचार किया जाएगा, अन्यथा समस्त खण्ड और उपखण्डों सम्बन्धी संशोधनों को इकट्ठे ही सभा के सामने चर्चा और मतदान के लिये रखा जाया करेगा । यदि माननीय सदस्य अब बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेलूर) : वह उपखण्ड (४) का विशेष निर्देश करते हुए समस्त खण्ड पर बोलना चाहते थे । उन्हें यह ख्याल था कि संशोधनों के निपटारे के उपरांत खण्ड पर सामान्य चर्चा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : भविष्य में याद रहे कि अधिक संशोधनों वाला और बड़े महत्व का उपखण्ड सब से पहले लिया जाया करेगा और उसके उपरांत समस्त खण्ड और उपखण्ड सम्बन्धी संशोधन चर्चा और मतदान के लिये इकट्ठे प्रस्तुत किये जाया करेंगे ।

श्री मेघनाथ साहा : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली है कि सभापति पूरे समय के लिये और वेतन पाने वाला व्यक्ति होगा और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी होगा ।

अन्य सदस्यों के दर्जे, वेतन आदि के बारे में कोई निश्चित बात होनी चाहिये थी, परन्तु इसे बहुत अपस्ष्ट रखा गया है ।

खण्ड १२ में आयोग को बहुत से काम और कर्तव्य सौंपे गये हैं, किन्तु विधेयक में कहीं भी नहीं कहा गया कि ये काम किये जायेंगे ।

अन्य सदस्य कौन ? और कौन निर्धारित करेंगे ? इन बातों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सेवा की शर्तें निर्धारित की जायेंगी ।

श्री मेघनाद साहा : किस के द्वारा और किस प्रकार ?

उपाध्यक्ष महोदय : अधिनियमान्तर्गत नियमों के द्वारा ।

श्री मेघनाद साहा : यदि इस आयोग को कुछ काम करना है तो इसे शासकीय निकाय ही बन कर नहीं रह जाना चाहिये, अपितु इसे विश्वविद्यालय सम्बन्धी सब प्रकार की शिक्षा के सभी पहलुओं का अध्ययन करना होगा ।

उपाध्यक्ष महादय : यह आयोग का काम है । सब की सेवा की शर्तें समान होंगी और आयोग का काम तथा कर्तव्य और होगा । माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि केवल निरीक्षण का काम न होकर, इस में कुछ अन्य सदस्य जो वैज्ञानिक आदि हैं, अधिक उपयोगी काम करें । वह यह उपबन्ध विधेयक में करना चाहते हैं, किन्तु इस के लिये यह उपयक्त स्थान प्रतीत नहीं होता ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : पूरे समय के लिये काम करने वाले कुछ और सदस्यों के बारे में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है । डा० साहा का यह सुझाव है कि कुछ और सदस्य भी पूरे समय के लिये होने चाहियें और इसके लिये वह चाहते हैं कि नियम बनाते समय यह भी उपबन्ध किया जाना चाहिये कि आवश्यकता के समय पूरे समय के लिये और सदस्य भी नियुक्त किय जा सकेंगे । यह अच्छा विचार है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्री मेघनाद साहा : इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिये मैं श्री चेटिट्यार को धन्यवाद देता हूं और यह जानना चाहता हूं कि सदस्यों की क्या अर्हतायें होनी चाहियें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह बा नियमों में आ जायेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कल डा० साहा के संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया था वह संतोषजनक

नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे समय के लिये एक व्यक्ति को रखना चाहती है और उसे अपनी इच्छानुसार वेतन देगी। यदि डा० साहा के सुझाव के अनुसार पूरे समय के लिये कई व्यक्ति रखे जायेंगे तो उन सब के वेतन क्रम सभापति के बराबर होंगे। फिर अन्तर क्या है। हम भी यही चाहते हैं कि यह कार्यपालिका निकाय हो और सभापति के अतिरिक्त ४ विशेषज्ञ तथा अन्य सदस्य हों। माननीय मंत्री ने कल कहा था कि कुछ अनुभव प्राप्त करने के उपरांत डा० साहा के सुझाव पर विचार करेंगे। यदि आप खण्ड १२ के अनुसार काम चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति नियुक्त कीजिये, किन्तु सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है। यदि उचित लोग न चुने गये तो यह सारा प्रयास बेकार जायेगा इसलिये राष्ट्र के भाग्य का निर्णय करने का काम अच्छे और उपयुक्त लोगों के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। सरकार का विचार डा० साहा के विचार से बिलकुल भिन्न है। अब हम खण्ड १२ में से कुछ काम घटा कर इस आयोग को केवल वाद-विवाद करने वाली संस्था बना सकते हैं और कार्य-पालिका नहीं। इससे देश को कुछ लाभ हो सकता है। डा० साहा को संशोधन रखना पड़ेगा और यदि उनका अर्थ कार्य से है तो खण्ड ५ में परिवर्तन करना होगा। किन्तु सरकार इस ढंग से काम नहीं करना चाहती। इसलिये मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये, क्यों कि ऐसा न करने पर, खण्ड १२ के अधीन सौंपे गये काम और यह आयोग बिलकुल बेकार हो जाएंगे।

श्री मेघनाद साहा: देश में अधिक इंजनीयरों और शिल्पिकों की आवश्यकता है किन्तु इस शिक्षा का विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत नीचा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय इस खण्ड के विस्तार से संगत नहीं है। सदस्यों के वेतन की राशि और उनके कार्यकाल की अवधि निश्चित करने का यहां कोई प्रयास नहीं किया गया है। योग्यताएं और कर्त्तव्य खण्ड १२ में दिये जा चुके हैं। खण्ड ५ के संबंध में जो कुछ कहा जाना था कहा जा चुका है। जब हम खण्ड १२ पर आएंगे तो यदि वे काम आयोग को सौंपने होंगे तो खण्ड ५ में वर्णित श्रेणियों के लोगों में से और अधिक व्यक्ति नियुक्त करने पड़ेंगे। तब सदस्यों को इस विषय पर बोलने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेगा।

तब श्री वी० पी० नायर का संशोधन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड छः संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया। खंड ७ से ११ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १२ (आयोग के कृत्य)

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड के संबंध में कौन-कौन से संशोधन हैं।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार : मेरा संशोधन संख्या १२ है।

श्री क० सी० सोधिया (सागर) : मेरा संशोधन संख्या ३ है।

श्री श्रीनारायण दास : मैं संशोधित रूप मे संशोधन संख्या १३ तथा संशोधन संख्या ७० और ११ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री बी० के० दास (कंटाई) : मेरा संशोधन संख्या ४६ और ७१ हैं। संशोधन संख्या ७१ की सूचना मैंने आज दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इसको स्वीकार कर रही है। इसके उपरांत मैं इस प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दूंगा।

डा० एम० एम० दास : सरकार संशोधन संख्या ७१ को स्वीकार करने को तैयार है।

श्री वी० पी० नायर : मेरा संशोधन संख्या ६९ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब खंड १२ के साथ-साथ इन संशोधनों पर विचार करेगी । चर्चा इन संशोधनों, सभी उपखंडों और खंड पर समूचे रूप से होगी । अन्त में संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे जायेंगे । अब संशोधन संख्या १ प्रस्तुत किया जाय ।

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्तियां २३ से २९ के स्थान पर रखा जाये :

"(b) allocate and disburse, out of the Fund of the Commission, grants to Universities established or incorporated by or under a Central Act for the maintenance and development of such Universities or for any other general or specified purpose ;

(bb) allocate and disburse, out of the Fund of the Commission, such grants to other Universities as it may deem necessary for the development of such Universities or for any other general or specified purpose :

Provided that in making any grant to any such University, the Commission shall give due consideration to the development of the University concerned, its financial needs, the standard attained by it and the national purposes which it may serve."

["(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अतर्गत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों को उन विश्वविद्यालयों के संधारण और विकास के लिये या किसी अन्य सामन्य या निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये, आयोग की निधि में से अनुदान आवंटित कर सकेगा और भुगता सकेगा,

(खख) अन्य विश्वविद्यालयों को उन विश्वविद्यालयों के विकास के लिये या किसी अन्य सामान्य या निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये, आयोग की निधि में से अनुदान, जो वह ठीक समझे आवंटित कर सकेगा और भुगता सकेगा:

परन्तु किसी ऐसे विश्वविद्यालय को कोई अनुदान देने में, आयोग संबंधित विश्वविद्यालय के विकास, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं, उसके द्वारा अर्जित स्तर और राष्ट्रीय प्रयोजनों पर, जो इससे सिद्ध हो सकता है, उचित विचार करेगा"]

यह उपबन्ध ठीक उसी प्रकार का है जैसा कि विधेयक में पहले से विद्यमान है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : बिल्कुल ठीक ऐसे ही संशोधन संयुक्त समिति के समक्ष रखा गया था और उस समिति के अध्यक्ष ने उसे विधेयक के क्षेत्र से परे बता कर नियम विरुद्ध घोषित किया । विधेयक की प्रस्तावना में केवल विश्वविद्यालयों में स्तरों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है किन्तु अब सरकार केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों को पोषण भी इसम सम्मिलित करना चाहती है । इस विषय में मूल विधेयक में तथा संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये विधेयक में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि केन्द्र द्वारा प्रशासित कुछ विश्वविद्यालयों के पोषण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया खर्च इस विधेयक के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये । अतः यह एक नयी कल्पना इस संशोधन के रूप में नहीं रखी जानी चाहिए ।

संयुक्त समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ २५ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सरकारी संशोधन विधेयक के क्षेत्र से परे समझा गया है । अब वही संशोधन अन्तिम पैरा के चार शब्द निकाल कर फिर सभा के समक्ष रखा गया है ।

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : यह संशोधन संयुक्त समिति में

प्रस्तुत किया गया था और अध्यक्ष ने उसे नियम विरुद्ध घोषित किया । मैंने उस विषय पर चर्चा भी की किन्तु सदस्यगण इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और अन्त में वह बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। बाद में अध्यक्ष ने इजाजत दी कि यदि सरकार चाहे तो वह सभा में संशोधन प्रस्तुत कर सकती है और इसलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है ।

इस संशोधन का आशय इस विधेयक के क्षेत्र से परे नहीं है । विधेयक में आयोग का कार्य यह निर्धारित किया गया है कि वह आयोग की निधि में से सामान्य अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान दे सकता है । अतः विश्व विद्यालयों के विकास और वृद्धि के लिये अनुदान दिये जा सकते हैं । इसी तरह विश्व-विद्यालयों के बनाए रखने के लिये भी अनुदान दिये जा सकते हैं । अतः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का पोषण मैं इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर नहीं समझता ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: औचित्य प्रश्न यह है कि इस विधेयक से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को विशिष्ट अथवा सामान्य उद्देश्यों के हेतु अनुदान दिये जाने के लिये अधिकार दिया गया है । यह बात ठीक है कि संयुक्त समिति के अध्यक्ष ने इस संशोधन को नियम-विरुद्ध घोषित किया था । श्री रामचन्द्र रेड्डी ने जो तथ्य सभा के समक्ष रखे हैं वे भी ठीक हैं किन्तु आज प्रश्न यह है कि यह नयी कल्पना विधेयक के क्षेत्र से परे है अथवा नहीं ।

वर्तमान खंड के अनुसार, पोषण अनुदानों के लिये कोई उपलब्ध नहीं है । इस संशोधन में किसी विशिष्ट उद्देश्य का उदाहरण देने का प्रयत्न किया गया है और वही पोषण अनुदान है । केन्द्रीय विश्वविद्यालय केवल चार हैं—जबकि शेष सभी राजकीय विश्वविद्यालय हैं । सम्भव है कि इस उपबन्ध से भारत सरकार आयोग की निधि में से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता दे । अतः हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग अधिक अच्छा समझा । किन्तु सरकार का यह दृष्टिकोण रहा कि चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान इस आयोग के द्वारा दिये जायेंगे, पोषण अनुदान का विषय भी उसी पर छोड़ दिया जाय । इस प्रकार पोषण अनुदान एक विशिष्ट उद्देश्य है । अतः मैं इसे विधेयक के क्षेत्र के परे नहीं समझता । यदि उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखा जाय, तो भी मैं विधेयक के क्षेत्र के बारे में कोई कठिनाई नहीं पाता । आगे इस बारे में कि पोषण अनुदान सम्मिलित किये जाने चाहियें या नहीं और क्या भारत सरकार इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ये अनुदान अलग से दिया करे,यह एक भिन्न विषय है । अतः औचित्य प्रश्न में भी मेरे विचार से कोई सार नहीं है । ये पोषण अनुदान भी केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये हैं । अतः यह विषय इस विधेयक के क्षेत्र से परे नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : खंड १२ को पढ़ने पर औचित्य प्रश्न और अधिक स्पष्ट हो जायगा । वर्तमान संशोधन में "maintenance of standards" (स्तरों को बनाये रखना) शब्दों के बजाय "maintenance and development of such universities" (ऐसे विश्व-विद्यालयों को बनाये रखना और विकास) शब्द रखे गये है ; विश्वविद्यालयों को बनाये रखना स्तरों को बनाये रखने से बिलकुल भिन्न है । यहाँ पर केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों पर अधिक जोर दिया गया मालूम होता है जब कि खंड १२ में सभी वि श्व-विद्यालयों में स्तरों को बनाये रखने का उल्लेख हैं अतः अधिकतर धन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बनाये रखने में खर्च होगा और तब शेष धन अन्य विश्वविद्यालयों में स्तर आदि बनाये रखने के सामान्य उद्देश्य के लिये वितरित किया जायगा । उद्देश्य और कारणों के विवरण तथा खंड १२ के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को एक समान समझा जाना

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चाहिये था और सभी विश्वविद्यालयों में अध्यापन-स्तरों को बनाये रखने को प्रोत्साहन देना था। इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास के लिये सर्वप्रथम धन देना है और बाद में बचा हुआ धन अन्य कार्यों के लिये खर्च करना है। इस प्रकार मूल आधार ही बदल जायगा जिसके लिये कि आयोग नियुक्त किया जा रहा है। अतः मैं औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस संशोधन के लिये अनुमति न दी जाय।

श्री वी० पी० नायर : मैं एक भिन्न आधार पर इस औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूँ। मेरी आपत्ति प्रक्रिया नियम के आधार पर है। लोक-सभा के प्रक्रिया नियम के नियम ३२६ उपनियम (३) में कहा गया है कि "किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किये गये पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।" यहाँ संयुक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा पूर्व विनिश्चय किया गया है जिसके अनुसार संशोधन के लिये अनुमति नहीं दी गयी है। अतः यह एक ऐसा विषय है जिसका निर्णय संसद् की एक समिति द्वारा किया जा चुका है। अतः उससे अलग कोई निश्चय करना अथवा यह संशोधन स्वीकार करना असंभव है। मेरी आपत्ति केवल यही है कि यह संशोधन पूर्व विनिश्चय से असंगत है और इसलिये यह नियमों के अधीन ग्राह्य नहीं है।

श्री श्यामनंदन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : अब मुख्य प्रश्न यह है कि किसी विश्वविद्यालय का पोषण सामान्य उद्देश्य के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं। इसी प्रश्न के आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि यह संशोधन विधेयक के क्षेत्र से पर होने के कारण नियम विरुद्ध घोषित किया जाना चाहिये अथवा नहीं। मेरी अपनी धारणा यह है कि सामान्य उद्देश्य एक बहुत विस्तृत शब्द है और उसमें विश्वविद्यालयों का पोषण भी आ जाता है। अतः इस आधार पर संशोधन नियमविरुद्ध नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि क्या पोषण को बिलकुल निकाल देना उचित होगा। हम सभी अभी तक इसी बात पर बराबर जोर देते रहे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जितना कम हस्तक्षेप हो अथवा उसकी शक्तियाँ जितनी कम हों उतना ही अधिक अच्छा होगा। अब यदि हम यह कहें कि इन विश्वविद्यालयों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे पोषण अनुदान दिये जाने पर हस्तक्षेप की शक्ति रहने दी जाय तो यह उचित नहीं होगा। अतः मेरी अपनी राय यह है कि जहां तक इन विश्वविद्यालयों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप भले ही रहे किन्तु उनका पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हाथ में न चला जाय।

मेरा अंतिम निवेदन यह है कि देश की वित्तीय दशाओं को और विशेषकर समाजवादी ढंग के लक्ष्य को देखते हुए विश्वविद्यालयों को धनिक वर्गों से अगले दो ही तीन वर्षों में उतनी सहायता भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जायगा जो अब उन्हें मिल रही है। अतः उन्हें अपने पोषण के लिये भी सरकार पर ही अधिकाधिक निर्भर होना पड़ेगा। अतः सभा द्वारा यह नियम बनाया जाना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई पोषण भत्ता नहीं देगा, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। इन तीन बातों के आधार पर मेरे विचार से न केवल यह संशोधन प्रस्तुत करना वरन् इस पर गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण विचार करना भी वांछनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : सीधी बात यह है कि यह संशोधन विधेयक के क्षेत्र के परे है अथवा नहीं और यदि है, तो क्या किया जाना चाहि।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह संशोधन निश्चय ही विधेयक की सीमा के बाहर है तथा मैं औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूं । ऐसा ही एक संशोधन संयुक्त समिति में भी पेश नहीं करने दिया गया था । जहां तक विश्वविद्यालयों के संधारण का प्रश्न है, सरकार के लिये यह एक सरदर्द है । इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों के प्रश्न को क्यों घसीटा जा रहा है । केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों के प्रश्न की बात चलाना बिल्कुल असंगत है । अतः मैं समझता हूं कि इस संशोधन को नियमविरुद्ध ठहराया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न पर कितने सदस्य बोलने वाले हैं ?

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं संशोधन पर बोलना चाहता हूं, औचित्य प्रश्न पर नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब उन्हें बाद में बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रूखाबाद उत्तर) : मैं आप का ध्यान खण्ड १२ की पंक्ति ३ की ओर आकर्षित करता हूं । उसमें विकास (प्रॉमोशन) शब्द का प्रयोग किया है । मैं समझता हूं कि इसमें संधारण भी सम्मिलित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १ सरकारी संशोधन है आपत्ति की गई है कि यह संशोधन विधेयक की सीमा के बाहर है क्योंकि विधेयक तो विश्वविद्यालयों के एकरूपीय अधिमान्य अथवा समन्वय के सम्बन्ध में है जब कि यह संशोधन केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों के प्रतिदिन के संधारण से सम्बन्धित है । यह भी कहा गया है कि जब ऐसा ही संशोधन संयुक्त समिति द्वारा नियमविरुद्ध ठहराया जा चुका है तो उसे दुबारा पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । दूसरी आपत्ति यह की गयी है कि किसी संशोधन की ग्राह्यता के सम्बन्ध में एक प्रक्रम पर किये गये निश्चय को किसी अन्य प्रक्रम पर दोहराने की अनुमति नहीं है ।

जहां तक इन दोनों आपत्तियों का प्रश्न है मैं बताना चाहता हूं कि संयुक्त समिति के सभापति या संयुक्त समिति का निर्णय इस सभा पर बन्धन नहीं लगा सकता । सभा को उस पर पुनः विचार करने का अधिकार है और यदि सभा उचित समझे तो महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिये उस मामले को पुनः संयुक्त समिति के पास भेज सकती है । अतः पहली आपत्ति तो बेकार है । दूसरी आपत्ति के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यदि इस सभा में किसी सदस्य द्वारा रखे गये किसी संशोधन को एक प्रक्रम पर नियमविरुद्ध घोषित कर दिया जाता है तो उसी प्रकार का अन्य कोई संशोधन अन्य किसी प्रक्रम पर पेश नहीं किया जा सकता । अतः इन दोनों आपत्तियों के आधार पर इस संशोधन को इस सभा में पेश करने से नहीं रोका जा सकता । पर हमें स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करना है कि क्या यह संशोधन विधेयक की सीमा में हैं या सीमा के बाहर है । संविधान की सातवीं अनुसूचि में दो विभिन्न प्रविष्टियां है जिनके अधीन केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिये गये हैं । प्रविष्टि ६३ में बताया गया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की किसी भी संस्था क दैनिक संधारण केन्द्रीय सरकार के हाथों में रहेगा । राज्य विश्वविद्यालयों के दैनिक प्रशासन का कार्य राज्य सरकार के अधीन रहता है पर जहां तक विश्वविद्यालयों के समन्वय का सम्बन्ध है—इस विधेयक में जैसा कि बताया गया है—केन्द्रीय सरकार को सभी विश्वविद्यालयों पर अधिकार होगा । अन्यथा केन्द्रीय सरकार को राज्य विश्वविद्यालयों पर कोई अधिकार

[उपाध्यक्ष महोदय]

नहीं है। सातवीं अनुसूचि की ६६वीं प्रविष्टि में बताया गया है कि राज्य सरकारें राज्य विश्वविद्यालय के दैनिक प्रबन्ध के काम को करेगी पर यदि उनमें पर्याप्त धन या पर्याप्त शिक्षित प्राध्यापकों की कमी है तो उनको एकरूपीय स्तर पर लाने का काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा। प्रविष्टि ६२ के अधीन समन्वय के प्रयोजन के लिये राज्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का विशेष अधिकार है।

डा० एम० एम० दास : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : विश्वविद्यालयों में समन्वय पैदा करने के लिये अनेक साधनों से धन इकट्ठा किया जाता है अतः इस कार्य के लिये एक अलग अभिकरण का निर्माण करना एक अलग बात है। सभी राज्य विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता इस आयोग को सौंपने के लिये तैयार हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता आयोग से मिलेगी इस प्रकार आयोग उन पर नियंत्रण भी रख सकेगा। शिक्षा मंत्रालय के इस विधेयक के प्रस्तावक चाहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध के लिये एक अप्रत्यक्ष निगम की व्यवस्था की जाय। ऐसी अवस्था में किसी संशोधन की ग्राह्यता को नियमविरुद्ध ठहराने का उत्तरदायित्व कभी भी अध्यक्ष नहीं लेता बल्कि सभा पर छोड़ देता है। सभा जैसा चाहे वैसा निर्णय करे।

एक बात और कही गई है कि इसे 'सामान्य प्रयोजन' के अन्तर्गत लाया जा सकता है। 'सामान्य प्रयोजन' को प्रस्तावना के साथ पढ़ा जाना चाहिये। इस प्रकार 'सामान्य प्रयोजन' का अर्थ अलग नहीं लगाया जाना चाहिये। इसी प्रकार खण्ड १२ में आये 'विकास' शब्द को 'समन्वय' के साथ और 'निर्धारण' (डिटरमीनेशन) को 'संधारण' के साथ पढ़ा जाना चाहिये क्योंकि समन्वय के लिये प्रगति आवश्यक है और प्रगति के लिये समन्वय आवश्यक है। इस प्रकार सामान्य प्रयोजन को खण्ड १२ के प्रयोजन के प्रसंग में समझा जाना चाहिये। यही सब बातें हैं जो स्पष्ट हैं अब सभा इसका निश्चय करेगी। मैं इन संशोधनों के प्रस्ताव करने की अनुमति दूंगा।

श्री कामत (होशंगाबाद) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। मैं दूसरी सभा के निर्णय को मानने का बाध्य नहीं हूं। मैं अपनी बात बता चुका हूं। अब यह सभा का कार्य है कि वह उसका निश्चय करे। मैं कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेता।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इसका अर्थ यह है कि चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व ही सभा यह निश्चय करेगी कि क्या यह विधेयक की सीमा में है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। सभा चर्चा करेगी और अन्त में मतदान के समय माननीय सदस्य चाहे पक्ष में मत दें या विपक्ष में।

श्री टी० एन० सिंह : प्रत्येक सदस्य यह नहीं जानता कि सभी सदस्य पक्ष में हैं या विपक्ष में।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य अपने स्वतन्त्र निर्णय से काम करेगा और दूसरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करेगा।

श्री टी० एन० सिंह : यदि हम सभी बोलते जायेंगे और बाद में सभा यह निश्चय करेगी कि यह विधेयक की सीमा के बाहर है तो इसका क्या परिणाम होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं सभा का मत लूंगा और स्थिति का ठीक ज्ञान करूंगा।

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं सरकार का दृष्टिकोण बताना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सरकारी संशोधन की व्याख्या करें । सभी संशोधन संख्या १, ३, ११, १२, १३, ४४, ४६, ६९, ७० और ७१ सभा के सामने प्रस्तुत हैं । संशोधन संख्या ७१ एक नया संशोधन है । माननीय सदस्य सभी संशोधनों पर बोल सकते हैं ।

श्री बी० के० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५, पंक्ति ७ और ८—

"if such information is asked for"

(यदि ऐसी जानकारी मांगी जाती है) का लोप किया जाये ।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य नाम	संशोधन संख्या
श्री के० सी० सीधिया	३
श्री श्री नारायण दास	११,१३,७०
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४४
श्री बी० के० दास	४६
श्री के० के० बसु	६९

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन और डा० एम० एम० दास द्वारा पहले प्रस्तुत किये गये संशोधन के साथ अब सभा के सामने हैं ।

डा० के० एल० श्रीमाली : इस विषय पर बोलने वाले सभी सदस्यों के प्रति उचित सम्मान प्रकट करते हुये मैं सरकार का दृष्टिकोण सामने रखना चाहता हूं । मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर उचित विचार करे ।

मैं सभा को विश्वविद्यालय अनुदान समिति के इतिहास का स्मरण कराना चाहता हूं । विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की देख-भाल करने के लिये की गई थी । सरकार ने हमेशा यह महसूस किया है कि जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, यदि अनुदान आयोग की प्रकार की कोई स्वतंत्र संस्था हो तो ज्यादा अच्छा हो, जो विश्वविद्यालयों की देख-भाल करे ताकि उनकी शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रा की रक्षा की जा सके और उनके दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप न किया जाये । केन्द्रीय सरकार पर चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है । प्रारम्भ में, विश्वविद्यालय अनुदान समिति केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की देख भाल करती थी । बाद में विचार किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति के क्षेत्र तथा उसके कर्तव्यों को और बढ़ा देना चाहिये । यह विचार ठीक था क्योंकि केन्द्रीय सरकार पर केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ही उत्तरदायित्व नहीं है बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों का भी । उसी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है ।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है उनका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है और सरकार उसे टाल नहीं सकती । विश्वविद्यालयों के संधारण के लिये आयोग को धन दिया जायेगा । मान लीजिये यह संशोधन नियम विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है या हम उसे स्वीकार नहीं करते, तो परिणाम क्या होगा ? जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उनके लिये दो अभिकरण होंगे । एक तो विश्वविद्यालय अनुदान होगा जो राज्य विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की देख-भाल करेगा और दूसरा शिक्षा मंत्रालय होगा जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संधारण की देख-भाल करेगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

इस संशोधन का स्वीकार न करना विश्व-

[डा० के एल० श्रीमाली]

विद्यालयों के लिये समूचे रूप से हितकर नहीं होगा। यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात होगी कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये दो अभिकरणों की स्थापना की जाये। प्रत्येक अवस्था में हमें यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार के पास असीम धन है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की देखभाल नहीं करता तो स्वभावतः उन विश्वविद्यालयों के बनाये रखने के लिये नियत निधियों को आयोग के हाथों में नहीं दिया जा सकता। हम केवल इस बात का अनुरोध कर सकते हैं कि इन विश्वविद्यालयों के बनाये रखने के लिये अभिप्रेत निधियों का निश्चित रूप से वर्णन किया जाये। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बनाये रखने तथा विकास के कार्य की देख-भाल करे तथा साथ-साथ सारे भारत के विश्वविद्यालयों के विकास के कार्य की देखभाल करे तो यह एक बहुत उन्नत प्रथा होगी।

इस बात पर संयुक्त समिति में विचार विमर्श किया गया था तथा इस दृष्टिकोण को मैं ने सदस्यों के सामने रखा था। दुर्भाग्य से इस विषय में काफी विश्वास का अभाव विद्यमान है। इस विश्वास के अभाव को दूर करने के लिये ही मैंने संयुक्त समिति में प्रस्तुत किये गये सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का श्रीगणेश शुभ हो। सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच स्पर्धा का कोई सवाल नहीं है। वास्तव में दोनों में सहभागिता होनी चाहिये। जब इन दोनों में सम्यक सहभागिता हो जायेगी, तभी विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्नत हो सकेगी। माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वह सब आशंकाओं तथा भय को अपने मन से निकाल दें। सरकार का अभिप्राय स्पष्टतः विश्वविद्यालयों का विकास करना है। यदि हम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धन नहीं देते तो स्वभावतः इस धन को उक्त आयोग से ले लिया जायेगा। क्या यह विश्वविद्यालयों के हित की बात नहीं कि कम से कम जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, इनके बनाये रखने तथा विकास के कार्य की एक स्वतन्त्र निकाय देख-भाल करे ?

सरकार केवल एक स्वाधीन संस्था को कुछ शक्तियां दे रही है अथवा प्रदत्त कर रही है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है उन्हें अपने मन में कोई भय या सन्देह नहीं रखना चाहिये हम यह संशोधन इस देश में प्रगतिशील प्रथाओं और लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं की स्थापना के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ समय में राज्यों में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी ये शक्तियां दी जायेंगी ताकि विश्वविद्यालयों पर से राज्य सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण हट जाय। इस स्वतन्त्रता के वातावरण में ही विश्वविद्यालयों का प्रगतिशील विकास हो सकेगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जहां तक सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन के गुणों का सम्बन्ध है, यह सच है कि इसके विषय में प्रायः सन्देह किया जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पिण्ड-राशि दी जाती है। यदि पिण्ड-राशि का अधिकांश पोषण के लिये व्यय हो तो अन्य विश्वविद्यालयों को हानि होगी। मैं सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना करता हूं कि इस सन्देह को दूर करने के लिये राशि को दो भागों—पोषण और विकास-में बांटना चाहिये।

अब मैं अपने संशोधन पर बोलूंगा । मेरे विचार में यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । इसके अनुसार संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा की उन्नति के लिये धन दिया जाना चाहिये । इस विषय में सरकार ने आश्वासन दे रखा है कि सरकार पर केवल सरकारी भाषा की उन्नति का ही उत्तरदायित्व नहीं है, परन्तु इस देश की सब राष्ट्रभाषाओं की उन्नति का उत्तरदायित्व है । मेरे सुझाव में विभिन्न भाषाओं की उन्नति के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदान देने चाहियें । एक ऐसा प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ है कि प्रत्येक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये । प्रत्येक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये उसकी पर्याप्त उन्नति होगी जिसके लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है । निधियों को बांटने के लिये इसका ध्यान रखना चाहिये ।

स्तरों की उन्नति के लिये भाषाओं को साहित्यिक और अन्तर्वस्तु दृष्टिकोण उन्नत करना चाहिये । इन भाषाओं में बड़ी उच्च कोटि की पुस्तकें होनी चाहियें ।

श्री बी० पी० नायर : मेरा संशोधन संख्या ६९ है और मैं खण्ड १२ में कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं । मेरा अभिप्राय यह है कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और विश्वविद्यालय में स्तरों के निर्धारण का उद्देश्य हो तो इसमें विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर भी इस परिभाषा में आ जाते हैं ।

हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर बहुत बुरी अवस्था में हैं और सरकार ने इसके लिये कुछ नहीं किया । पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में एक प्रस्थापना थी कि शारीरिक संस्कृति विषयक एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाये । ऐसी संस्था की स्थापना के लिये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार महाविद्यालयों में हज़ार विद्यार्थियों में से ३ को भी शारीरिक शिक्षा नहीं मिलती । यह बहुत भयानक परिस्थिति है । जब कि विद्यार्थियों के शारीरिक दक्षता के स्तरों का समन्वय नहीं किया जाता विश्वविद्यालयों के स्तरों में कोई समन्वय नहीं हो सकता । अतः मैं इन शब्दों का खण्ड संख्या १२ में विशेषरूप से उल्लेख चाहता हूं ।

विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति का विषय कुछ चिन्ताजनक है । विभिन्न कारणों के कारण २० प्रतिशत विद्यार्थी प्रति दिन महाविद्यालयों में उपस्थित नहीं हो सकते । स्वास्थ्य का ठीक न होना इसका एक बड़ा कारण है । सब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक व्यायाम और क्रीड़ाओं का अपर्याप्त प्रबन्ध है यद्यपि इसके लिये शुल्क इकट्ठे करने में कोई नर्मी नहीं होती । मेरे विचार से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शारीरिक कार्यकलाओं के समन्वय के लिये विशेष अनुदान देने चाहियें ।

डा० एम० एम० दास : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं कहना चाहता हूं कि खेल कूद शारीरिक संस्कृति इत्यादि राज्य का विषय हैं । इस पर विधान बनाने का केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है । यह संसद् खेल कूद इत्यादि पर विधान नहीं बना सकती क्योंकि यह पूर्णतः राज्यों का विषय है ।

श्री बी० पी० नायर : मेरे माननीय मित्र को पता है कि शिक्षा भी राज्य विषय है ।

डा० एम० एम० दास : परन्तु इसमें प्रविष्टि संख्या ६६ है जिसके आधार पर यह विधान इस सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

श्री बी० पी० नायर : यह इस बात की पुष्टि करता है कि माननीय मित्र ने कुछ भी नहीं सुना है । । मैं ने कहा था कि स्तरों के निर्धारण में केवल विद्या सम्बन्धी स्तरों का निर्धारण ही नहीं होना चाहिये परन्तु शारीरिक स्तरों का निर्धारण भी होना

[श्री वी० पी० नायर]

चाहिये । मैं अपने माननीय मित्र की युक्ति को समझ सकता था यदि शीर्षक में "स्तरों का निर्धारण" वाक्यांश विद्या सम्बन्धी प्राप्त की गई योग्यताओं तक ही सीमित होता । मेरे विचार में डा० एम० एम० दास अप्रासंगिक बात कर रहे थे ।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय को अधिकतर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करे । यह बात कहने का कोई लाभ नहीं कि यह राज्य विषय है । यह सच है कि यह राज्य विषय है, परन्तु हम यहां विश्वविद्यालय जीवन जो केवल विद्या सम्बन्धी योग्यताओं तक ही सीमित नहीं है, की समन्वय करने की चेष्टा कर रहे हैं । अतः सरकार से मेरी फिर प्रार्थना है कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये ताकि विधेयक में इस विषय का विशेष उल्लेख किया जाये । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तो हो सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के शारीरिक स्तरों के अधिकतर अच्छे समन्वय के लिये कोई राशि निर्धारित न करे । इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

श्री श्रीनारायण दास : खण्ड संख्या १२ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्त्तव्यों को निर्धारित करता है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस देश में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के सुधार, वृद्धि और उन्नति के लिये कई उपायों का सुझाव दिया है । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक संस्था है । अतः इस संस्था को इस उद्देश्य-पूर्ति के लिये पर्याप्त शक्तियां देनी चाहियें ।

मैं अपने संशोधन संख्या ७० द्वारा इस आयोग को दो और कर्तव्य सौंपना चाहता हूं । पहला कर्तव्य भारत संघ के प्रधान को नये विश्वविद्यालय खोलने और सम्बन्ध या स्वाधीन संस्थाओं को विश्वविद्यालय बनाने का होगा ।

दूसरा कर्तव्य जो मैं और सौंपना चाहता हूं वह यह है कि आयोग को यह अधिकार होना चाहिये कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की उन्नति के लिये संस्थाओं या ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार को मंत्रणा दे सके । अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । सब निधियां जो कि उच्च शिक्षा पर व्यय की जाती हैं, केवल नागरिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये सुझाव दिया है ।

मैं संशोधन संख्या ११ में इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि योग्य विद्यार्थियों को वज़ीफे देने के लिये निधियां होनी चाहियें । परन्तु मैं इस विषय को विधेयक के निकाय में विशेषरूप से उल्लेख किया चाहता हूं और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पृष्ठ ४ पर २४ पंक्ति के अन्त में योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये संस्था के समावेश को जोड़ना चाहता हूं । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बताया है कि भारत में केवल दस प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं । इसका परिणाम यह होता है कि कई योग्य छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते । मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस उद्देश्य के लिये विश्वविद्यालयों को निधियां बांटे ।

अब मैं संशोधन संख्या १३ पर बोलूंगा । उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं ने इस संशोधन में कुछ परिवर्तन किये हैं । पद (व) के आधीन आयोग का कर्तव्य है कि वह केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों को उस प्रश्न पर मंत्रणा दे जो इसे

निर्दिष्ट किया जाये । मैं एक और पद (ब ब) जोड़ना चाहता हूं कि आयोग का यह भी कर्तव्य है कि छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार को मंत्रणा दे । इस समय सरकार के कुछ मंत्रालय छात्रवृत्तियां देते हैं, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक विशेषज्ञ संस्था है । अतः सब निधियां इसे दी जानी चाहियें और यें विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्हें उचित ढंग से बांट देंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि सभा-सचिव अब उत्तर देने को हैं ।

विश्वविद्यालयों में स्तरों का निर्धारण एक विशाल विषय है । हमें यह विदित नहीं है कि क्या आयोग के पास ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वविद्यालयों में स्तरों का निर्धारण कर सकें । माननीय सभा सचिव इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन व्यक्ति यह काम करेंगे ।

डा० एम० एम० दास : सरकार ने जिन संशोधनों का प्रस्ताव दिया है मैं उनकी ऊंच-नीच तथा गुण व अवगुण पर विचार-विमर्श करके सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता । विचार विमर्श तो पर्याप्त हो चुका है और उन पर अनेकों माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर के संशोधन के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि संशोधन को नियम बाह्य घोषित कर दिया जाये क्योंकि राज्य सूची की प्रविष्टि ३३ में कहा गया है :

"नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुये चलचित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद ।" इस प्रकार उन विषयों पर विधान बनाना संसद् के क्षेत्राधिकार के में नहीं है ।

संशोधन संख्या ७० में आयोग से यह कहने का प्रस्ताव है कि वह विश्वविद्यालयों को चार्टर (अधिकार पत्र) देने के लिये राष्ट्रपति से सिफ़ारिश करे । इस देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना विधान मण्डलों द्वारा हुई है तथा हो रही है, अर्थात् राज्य की विधियों से या केन्द्रीय विधियों । इस देश में किसी भी विश्वविद्यालय को महा राज्यपाल (गवर्नर जनरल) अथवा राष्ट्रपति से चार्टर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में इससे देश में एक नई बात उत्पन्न हो जायेगी । आजकल यहां राज्य विधान मण्डलों अथवा केन्द्रीय विधान मण्डल के अधिनियमों के अधीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है । संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि आयोग राष्ट्रपति से यह सिफारिश करेगा कि वह राज्य तथा केन्द्रीय विधान मण्डलों की उपेक्षा करके विश्वविद्यालय की स्थापना का चार्टर निकाले मुझे खेद हैं कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन के द्वितीय भाग में उल्लेख है कि आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सुझाव या मंत्रणा दे सकता है या सिफ़ारिश कर सकता है । सभा को विदित है कि भारत सरकार बहुत शीघ्र एक ग्राम शिक्षा परिषद् संस्थापित करेगी । ग्राम शिक्षा समिति ने केवल कुछ मास पूर्व ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और सरकार उस प्रतिवेदन पर विचार कर चुकी है और ग्राम शिक्षा के सुधार के लिये कार्यवाही कर रही है । शीघ्र ही संस्थापित होने वाली परिषद् एक विशेषज्ञ संस्था होगी और इस प्रश्न पर विचार करेगी और सरकार को मन्त्रणा देगी । बाद में यह कार्यान्वित भी की जायेगी । अतः हम नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर इस विशेष बात का भार डाला जाये ।

आजकल कोई ग्राम विश्वविद्यालय नहीं है । राज्य विधान मण्डल या केन्द्रीय विधान मण्डल द्वारा जब ग्राम विश्वविद्यालय

[डा० एम० एम० दास]

स्थापित हो जायेगा तो वह स्वत: ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्र में आयेगा ।

अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहन देना, आदि जैसे विशेष प्रयोजनों के लिये और साधारण प्रयोजनों, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, आदि के लिये भी बहुत बड़ी संख्या में क्षात्रवृत्तियों व वृत्तिकाओं की व्यवस्था की गई है । इन क्षात्रवृत्तियों पर भारत सरकार प्रति वर्ष बहुत बड़ी धन राशि व्यय करती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक निश्चित प्रयोजन के लिये बनेगा । हम नहीं समझते कि आयोग को बहुत से अन्य कार्य देने का कोई अच्छा परिणाम होगा ।

श्री वी० के० दास के संशोधन संख्या ७१ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उसे स्वीकार कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधनों को मतदान के लिये रखना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : संशोधन संख्या ६९ अलग से रखा जाये ।

डा० एम० एम० दास : संशोधन संख्या १ सरकारी संशोधन है ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या १, ७१ और ६९ अलग से रखना चाहता हूं । यदि कोई और माननीय सदस्य किसी और संशोधन को अलग रखवाना चाहें, तो मैं उन्हें अलग से ले लूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४—

पंक्ति २३ से २९ के स्थान पर रखा जाये :

"(b) allocate and disburse, out of the Fund of the Commission, grants to Universities established or incorporated by or under a central Act for the maintenance and development of such Universities or for any other general or specified purpose.

(bb) allocate and disburse, out of the Fund of the Commission, such grants to other Universities as it may deem necessary for the development of such Universities or for any other general or specified purpose:

Provided that in making any grant to any such University, the Commission shall give due consideration to the development of the University concerned, its financial needs the standard attained by it and the national purposes which it may serve."

"(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों को उन विश्वविद्यालयों के संधारण और विकास के लिये या किसी अन्य सामान्य या निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आयोग की निधि में से अनुदान आवंटित कर सकेगा और भुगता सकेगा ।

(ख ख) अन्य विश्वविद्यालयों को उन विश्वविद्यालयों के विकास के लिये या किसी अन्य सामान्य या निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आयोग की निधि में से ऐसे अनुदान, जो वह ठीक समझे, आवंटित कर सकेगा और भुगता सकेगा :

परन्तु किसी ऐसे विश्वविद्यालय को कोई अनुदान देने में, आयोग सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विकास, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं, उसके द्वारा अर्जित स्तर और राष्ट्रीय प्रयोजनों पर जो इससे सिद्ध हो सकेगा, उचित विचार करेगा ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

पृष्ठ ५, पंक्ति ७ और ८:—

"if such information is asked for [यदि ऐसी जानकारी मांगी जाती है] का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ११, १२, १४, ४४, ४६, ६९ और ७० मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से सहमत ह, जो सभा में २३ नवम्बर, १९५५ को उपस्थापित की गई थी ।"

यह प्रतिवेदन आज चर्चा के लिये आने वाले संशोधनों के बारे में है । संशोधन संख्या १ को ३ घंटे दिये गये थे, जिन में ८ मिनट समाप्त हो गये और २ घंटे और ५२ मिनट शेष रह गये हैं । वैसे तो आज का सारा समय इसी में लग जायेगा, पर समय रहा तो अन्य संकल्प इसके दिये गये समय में अनुसार लिये जायेंगे ।

मैं इसे पढ़े बिना ही सभा से इसे स्वीकृत करने के लिये अनुरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो सभा में २३ नवम्बर, १९५५ को उपस्थापित की गयी थी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे के पुनर्वगींकरण के बारे मे संकल्प

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को लेंगे । श्री राजाराम शास्त्री अपना भाषण जारी रखेंग ।

श्री आर० आर० शास्त्री । (जिला कानपुर मध्य) :मैं ने पिछली बार अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए यह बतलाया था कि मेरे प्रस्ताव का यह उद्देश्य है कि रेलवे का पुनर्संगठन जो अभी हुआ है उस पर विचार करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए । यह प्रस्ताव कोई मेरा निजी प्रस्ताव नहीं है । रेलवे मुहकमे में जो करप्शन है उसकी जांच करने के लिए जो कमेटी (समिति) बनाई गई थी सदस्यों की तरफ से उस कमेटी ने ही यह सिफारिश की है कि :

"एक छोटी उच्च अधिकार टेकनीकल समिति को विभागों

[श्री आर० आर० शास्त्री]

के आकार का पुनर्निरीक्षण करना चाहिये ।"

तमाम देश का दौरा करने के बाद काफी लोगों से जानकारी हासिल करने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि पूरी समस्या पर फिर से विचार किया जाय । मैं कमेटी की रिपोर्ट को देख रहा था, उसमें एक जगह पर इस बात पर सन्तोष प्रकट किया गया कि ईस्टर्न रेलवे (पूर्व रेलवे) को दो हिस्सों में बांटा जाने वाला है और कमेटी के ऐसा लिखने के बाद मेरा यह ख्याल हुआ कि दूसरी रेलवे जोन्स (रेलवे महाखंड) भी इस तरह की हो सकती हैं कि जहां वर्कलोड (कार्य भार) है और जैसे ईस्टर्न रेलवे में इस बात की जरूरत समझी गई कि उसके दो हिस्से कर दिये जायें, इसलिए सम्भव हो सकता है कि दूसरी रेलवेज पर भी इतना बोझ पड़ गया हो जिसके लिए कि उन पर भी फिर से विचार किया जाय । इस वक्त में जो रेलवे की रिग्रुपिंग (पुनर्संगठन) हुई, हमारे देश का बंटवारा हुआ, देशी रियासतों का खात्मा हुआ और रेलवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ, उन तमाम बातों की वजह से इस बात की आवश्यकता हुई थी कि रेलवेज का पुनर्संगठन किया जाय लेकिन कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जिस ढंग से इस वक्त में पुनर्संगठन किया गया यह जल्द-बाजी में हुआ और पूरी समस्या पर अच्छी प्रकार से गौर नहीं किया गया था और रेलवे की जो अलग अलग एक एक जोन बनाई गई है वह बहुत काफी बड़ी है । मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव श्री शाहनवाज खां के भी दस्तखत हैं । आज मुझे बड़ा आश्चर्य होगा अगर श्री शाहनवाज खां जिन्होंने कि कमेटी में बैठकर वहां से इस तरह की सिफारिश की है वह आज जब मैं उसके लिए हाउस के सामने एक प्रस्ताव लाया हूं तो वह मेरे प्रस्ताव के समर्थन में स्पीच न दें । कमेटी में बैठ कर तो उसके लिए हमारा साथ दें और हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलायें और उसकी पूर्ति के लिये जब हम हाउस में प्रस्ताव पेश करें तो गवर्नमेंट उसको न माने, यह एक बड़े आश्चर्य की बात होगी । मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सभासचिव मेरे प्रस्ताव का यहां हाउस में समर्थन करेंगे और यदि वे इसका समर्थन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रेलवे मंत्री महोदय उस सिफारिश को जरूर स्वीकार कर लेंगे ।

इस वक्त जो रेलवे की जोन्स हैं और जो पिछली बार पुनर्संगठन किया गया था, उनके साइज पर जरा गौर करिये । नार्दर्न रेलवे जोन का रूट माइलेज (लाइन की मीलों में लम्बाई) ६०४० है । ईस्टर्न जोन के तो दो हिस्से हो गये । ईस्टर्न जोन का रूट माइलेज ५६७५ और नार्थ ईस्टर्न जोन का ४८०१ जब कि सदर्न का ६०२४, सेंट्रल का ५४२८ और वेस्टर्न जोन का रूट माइलेज ५५५२ है । अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से जहां रिग्रुपिंग हुई है उनसे अपने जोन्स का मुकाबला करेंगे तो पायेंगे कि हमारे देश में रूट माइलेज का साइज दूसरे देशों की बनिस्वत बहुत ज्यादा है और जिसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि उसकी वर्किंग (कार्य संचालन) के अन्दर तरह तरह की खराबियां पैदा हो सकती हैं । इनक्वायरी कमेटी (जांच समिति) ने इस बात पर भी खास तौर से ध्यान दिलाया है कि मौजूदा वक्त में जो रेलवेज का साइज है वह बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए इस पर विचार होना चाहिए । सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले इस कमेटी के एफिशिएंसी ब्यूरो (कार्य क्षमता विभाग) ने जांच की थी कि जो रिग्रुपिंग हुई है उससे वर्कलोड कितना बढ़ा है उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नार्दर्न (उत्तर) रेलवे में वर्कलोड १२८ है ईस्टर्न जोन में २३२ हुआ

नार्थ ईस्टर्न में ११८, सदर्न (दक्षिण रेलवे) में १३८,सेंट्रल (मध्य रेलवे) में १२८ और वेस्टर्न रेलवे जोन में वर्कलोड १०५ हुआ । तो जो रिग्रुपिंग की गई और उसकी वजह से जो काम बढ़ा और वर्कलोड बढ़ता गया और हमें ईस्टर्न रेलवे को दो हिस्सों में बांटना पड़ा, आप देखेंगे कि ऐसी कोई रेलवे नहीं है जिसमें वर्कलोड न बढ़ गया हो और जब वर्क बढ़ जायगा तो मानी हुई बात है कि एफिशिएंसी पर उसका असर पड़ेगा । रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि एफिशिएंसी पर इस वर्कलोड का काफी असर पढ़ा है । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के सफे १०९ पर लिखा है

> "रेलवे का पुनर्संगठन इतनी शीघ्रता से किया गया कि जिस के कारण समन्वय और उचित निरीक्षण की उपेक्षा हो गई और विभागीय व्यवसायों की ओर ध्यान दिया गया ।"

मैं माननीय मंत्री से सिर्फ इतनी सिफारिश करूंगा कि कोई काम किसी मौके पर अगर जल्दी में हो गया हो और हम यह महसूस करते हैं कि उसकी वर्किंग की वजह से हमारे काम में कोई अड़चन पड़ती है या नुकसान होता है तो यह कोई वजह नहीं मालूम पड़ती है कि चूंकि एक जगह कायम कर दी गई है, इसलिए उसको किसी भी हालत में हम चेंज नहीं कर सकते । मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें कि जो रेलवेज़ की ग्रुपिंग हुई है, उस पर फिर से विचार करें और आवश्यक तबदीली करें । और मैं आशा करता हूं कि हम जो कुछ यहां पर कह रहे हैं माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे ।

करप्शन कमेटी (भ्रष्टाचार समिति) की आप पूरी रिपोर्ट को पढ़िये उसमें आप पायेंगे कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के बारे में क्या लिखा है । वर्कलोड के बढ़ने का एफिशिएंसी पर कितना एडवर्स एफैक्ट (बुरा प्रभाव) पड़ा है, यह आपको उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिलेगा । हजारों कोस की दूरी पर बैठे हुए एक मैनेजर से आप उम्मीद करें कि वह अपने नीचे के अमले में पूरी तरह से डिस्प्लिन कायम रख सके और ठीक तौर से काम की देखभाल कर सके और जांच कर सके, तो यह चीज कैसे हो सकती है, यह मुमकिन नहीं है । कमेटी ने इसकी तरफ अपनी रिपोर्ट में ध्यान दिलाया है और बतलाया है कि इस वर्कलोड के बढ़ने का क्या नतीजा हुआ है । हमारी सारी एकोनामी (अर्थ-व्यवस्था) और सारा दृष्टिकोण तो इस बात पर चलता है कि हम एक सेंट्रल पावर को डिसेंट्रलाइज करने के पक्षपाती हैं । हम समझते हैं कि किसी काम को जो मैंने आन दी स्पौट (स्थानीय व्यक्ति) होता है, वह उस को अच्छी तरह से समझ पाता है और बखूबी अंजाम दे सकता है । लाजिमी नतीजा इसका यह हुआ कि जिस आदमी को काम करना है वह बिलकुल बौटम (निचले स्तर) पर एक जगह है और जिनके रूल्स (नियम) रेगुलेशन (विनियम) और जिनके आर्डर्स (आदेश) चलते हैं वह हजारों कोस की दूरी पर बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में आज आप देखते हैं कि कितना बड़ा भारी गैप (अन्तर) मौजूद है और उसके कारण मैं तो समझता हूं कि जो करप्शन है वह गनीमत है और यह तो बड़े ताज्जुब की बात है कि करप्शन और इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बराबर इस बात के ऊपर ध्यान दिलाया है और कहा है कि यह जो डिसेंट्रलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) किया गया है यह नामुनासिब है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है । मैं उम्मीद करता हूं कि कमेटी की इस बात पर गौर किया जायगा और इस बात की कोशिश की जायेगी कि रेलवेज के साइज को जरा कम किया जाय। उदाहरणार्थ कमेटी ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए एक जगह पर लिखा है कि अभी हमारे

[श्री आर० आर० शास्त्री]

देश का रेलवे का डेलिगेशन (शिष्टमंडल) सोवियट यूनियन (रूस) गया हुआ था और उसके बारे में कमेटी ने यह लिखा है :

> "इस सम्बन्ध में भारतीय रेलवे शिष्टमंडल ने जो हाल ही में रूस गया था प्रतिवेदन दिया है कि रूस में रेलवे लाइन की मीलों में कुल लम्बाई लगभग ७५,००० मील है और प्रत्येक में यह लम्बाई लगभग १२०० से २००० मील है।"

आखिर को जब हमारा डेलिगेशन किसी जगह जाता है और वहां पर स्टडी (अध्ययन) करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है और देश की भलाई के खातिर किसी चीज को अपनाने की सिफारिश करता है तो हमें उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए और उसकी सिफारिश को अपनाना चाहिए। हमें दूसरे देशों में तजुर्बा से फायदा उठाना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए। हमने जब रेलों को रिग्रुपिंग किया था और ६ यूनिट्स (विभाग) बनायी थीं तो इसीलिए बनाई थीं कि काम बहुत बढ़ गया था और वर्कलोड को कम करना दरकार था और पिछली दफा जब कमेटी की रिपोर्ट निकली थी उसमें यह कहा गया था कि जब भी रिग्रुपिंग की जायगी तो उस पर विचार किया जायगा और हमको और इस सदन को विचार करना है कि थोड़ी सी यूनिट्स हों जो सेंट्रलाइज्ड (केन्द्रित) हों और ज्यादा दूर तक के ऐरियाज़ (क्षेत्रों) को देखें, इससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है या ज्यादा यूनिट्स हों लेकिन साइज छोटा हो ताकि बड़े-बड़े अफसरान सारी कार्यवाही को ठीक तौर से देख सकें।

इन दोनों में से मेरा अपना ख्याल है कि छोटा साइज हो जाय और ज्यादा यूनिट्स बन जायें तो कोई नुकसान नहीं है। हमें इस दृष्टिकोण से इस चीज को देखना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि ऐक्सिडेन्ट्स एन्क्वायरी रिव्यू कमेटी (दुर्घटना पूछ-ताछ पुनर्विलोकन समिति) और रेलवे करप्शन इन्क्वारी कमेटी दोनों की एक राय है और वह राय यह है :

> "वर्तमान परिस्थिति में विभिन्न वर्गों के निरीक्षकों के क्षेत्राधिकार अधिकतर अतिरिक्त मात्रा में हैं। अतः उनके क्षेत्राधिकार का उचित पुनरीक्षण होना चाहिये।"

कमेटी भी इस नतीजे पर पहुंची है कि जो प्रेजेन्ट कंडिशन्स (वर्तमान स्थिति) है, इस वक्त जो हालत चल रही है, उसको देखते हुए आपको उस पर ध्यान देना होगा और ठीक करना पड़ेगा।

१९४७ में जो इंडियन रेलवे एन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उस की इस राय की ओर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

> "यह प्रश्न कि भारतीय रेलवे के संगठन की अत्यन्त उपयुक्त पद्धति क्या हो सकती है, कुछ ही वर्षों में मूल महत्व का प्रश्न बन जायेगा, जबकि पुनर्संगठन की समस्या की गंभीरता से जांच की जायेगी। फिर यह निश्चय करना होगा कि रेलवे के बड़े डिविजनों अथवा बहुत से विभागों का क्षेत्र सीमित कर दिया जाये।"

मैं यह समझता हूं कि तमाम एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इस बात पर हिट करती है कि जो रिग्रुपिंग किया गया है वह जरूरी था। मैं भी कहता हूं कि रिग्रुपिंग जरूरी है, लेकिन जिस ढंग से किया गया और जो तरीका अख्त्यार किया गया है वह तरीका

इस तरह का नहीं है जिस से हमारा काम चल सके। जो ऐफिशिएन्सी हम लाना चाहते हैं उस को देखते हुए यह रिग्रुपिंग ठीक नहीं है। इसलिये इस चीज की आवश्यकता महसूस होती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उस को मान लिया जाय।

अभी कुछ दिन पहले मैं समाचारपत्र पढ़ रहा था कि रेलवे वर्कर्स (रेलवे कर्मचारियों) की एक कान्फरेन्स (सम्मेलन) हो रही थी और उस में सदन के एक माननीय सदस्य श्री फ्रैंक ऐन्थनी ने इसी सब्जेक्ट पर बोलते हुए अपनी यह राय दी थी :

> "उन्होंने सुझाव दिया कि रेलवे के पुनर्गठन के सारे विषय पर द्वितीय योजना में दिये गये लक्ष्य के आधार पर पुनरीक्षण किया जाये। विभाग क्षेत्रों के अत्यधिक बड़े होने और पदाधिकरियों और अन्य कर्मचारियों के बीच बहुत अधिक अन्तर होने के कारण संचालन क्षमता में कमी हो गयी है।"

मेरा खयाल है कि यह बहुत सही बात है। जो लोग इस सब्जेक्ट (विषय) का अध्ययन करते हैं उन का कहना यही होता है कि जो तरीका अख्तयार किया गया है, उस से काम की ऐफिशिएन्सी कम हो रही है। ठीक बात है। जहां तक माननीय मंत्री जी का ताल्लुक है और जो काम उन को करना पड़ता है, उस को देखते हुए वह सन्तुष्ट हो सकते हैं कि जो काम हो रहा है वह सही तौर से हो रहा है, यह तो अपने-अपने विचार का फर्क है। मैं समझता हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं वह अच्छी चीज है और इस को आप को मानना पड़ेगा। इस वक्त हमारे सामने सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) आ रही है, हेवी इन्डस्ट्रीज (बड़े उद्योग) के ऊपर काफी जोर है, आज हम देखते हैं कि तीन स्टील प्लैन्ट (इस्पात संयंत्र) बनेंगे। स्टील प्लैंट बनने पर कोल (कोयला) को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, सीमेन्ट का प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़ेगा एग्रिकल्चर (कृषि) का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब देश के अन्दर ऐग्रिकल्चर का प्रोडक्शन, इन्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन और सारी दूसरी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ता चला जायेगा तो मानी हुई बात है कि रेलवेज पर उतना ही ज्यादा बोझ बढ़ता जायेगा। अगर रेलवेज के अन्दर किसी भी तरह से ऐफीशिएन्सी की कमी हुई तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हम इस नतीजे पर पहुंचें कि इस का प्रभाव हमारी सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन की सफलता पर भी पड़ा है। अगर इस चीज पर हम पहले से विचार कर लें तो हो सकता है कि जिस जिस जगह पर हमें कमी नजर आये उसे हम दूर कर सकें।

समारे देश के अन्दर जो विकास कार्य हो रहा है उस में हमें बहुत से कार्य करने हैं, बहुत सी बैकवर्ड एरियाज (पिछड़े हुए क्षेत्र) हैं उन को हमें दूसरी एरियाज से मिलाना पड़ेगा, हमें रेलवेज के माइलेज को बढ़ाना पड़ेगा, वाटरवेज (जलपथ) रोडवेज (सड़कें) और रेलवेज, (रेलें) यह जो तीनों तरीके परिवहन के हैं उन सब को अपने विकास के लिये कोऑर्डिनेट (समन्वय) करना पड़ेगा। यह जो सारी समस्यायें हमारे सामने हैं उन के लिये हमें एक लांग रेन्ज व्यू (दूरदर्शी दृष्टिकोण) लेना पड़ेगा और सारी समस्याओं पर एक साथ विचार करके स्थायी रूप से उन का हल सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर कोई एक्स्पर्ट कमेटी बैठेगी और वह सारी समस्याओं पर विचार करने के बाद रिग्रुपिंग के सम्बन्ध में, रेलवे में एफिशिएन्सी लाने के सम्बन्ध में और सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन के बारे में कोई सिफारिश पेश करेगी तो उससे रेलवे डिपार्टमेण्ट के वास्ते और देश के वास्ते, हर दृष्टिकोण से फायदेमन्द होगा और कोई वजह नहीं मालूम होती कि इस चीज को स्वीकार न किया जाय।

[श्री आर० आर० शास्त्री]

मैं इस बात को मानता हूं, और ठीक ही कहा जाता है, कि पार्टिशन विभाजन के कुछ ही समय बाद रेलवेज के सामने जो समस्यायें आई वह बड़ी कठिन थीं में यह भी स्वीकार करता हूं कि उन समस्याओं को हल करने के लिए काफी तौर से कोशिश की गई और की जा रही है । में तो केवल इतना ही जोर देना चाहता हूं कि जो समस्यायें हमारे सामने आगे आने वाली हैं वह बहुत बड़ी समस्यायें हैं और रलवेज की सफलता पर ही बहुत कुछ हमारा भविष्य निर्भर करेगा। ऐसी हालत में मै माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आप मेरे इस प्रस्ताव को मानें या न माने या रद्द कर दें, लेकिन इतना याद रक्खें कि अगर किन्हीं वजूहात से सैकेन्ड फाइव इअर प्लन में किसी जगह कोई कमी आई तो उस की तमाम जिम्मेदारी रेलवे विभाग पर डाल दी जायेगी और यह कहा जायगा कि हम तो फलानी चीज की तरक्की करना चाहते थे, फलानी इन्डस्ट्री को बढ़ाना चाहते थे, इस जगह का माल उस जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि रेलवेज में पूरी एफिशिएन्सी नहीं आ सकी इस लिए हन इन कामों को नही कर सके। और सारी जिम्मेदारी रेलवे विभाग पर ही पड़ जायेगी। इस लिये मुझे उम्मीद है कि इस सदन के अन्दर जो भी विचार और सुझाव पेश किये जायें उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगें। आज हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग क्या सुझाव देते हैं जिस के उपर कि काम हो, यहाँ पर सीधा सवाल यह है कि एन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिश थी कि एक एक्स्पर्ट कमेटी बनाई जाय जो पूरी समस्या पर विचार करे और बतलाये कि हमारे सामने जो समस्यायें हैं उन को हल करने के लिये हमें क्या करना है, उस को कार्यान्वित किया जाय।

मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिजोल्यूशन (संकल्प) सदन में पेश किया गया है उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और इस को स्वीकार करन की कृपा करेगी, ताकि जो हमारी सेकेन्ड फाइव इअर प्लन है, देश के निर्माण का काम है उस में हम रेलवे की एफिशिएन्सी की वजह से पूरी सफलता प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री श्रीनारायण दास और श्री राधा रमण ने मुझे एक संशोधन की पूर्व सूचना दी है । मैं माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन की अनुमति कैसे दी जा सकती है ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा-मध्य) : मैंने संशोधन का प्रथम भाग अभी हटा दिया है और केवल दूसरा भाग रखा है । मैं महसूस करता हूं कि अब संकल्प का विषय मूल संकल्प के विषय से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसका कारण यह है कि नियुक्त होने वाली समिति रेलों के कार्य-संचालन की जांच करेगी और रेलों के कार्य-संचालन का अर्थ है पुनर्वर्गीकृत रेलों का कार्य-सचालन । अतः मेरा निवेदन है कि यह संशोधन नियमानकूल है ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के कारण से सन्तुष्ट नहीं हूं। मेरे मतानुसार पुर्नवर्गीकरण की वात वास्तव में संकल्प का एक महत्वपूर्ण अंग

है । उस सम्बन्ध में किसी भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया है । अवशेष संकल्प और संशोधन एक से ही हैं । इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सैलम) : संकल्प के दो भाग हैं । पहिला अपरिपक्व है और दूसरा आवश्यक है । अतः दोनों दृष्टियों से संकल्प अस्वीकार हो जाना चाहिये ।

दक्षिण रेलवे के पुनर्वर्गीकरण का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने १४ अप्रैल १९५१ को कहा था कि स्वीकृत विशान्तर संगठन की अधिकार क्षमता से ही थोड़े से व्यय पर कुशल तथा अच्छे परिवहन की व्यवस्था हो सकती है । अतः अभी इन वर्गों के कार्य संचालन के बारे में निर्धारण करना, बहुत जल्दी करना है । कदाचित यह संकल्प भ्रष्टाचार जांच समिति की कुछ टिप्पणियों के परिणामस्वरूप बनाया गया है । पुनर्वर्गीकरण किसी ऊंट पटांग ढंग से नहीं किया गया था अपितु कुछ सुदृढ सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था । दक्षिण खंड की रचना सम्बन्धी ज्ञापन में इन सिद्धान्तों का उल्लेख है और कहा गया है कि इसके फलस्वरूप व्यय में बहुत बचत होगी । उन्होंने बताया कि यह बचत इन साधनों द्वारा की जा सकती है—पहला यह कि जंकशनों आदि पर., जहां अलग-अलग खंडों की गाड़ियां आती हैं, दुहरा नियन्त्रण समाप्त करना । दूसरा यह कि विद्युत तथा अन्य उपकरणों के अधिक उपयोग किये जायें । तीसरे उन्होंने कहा है कि इस मितव्ययता के परिणामस्वरूप केवल जी की बचत नहीं होगी अपतु निश्चित व्यय तथा इन भारतीयों को बनाये रखने के व्यय में भी बचत होगी । चोथे, रेलगाड़ियों के आने जाने के समय अनुसूचित करने में सुधार के अधिक अवसर मिलेंगे । पांचवें एकीकरण से कारखानों के अभिनवीकरण, तथा कारखानों की कार्यक्षमता के कार्यक्रम में सुविधा होगी । छटे कक्ष के केन्द्रीयकरण के द्वारा, भांडार सामग्री का प्रयोग करने तथा प्रबन्ध करने से भी बहुत बचत होगी । अन्त में, इन परिवर्तनों तथा सुधारों का प्रभाव सामान्य प्रशासन कार्य व्यवस्था पर भी पड़ेगा ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

उन्होंने दक्षिण खण्ड (ज़ोन) पर ही केवल ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है अपितु उत्तर खण्ड, पूर्वोतर खण्ड, पूर्व खण्ड तथा मध्य खण्ड पर भी ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं । इन सब का अन्तिम पैरा लगभग एक ही प्रकार का है । जैसे उत्तर, पूर्वोतर तथा पूर्व खण्ड के ज्ञापन में कहा गया है कि इस पुनर्गठन ही के मितव्ययता का अभी पूर्णतया पता नहीं लग सकता अपितु पुनर्गठन होने के पश्चात् सामान्यरूप से कार्य पटुता बढ़ जायेगी और अर्थ व्यवस्था में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि पुनर्वगीकरण के लाभों का अभी निश्चय नहीं किया जा सकता है । उनकी धारणा है कि पुनर्वर्गीकरण के परिणामों का निश्चय वे तीन प्रक्रम पूरे होने के पश्चात् ही कर सकते हैं । इन प्रक्रमों को दक्षिण खण्ड के ज्ञापन में दिया गया है । वे यह है—प्रथमतः फालतू कर्मचारियों को कम करना; दूसरे, प्रबन्ध के एकीकरण को सुविधाओं के द्वारा रेलगाड़ियों आदि की सुव्यवस्था करना तथा तीसरे विभिन्न इकाइयों का समन्वय करके खण्ड की कार्यपटुता बढ़ाना ।

इसलिये मेरा विचार है कि पुनर्वर्गीकरण के परिणामों का सुनिश्चयन तब तक नहीं होना चाहिये जब तक हम इन तीन प्रक्रमों को पार नहीं कर लेते हैं ।

इसके पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलों की कार्यपटुता अभी भी ठीक नहीं है । इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान

[श्री एस वी० रामास्वामी]

इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि रेलगाड़ियां अभी भी निर्धारित समय पर नहीं चलती हैं ।

रेलवे कर्मचारी अब भी अपने को राष्ट्र सेवक न समझ कर पुरानी समवायों का गुलाम ही समझते हैं । हमें इसमें सुधार करना है जिससे वे अब ऐसा न करें । मैं माननीय रेलवे मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि १९५५-५६ के आय-व्ययक में ६ रेलखण्डों में से दो खण्डों में हानि क्यों दिखाई गई है ? आय-व्ययक भाषण में माननीय रेलवे मंत्री ने बताया था कि कार्यपटुता विभाग बनाया जायेगा' हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री इस पर भी कुछ प्रकाश डालें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : (खम्मम): श्री आर० आर० शास्त्री के संकल्प का समर्थन करते हुए, मुझे आशा है कि माननीय रेलवे मंत्री इस संकल्प को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उनको समितियां नियुक्त करने की आदत है तथा इससे प्रभाणित होता है कि हमारे वर्तमान मंत्री विशेषज्ञों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं तथा केवल अपनी इच्छा पर ही आधारित नहीं रहते हैं ।

रेलों के पुनर्वर्गीकरण का ही प्रश्न नहीं है प्रत्युत मेरा विचार है कि रेलों की कार्य क्षमता भी नहीं बढी है । मैं मानता हूं कि रेलवे मंत्रालय को अन्य बहुत सी समस्याएं भी सुलझानी हैं परन्तु यदि हम इन सात आठ वर्षों की अपनी अन्य प्रगतियों पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि रेल हमारे अन्य विकासों से कहीं पीछे है । माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि इस्पात की कमी है परन्तु रेलों की कार्यपटुता में सुधार नहीं हुआ इसको वह भी मानेंगे ।

मेरा ख्याल है कि यह पुनर्वर्गीकरण का प्रश्न यकायक सामने आया है । ३३,००० मील के सात खण्ड बनाये गये हैं तथा उनमें कोई समुचित समन्वय नहीं किया गया है । कुछ खण्ड ६००० मील के हैं कुछ ३००० मील के तथा कुछ ५००० मील के हैं । इस सम्बन्ध में हमें बताया जाता है कि रेल मार्ग की लम्बाई पर विचार नहीं करना चाहिये अपितु विभिन्न रेलों के कार्य-भार पर ध्यान देना चाहिये । इनके आंकड़े हमें भी ज्ञात हैं । परन्तु अन्त में हमें यही मालूम होता है कि जितना विकास अपेक्षित था उतना नहीं हुआ है । भ्रष्टाचार जांच समिति का भी यही कथन है कि वर्गीकरण की पुनः जांच होनी चाहिये क्योंकि बड़े खंड होने के कारण उनमें से भ्रष्टाचार दूर करना संभव नहीं है ।

माल यातायात, यात्री यातायात आदि की आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हुई है । आज भी कोयले की खानों में ३० लाख टन कोयला पड़ा है । इसके वहां पड़े रहने से संभव है कुछ उद्योग कोयले की कमी के कारण बन्द हो जायें । तथा कानपुर तथा इंदौर में ऐसी स्थिति आ चुकी है । इससे यही ज्ञात होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तथा मैं समझता हूं इसका कारण—यह खण्ड (जोन) पद्धति ही है । इसलिये हमें एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिये तथा यदि यह समिति यह सुझाव देती है कि खण्डों की संख्या और न बढाई जाये तो हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को यह संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिये ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में हमने देखा परिवहन की गड़बड़ के कारण हमारे औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती रही है । माननीय रेलवे मंत्री ने गत मार्च में बताया था कि जब भी कोई गड़बड़ होती है तब समस्त उत्तरदायित्व रेलवे पर ही डालने का प्रयत्न किया जाता है परन्तु हमें इसकी जांच

करनी चाहिये तथा रेलवे मंत्रालय को इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये कि उन पर लाछंन लगाने का अवसर ही न आये । इस सम्बन्ध में इस्पात का प्रश्न आता है । अतः हमें लोहा और इस्पात मंत्री से भी निवेदन करना चाहिये कि रेलवे को अधिक इस्पात दिया जाये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में, मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि काजीपेट गुडुर के बीच रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ करा देना चाहिये क्योंकि इस रेलवे सम्पर्क से हैदराबाद तथा मद्रास के मध्य की दूरी भी कम हो जायेगी । इसके अतिरिक्त दक्षिण में कोयले की कमी भी दूर हो जायेगी । दक्षिण में अभी कोयला समुद्र द्वारा लाया जाता है जिससे वहां मंहगा हो जाता है जिसके कारण इतनी विद्युत नहीं मिल पाती जिससे दक्षिण में पूर्णतया औद्योगिक विकास हो सके । इसलिये इस रेलवे लाइन का निर्माण यथा शीघ्र होना चाहिये । अन्त में मैं नगरीय यातायात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ । बड़े नगरों जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि के लियें समिति नियुक्त हो चुकी है परन्तु कुछ अन्य स्थान जैसे हैदराबाद, सिकन्दराबाद आदि हैं जहां इनकी स्थिति अच्छी नहीं है । हमें इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय): इस संकल्प से में पूर्णतया सहमत हूँ तथा मेरा विचार है कि समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में तो हमें एकमत होना ही चाहिये । रेलों का पुनर्वर्गीकरण वर्तमान रेलवे मंत्री की देन नहीं है तथा हमें इस प्रश्न पर गंभीरतया विचार करना चाहिये क्योंकि यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है । रेलों के पुनर्वर्गीकरण के समय मैंने इस का विरोध किया था तथा कहा था कि कुछ अभिनवीकरण की आवश्यकता है तथा हमें १५ वर्ष के लिये वर्तमान रूप ही रखना चाहिये । मेरा विचार है कि घटनाओं के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि मेरे विचार ठीक थे ।

हमें देखना चाहिये कि इस पुनर्वर्गीकरण के क्या प्रभाव हुये । इस सम्बन्ध में माननीय रेलवे मंत्री के कथन भी अस्पष्ट ही हैं । १९५१ में पुनर्वर्गीकरण हुआ था तथा अब १९५५ है । मेरा अपना अनुमान है कार्यपटुता कम ही हुई है तथा पुनर्वर्गीकरण से पूर्व की कार्यपटुता के स्तर पर भी हम अभी नहीं पहुंच पाये हैं । रेलवे मंत्री द्वारा नियुक्त कार्यपटुता विभाग (एफीशिएसी ब्यूरो) के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि १९५२ में कार्यपटुता का स्तर नीचा हो गया था । पुनर्वर्गीकरण से पूर्व १९४९, १९५०, १९५१ में ६·९ प्रतिशत प्रगति थी परन्तु १९५४ के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि तब के आंकड़ों तथा वर्तमान आंकड़ों में १२ प्रतिशत का अन्तर है । इससे पता चलता है कि पुनर्वर्गीकरण के परिणाम अच्छे नहीं हुये हैं । मुझे ज्ञात हुआ है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम प्रतिशत प्रगति करना चाहते हैं तब भी १९६० तक हम पुनर्वर्गीकरण के पूर्व के आंकड़ों से २ प्रतिशत नीचे ही रहेंगें । इस प्रकार हम १० वर्ष पीछे चले जाते हैं ।

में समिति के इसलिये भी पक्ष में हूं क्योंकि विशेषज्ञों के साथ कुछ संसद् सदस्य भी रहने चाहियें ।

एक रेलवे के भूतपूर्व, चीफ इंजीनियर ने १९५०-५१ के आंकड़ों की १९५३-५४ के आंकड़ों से तुलना की है । उनके अनुसार बड़ी लाइन की माल गाड़ियों की रफतार १०·८ मील से १०·२ मील प्रतिघंटा हो गई है । कोयले की खपत ९२ लाख टनों से ९८ लाख टन हो गई है । सब से महत्वपूर्ण चीज यह है कि उस पदाधिकारी द्वारा की गई तुलना के अनुसार प्रशासन व्यय बढ़ गया है । कार्यपटुता विभाग के आंकड़ों के अनुसार आपने ६ खण्ड बना कर दो मुख्य प्रबन्धकों

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

का वेतन ७००० रुपया बचाया परन्तु ६ वरिष्ठ उप मुख्य प्रबन्धकों की नियुक्ति से १८,००० रुपया व्यय कर दिया । १९५४ के रेलवे आय-व्ययक पर बोलते समय मैंने बताया था कि पुनर्वर्गीकरण के द्वारा प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को ही लाभ हुआ है ।

श्री वी० डी० पांडे (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) : क्या आप बतायेंगे कि पुनर्वर्गीकरण का जो विचार आप के मन में है उस पर खर्च क्या होगा ? निश्चय ही अधिक रुपया खर्च होगा ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं पुनर्वर्गीकरण का वास्तविक खर्च बता रहा हूं । जब माननीय मंत्री द्वारा मेरी राय ली जाएगी तब मैं प्रस्तावित समस्या का अध्ययन करूंगा ।

मैं कह रहा था कि १९५५ में हमारे पास १७१७ पदाधिकारी थे । १९५३ में इस संख्या में ७१७ की वृद्धि हुई । अर्थात पुनर्वर्गीकरण के तीन वर्ष पश्चात पदाधिकारियों की संख्या में ४२ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई । वैज्ञानिकन का प्रश्न ही कहां रहा ?

मैं मंत्री को दोष नहीं दे रहा । उन्होंने अपना कार्य बड़ी कुशलता से पूरा किया है । मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारियों की कर्म दक्षता का स्तर गिर गया है । इस विषय पर मैं मंत्री महोदय के विचारों से भी सहमत होने के लिये तैयार हूं । मैं रेल कर्मचारियों से मिलता हूं । देश के प्रत्येक भाग में, जहां कहीं मैं जाता हूं यही शिकायत की जाती है । पुनर्वर्गीकरण का एक प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि कर्मचारियों की समस्याएं और उलझ गई हैं । इन्हें सुलझाने के लिये सराहनीय प्रयत्न किया गया, उसमें कुछ सफलता भी मिली परन्तु स्थिति अब भी बहुत असन्तोषजनक है । और यह सब पुनर्वर्गीकरण के ही बुरे परिणाम हैं । आज स्थिति यह है कि निजी सम्पर्क नाम की चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो गई है । हर जगह यही शिकायत है । पुनर्वर्गीकरण के कारण जनरल मैनेजर और विभागों के प्रमुखों का मेज़ पर बैठ कर कलम चलाने का काम इतना बढ़ गया है कि उनका लोगों से सम्पर्क बिल्कुल ही समाप्त हो गया है । अब कनिष्ठ पदाधिकारियों पर सम्पर्क स्थापित करने का भार आ पड़ा है । पर मुझे खेद से कहना पड़ता है कि, मैं उन्हें दोष नहीं देता, उन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि किस प्रकार उन्हें अपने व्यक्तियों से काम लेना चाहिये । आज उच्च अधीनस्थ वर्ग के रेलवे कर्मचारी दुखी और निराश हैं । वरिष्ठ अधीनस्थ वर्ग के सभी कर्मचारी, यदि उन्हें अवसर मिले तो सभी इकठ्ठे मिलकर अपना त्याग पत्र दे दें । उन्हें कनिष्ठ पदाधिकारियों से कार्य व्यवहार का ज्ञान नहीं और कनिष्ठ पदाधिकारियों को इन व्यक्तियों से कार्य व्यवहार का ज्ञान नहीं है । कनिष्ठ पदाधिकारी मानव स्वभाव को नहीं समझते । छोटी से छोटी बातों के लिये वह कड़ा दण्ड देते हैं । इसलिये मैं कहूंगा कि यदि आप कार्य दक्षता चाहते हैं तो प्रथम बात यह होनी चाहिये कि निजी सम्पर्क जो टूट चुका है उसे पुनः स्थापित किया जाए । वरिष्ट पदाधिकारियों को, जो कि अनुभवी व्यक्ति हैं, यह काम करना होगा । इस काम को कनिष्ठ पदाधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता । आज पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक खाई पैदा हो गई है और इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये ।

सभापति महोदय : क्या यह पुनर्वर्गीकरण के कारण है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : जी, हां

मेरा एक यह भी सुझाव है कि और छोटे छोटी इकाइयां बनाई जायें, पहले जिला

व्यवस्था का कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से होता था, उन्हें स्थापित किया जा सकता है, परन्तु यह केवल एक सुझाव है।

एक और बात जिसका मुझे अत्यन्त खेद है और जिस पर मैं मंत्री महोदय को ध्यान देने का अनुरोध करूंगा, वह है कि हाल के महीनों में प्रादेशिकता और संकीर्णता में बहुत वृद्धि हुई है और यदि यह समिति नियुक्त की गई तो इसे इन बातों को दूर करने के लिये विशेष कार्यवाहियों पर विचार करना चाहिये। भाईचारे और एकता के लिये रेलवे की परम्परा बहुत ही सराहनीय थी लेकिन अब प्रादेशिकता की भावना बहुत जोर पकड़ रही है। मैं किसी पर दोषरोपण नहीं कर रहा परन्तु लोग कहते हैं कि यदि मदरासी अधिकारी हो तो वह मद्रासियों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेगा, यदि वह बंगाली हुआ तो वह सभी बंगालियों को और यदि कोई उत्तर प्रदेश का हुआ तो वह उत्तर प्रदेश के लोगों को इकट्ठा कर लेगा। ऐसी बात पहले कभी सुनने में भी नहीं आती थी। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह बात अपने ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि वह किसी प्रादेशिकता अथवा संकीर्णता के आधार पर नौकरियों के सम्बन्ध में कोई रियायत न दें, जहां तक पदाधिकारियों का सम्बन्ध है उन के लिये यह सिद्धान्त होना चाहिये कि पदाधिकारियों की कुछ प्रतिशतता अपने राज्यों में कार्य नहीं करेगी क्योंकि यदि इस संकीर्णता के विष को फैलने दिया गया तब रेलवे का नाश होगा, रेलवे की भाईचारे की भावना और एकता की भावना को हानि पहुंचेगी।

पंचवर्षीय योजना की आवश्कताओं को पूरा करने के लिये प्रस्ताव के द्वितीय भाग में जो योजनायें हैं, उनके विषय में मैं अब थोड़े से शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं। रेलवे मंत्रालय का प्रथम प्राक्कलन ८०० करोड़ रुपये था जो संभवतः अपर्याप्त था। मेरे विचार में अब प्राक्कलन १४८० करोड़ रुपये है, परन्तु अभी भी मैं यह अनुभव करता हूं कि यह राशि कम है। आम सामान लाने ले जाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है? जहां तक मैं समझा हूं, रेलवे का १९६०–६१ में ६ करोड़ ५० लाख टन और अधिक सामान लाने ले जाने का विचार है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कोयला, इस्पात और खाद्य पदार्थों का वज़न ही ४ करोड़ ७० लाख टन होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरी मांगों जैसे औद्योगिक विस्तार, सिंचाई, विद्युत्शक्ति, निर्यात, आयात इत्यादि के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल १ करोड़ ८० लाख टन वज़न ही शेष रहता है। क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि इस लक्ष्य के साथ वह दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन बढ़ती हुई मांगों को पूरा कर सकेंगे?

अब इस योजना पर यात्रियों के यातायात के दृष्टिकोण से विचार कीजिये। रेलवे का ख्याल है कि यात्री यातायात साधनों में प्रति वर्ष ६ प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। इसमें से तीन प्रतिशत तो यातायात की वृद्धि को पूरा करने के लिये और शेष तीन प्रतिशत भीड़ कम करने में पूरे हो जायेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की वृद्धि होगी और फिर भी सम्पूर्ण योजना का उद्देश्य यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी और एक करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। मेरे विचार में इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिये और इस प्रकार की समिति द्वारा इसी उचित समय पर यह काम किया भी जा सकता है क्योंकि हमारा उद्देश्य ३,००० मील लम्बी नई रेलवे लाइन बिछाने का भी है। इस विषय में मैं यह भी बता दूं कि मंत्री महोदय को जैसा कि ज्ञात है कि कार्यक्षमता विभाग (एफ़ीशैंसी ब्यूरो) ने आठ खण्डों (ज़ोन) और भ्रष्टाचार निरोधक जांच समिति ने

[श्री फैन्स एन्थनी]

दस खण्डों की सिफारिश की थी । इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि अब जबकि इन सभी बातों का तय किया जाना बाकी है, हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही है, इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार करनें और एक मिली जुली समिति नियुक्त करने के लिये यही सब से उचित समय है ।

श्री देवेश्वर सर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही उचित और समयानुकूल है । जिन बातों की चर्चा की जा चुकी है, मैं उन पर कुछ न कहूंगा । मैं अपने मित्र श्री रामस्वामी से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि पुनर्वर्गीकरण के विषय पर विचार करने का अभी समय नहीं आया है । यह बात ठीक नहीं है । पूर्व खण्ड (ज़ोन) को पहले ही दो भागों में बांटा जा चुका है । इससे यही प्रमाणित होता है कि इस विषय पर विचार करने का यही उपयुक्त समय है ।

मैं रेलवे के और अधिक खण्डों में पुनर्वर्गीकरण किये जाने के पक्ष में क्यों हूं, इस सम्बन्ध में दो बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं ।

भारत के पूर्वोत्तर भाग को लीजिये । यहां रेल तो है लेकिन आपको ज्ञात होगा कि प्रतिवर्ष लगभग तीन महीने के लिये यहां परिवहन व्यवस्था टूट जाती है । मैं रेलवे मंत्री को दोष नहीं देता । उनके पास अलादीन का चिराग़ नहीं है कि वह कोई जादू कर दें । परन्तु पिछले सात, आठ या दस वर्षों से और विशेषतः १९५० के भूचाल के पश्चात्, उत्तर बंगाल, आसाम, उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी और सारे प्रदेश का सम्बन्ध टूट गया है । तो इस सम्बन्ध में उपाय ढूंढने का यही उचित समय है । इस प्रश्न को एक लम्बे समय तक टाला नहीं जा सकता ।

जैसा कि सब को मालूम है स्टीमर सर्विस ग़ैर-भारतीय, बर्तानवी, और स्कौटलैण्ड की, कम्पनियों के हाथ में है । यह स्टीमर पाकिस्तान हो कर भी आते जाते हैं । बाढ़ अथवा भूचाल के कारण जब रेल व्यवस्था टूट जाती है तब यह विदेशी कम्पनियां विपत्ति का अनुचित लाभ उठा कर भाड़े की दरें बढ़ा देती हैं । सामान्य काल में भी भारत के किसी और भाग के मुकाबले इस प्रदेश में जीवन की आवश्यक वस्तुओं, जैसे इमारती सामान आदि, के दाम अधिक हैं और विपत्तियों के समय सभी आवश्यक चीज़ों के दाम बहुत अधिक हो जाते हैं । बिहार या कलकत्ता में सीमेंट की बोरी ५ रुपये ११ आने में मिलती है लेकिन हमारे प्रदेश में आम दिनों में इसका भाव ११ रु० के लगभग होता है । यही बात दाल और दूसरी चीज़ों के बारे में भी है । रेलवे और स्टीमर सर्विस की स्थिति तो यह है, इसके अतिरिक्त परिवहन की सुविधायें न होने के बराबर हैं । यहां तक कि सरकारी कार्य में भी विघ्न पड़ता है । अधिक दाम दे कर भी लोगों को वस्तुयें नहीं मिलतीं । देश के इस भाग में वायुयान सर्विस में भी एयरलाईन्स कार्पोरेशन के अधिकारयों ने कंजूसी की है इसलिए यदि देश के इस भाग मे अर्थात उत्तर-पर्वी सीमान्तर एजैंसी में रेल का आना जाना किसी प्रकार जारी रह सके तो उससे सरकार और जदता दोनों की कठनाइयां दुर हो सकेंगी ।

क्योंकि परिवहन की उचित सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं इसलिये हम कोयले के सम्बन्ध में गारो पहाड़ियों से लाभ नहीं उठा सके । आसाम और गारो पहाड़ियों में अत्याधिक मात्रा में कोयला है । हर व्यक्ति जानता है कि आसाम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है । यही बात गारो पहाड़ी प्रदेशों और उत्तर बंगाल की है । यदि हम उत्पादन मंत्रालय से कहते हैं कि इन स्थानों से क्यों लाभ नहीं

उठाया जाता तो उत्तर मिलता है कि इन स्थानों पर कोई रेल व्यवस्था नहीं है। यदि रेल नहीं है तो जांच पड़ताल के लिए भारी सामान वहां कैसे पहुंचाया जाए ? जब हम रेलवे मंत्रालय से कहते हैं तो वह कहते हैं कि वहां पर नई रेलवे खोलने के लिए यातायात की कमी है और ऐसा करना सम्भव नहीं है। रेलवे लाइन की कुल लम्बाई कम है इस कारण वहां पर कोई खंड मुख्यालय (ज़ोनल हैडक्वार्टर्स) भी नहीं है और रेलवे लाईन की लम्बाई इसलिये अधिक नहीं कि यातायात के दृष्टिकोण से उसे बढ़ाना सम्भव नहीं है। परिणाम यह हुआ कि वहां रेलवे न होने के कारण खनिजों का लाभ नहीं उठाया जा रहा ।

यह समस्या पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न के अन्तर्गत इस प्रकार आती है कि सब से पहले इस प्रदेश में आसाम बंगाल रेलवे थी। फिर वह बंगाल आसाम रेलवे बन गई। बाद में वह आसाम रेलवे हुई। इसके बाद वह पूर्वोत्तर रेलवे का एक भाग बनी जिसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में था फिर गोरखपुर में बना। मुख्यालय के स्थान परिवतन का परिणाम यह हुआ कि कलकत्ता से हमें अपनी शिकायतों के उत्तर जनरल मैनेजर अथवा प्रमुख विभाग के किसी और व्यक्ति से मिल जाते थे परन्तु अब गोरखपुर में मुख्यालय स्थापित किए जाने के बाद से हमारे पत्रों तक के उत्तर नहीं दिये जाते।

रही कार्य दक्षता की बात, अंग्रेजी शासन के दिनों में गाड़ियों की गति अधिक न थी परन्तु कम से कम कुछ स्वच्छता तो थी और रेलवे कर्मचारियों में कुछ अनुशासन तो था। आजकल हम पुस्तिकाओं और समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बहुत अधिक सुधार किया गया है। परन्तु, सभापति महोदय, आपको इस बात पर मुझ से सहमत होना होगा कि जब से सरकार ने भोजन व्यवस्था को अपने अधिकार में लिया है तब से वह और भी बिगड़ गई है। आज भोजन-व्यवस्था-अधिकारी को मालूम है कि उसका आचरण, उसकी कार्यदक्षता कैसी ही हो उसे नौकरी से अलग नहीं किया जा सकता।

अमरीका और कैनेडा जैसे विकासशील राष्ट्रों से हम तुलना नहीं कर सकते। हम अभी अन्तकालीन अवधि में हैं और हमें अभी अपनी रेलों का निर्माण करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है और देश के उस भाग की जनता धन्यवाद कहेगी यदि योजना का कम से कम ५० प्रतिशत भी पूरा किया जा सका। यदि वहां पर सामान नहीं पहुंचाया जा सकता, परिवहन व्यवस्था का उचित प्रबन्ध नहीं है, तो हम पंचवर्षीय योजना के कार्य की वहां आशा कैसे कर सकते हैं ?

मुझे मालूम हुआ है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में देश के उस भाग को लगभग ६५ करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। और सामूहिक परियोजनाओं के लिये कुछ और अधिक रकम दी जा रही है। परन्तु यदि रेल व्यवस्था का वहां उचित प्रबन्ध नहीं होगा तो इस रकम को खर्च किस प्रकार किया जाएगा । हर उपयोग के लिए संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है

यदि भारत के उत्तर-पूर्वी द्वार को सब से कमजोर कड़ी रहने दिया गया तब क्या सारी श्रंखला ही कमज़ोर न हो जायेगी ?

वहां पर रोजगार की स्थिति क्या है? वहां पर परिवहन की सुविधायें न होने से आजकल कोई उद्योग नहीं है। यदि ऐसा रहा तो लोगों को, विशेषतः राज्य के शिक्षत युवकों को आप रोज़गार कैसे देंगे ? यदि उन्हें रोज़गार न दिलाया गया तो देश के इस कोने का क्या होगा ?

अतः मेरा निवेदन है कि देश के उस भाग में पर्याप्त रेलवे परिवहन का उपबन्ध

[श्री देवेश्वर शर्मा]

करने के लिये सरकार को विभागीय पुनर्गठन पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : मैं श्री शास्त्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं । आज प्रश्न इस का नहीं है कि रिग्रूपिंग (पुनर्गठन) अच्छी चीज़ है या बुरी । प्रश्न यह है कि जैसी रिग्रूपिंग हुई है उस से हमारी मंशा सध रही है या नहीं हम जो चाहते थे कि रेलवे में ज्यादा एफिशिएन्सी आवे, वह काम ज्यादा करे और जो बुराइयां उस में घुस गई हैं वह दूर हों, यह सब बातें सफलीभूत हो रही हैं या नहीं ।

मुझे सब रेलों का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जिस जोन में मैं रहता हूं उसका नाम है नार्थ ईस्टर्न रेलवे । उसका ज्ञान मुझको है । मैं जानता हूं कि वहां क्या हो रहा है । पहले जब उसका नाम बी० एन० डब्ल्यू रेलवे था तो और रेलों के मुकाबले में उसका इन्तजाम कुछ बुरा जरूर था, लेकिन लोगों को यह सन्तोष था कि दूसरी रेलों के मुकाबले में उसमें भाड़ा कम लगता था और लोग यह सोचते थे कि इस रेलवे में ऐमेनेटीज कुछ कम हैं तो पैसा भी तो कम लगता है । लेकिन जब उसका किराया उतना ही देना पड़ता है जितना कि और रेलवेज में तो यह देख कर कि वहां इन्एफिशिएन्सी (अक्षमता) है और ऐमेनेटीज (सुविधाओं) में इतनी कमी है, दिल में कुछ दुःख होता है । वहां इसलिये नहीं इन्एफिशिएन्सी है कि चीज़ों की कमी है बल्कि इसलिये कि रेलवे के अफसर उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं । क्यों विशेष ध्यान नहीं देते, इसके भी कारण हैं और उन में से एक कारण यह भी है कि आज जो जोन (विभाग) बने हैं वह इतने अनवील्डी (अत्यधिक बड़े) हैं, इतने बड़े हैं कि बड़े अफसरान वहां पहुंच नहीं सकते हैं । एक रीजन पांडु से ले कर कानपुर तक बना है ।

एक माननीय सदस्य : पांडु से भी दूर है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इसका मुझे खुद अनुभव है कि यदि एक चिट्ठी जनरल मैनेजर को लिखी जाये तो, उसका जवाब आता है दो महीने बाद ।

एक माननीय सदस्य : नहीं आता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कैसा जवाब आता है कि "**दि मैटर इज रिसीविंग ऐटेन्शन**" (विषय पर विचार किया जा रहा है) उसके बाद चार छः महीने बाद उसका असली जवाब आता है । एक उदाहरण आपको दूं । १९५३ में मैं ने एक टी० टी० ई० के सम्बन्ध में कम्प्लेन्ट (शिकायत) मिसबिहेवियर (दुर्व्यवहार) के बारे में की थी, लेकिन वह मामला आज तक हल नहीं हो सका । अन्त में मुझे मिनिस्टर साहब के पास आना पड़ा । मिनिस्टर साहब की मार्फत जाने पर भी तीन तीन, चार चार महीने तक जवाब नहीं मिलता है । मैं उन अफ़सरों को दोष नहीं देता कारण कि उनके पास काम इतना है कि इतना बड़ा जोन वह सम्भाल नहीं सकते तो हमको रिग्रूपिंग इसलिये नहीं करना था कि कुछ रुपया बच जायें, बल्कि इसलिये करना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएन्सी (प्रशासन क्षमता) बढ़ जाये और उसके साथ साथ आपरेशनल एफिशिएन्सी भी हो । लेकिन यह दोनों ही चीज़ें मिटती जा रही हैं ।

आप यह भी देखेंगे कि रेलवे में ऐप्वाइंटमेन्ट्स (नियुक्तियां) बहुत हो रहे हैं । पहले जब कम्पनी का जमाना था तो बड़े स्टेशनों पर भी शायद एक या दो स्वीपर्स रहते थे सफाई के लिये, लेकिन अब बड़े बड़े स्टेशनों हैं पर १०, २० और ५० स्वीपर्स तक होते हैं

पर काम की हालत यह है कि कोई उन्नति नहीं हुई है ।

एक माननीय सदस्य : पहले से ज्यादा गन्दगी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : माफ कीजियेगा, आप शायद गोरखपुर में होंगे तो मालूम पड़ेगा कि गोरखपुर में जितनी सफाई पहले रहा करती थी उतनी आज नहीं है यही नहीं कि सिर्फ एक चीज में इम्परुवमेन्ट (सुधार) नहीं है एमेनेटीज (सुविधायों) के अलावा आप देखेंगे कि जो कंट्रेक्टर्स (ठेकेदार) केटरिंग (भोजन-व्यवस्था) करते हैं और जो कंट्रेक्टर्स के फेरी वाले सामान बेचते हैं उनकी सबलैट (दूसरों को दे देना) पहिले बहुत कम होती थी लेकिन आज बहुत हो रही है । कारण है केवल सुपर्विजन (अधीक्षण) की कमी । और वह छोटे अफसरान के जरिये होती है । बड़े फ़टेसरान को जो इसको ठीक कर सकते हैं, उनको समय नहीं है कि वह उस पर ध्यान दे सकें । मैं देखता हूं कि हमारे यहां सोनपुर स्टेशन है, गोरखपुर भी है । वहां के वेन्डर्स (फेरीवाले) से बात कीजिये तो वह कहते हैं कि हम खराब चीज न दें तो करें क्या ? हम को तो पैसा अफसरों को देना पड़ता है । इस सब का कारण सुपर्विजन की कमी है । केवल यही नहीं कि पैसेन्जर्स को तकलीफ होती हो चन्द घंटे वह ट्रेन में रहते हैं, उसके बाद आराम पा जाते हैं, लेकिन जो स्टाफ वहां काम करता है उनको भी दिक्कतें हैं । आप अगर रेलवे स्टाफ (कर्मचारिवृन्द) में दिलचस्पी लें तो मालूम होगा कि जो उनके इमिजिएट बास (प्रत्यक्ष अधिकारी) होते हैं अगर वह नाराज हो गये तो उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है । अगर स्टाफ वाले बड़े अफसर के यहां दरख्वास्त देते हैं तो चूंकि उनके पास उसको देखने का समय नहीं है इसलिये वह भी नीचे के अफसर को डिटो कर देते हैं । क्लर्कों के केस को रिप्रेजेंट (प्रतिनिधित्व) करने का मौका मुझे मिलता है । १०, १२ महीने की लिखा पढ़ी के बाद अगर दो चार केस तय हुये तो हुये नहीं, सब पड़े रहते हैं । अन्य रेलवे स्टाफ के साथ भी यही बर्ताव है ।

रेलवे पे कमिशन (रेलवे वेतन आयोग) का नियम है कि कुछ क्लर्क्स हर साल अपग्रेड (उच्च पद पर) होंगे, लेकिन अफसरों को समय नहीं है कि वह इस तरफ ध्यान दे सकें । उनके पास इतना काम है कि वह उसको पूरा नहीं कर सकते । कई व्यक्तियों का १९५३ तक अपग्रेडिंग नहीं हो सका । बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद जवाब आता है कि "दि मैटर इज अन्डर कंसिडरेशन", (विषय पर विचार किया जा रहा है) यह सब आखिर कैसे दूर हो । यह कोई नहीं कहता कि रिग्रूपिंग खराब है और उसको बदल देना चाहिये, मैं इस मत का नहीं हूं कि रिग्रूपिंग न हो, लेकिन जोन्स (विभाग) कुछ अधिक बनाये जायें, जिसमें काम ठीक से चल सके ।

अब मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा । हम लोगों को जो नार्थ ईस्टर्न (पूर्वोत्तर) रेलवे वाले हैं इस रिग्रूपिंग से बड़ी हानि हो गई है । नार्थ (उत्तर) बिहार में जब रिग्रूपिंग नहीं हुआ था तो कुछ चीजें समय पर और जल्दी से मिल जाया करती थीं । आज यह देखते हैं कि नार्थ बिहार गंगा के उस पार होने के कारण ट्रान्सपोर्ट (परिवहन) की डिफिकल्टी (कठिनाई) है, लेकिन इसका इन्तजाम किया जा सकता है और इन्तजाम करने का तरीका भी है । पर इन उपायों को टेकल (काम में लाना) नहीं किया जाता है । हमारे यहां हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ के बाद मकान बनाने का जो सामान होता है वह कहीं नहीं मिलता । बरवाडीह में सामान का ट्रान्सपोर्ट होता है लेकिन बरवाडीह से हम लोगों के यहां तक या छपरा और गोरखपुर की तरफ वह नहीं भेजा जाता । लोगों को वहां पर जा कर

[पंडित डी० एन० तिवारी]

चीजों को लाना पड़ता है और उसमें उनको बहुत खर्च पड़ जाता है । हमको नार्थ बिहार में नावों से साउथ (दक्षिण) बिहार का सामान लाना पड़ता है, इसलिये उसकी कीमत दूनी हो जाती है । कम्पनी के जमाने में इन सब चीजों की सुविधा अधिक थी बनिस्वत आज के । मैं समझता हूं कि शायद लोग यह समझेंगे कि मैं ऐसी बातें कह रहा हूं जो मानने के लायक नहीं हैं, लेकिन कोई अफसर मेरे साथ चल कर वहां देख ले । मैं उनके सामने सब चीजों को साबित कर सकता हूं ।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार में रेलवे की तरफ से कोई सर्विस कमिशन (सेवा आयोग) नहीं है । इस तरफ ध्यान देने के लिये अफसरों को फुरसत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको समय मिलना चाहिये कि आप इस तरफ भी ध्यान दें । एक सर्विस कमिशन लखनऊ में है और एक कलकत्ता में है । बिहार के कैंडिडेट्स (उम्मीदवारों) को इंटरव्यू (मौखिक परीक्षा) करने के लिये जब चिट्ठी आती है तो उनका आने जाने में पचासों रुपया खर्च हो जाता है । कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो चिट्ठी आती है वह उन्हें उस समय मिलती है जब कि इंटरव्यूज़ हो चुकती हैं । इसके बारे में बिहार के संसद् सदस्यों ने लिख कर मिनिस्टर (मंत्री) साहब को भी एक चिट्ठी दी थी कि बिहार में एक सर्विस कमिशन होना चाहिये और बिहार एसेम्बली की ओर से एक सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव भी उनके पास आया था । लेकिन उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है । मैं मानता हूं कि मिनिस्टर साहब तो चाहते हैं कि वहां पर एक सर्विस कमिशन हो लेकिन जब वह कागजात नीचे जाते हैं तो नीचे वालों को फुरसत ही नहीं होती कि वह उस पर विचार कर सकें ।

अब मैं रेलवे के टाइम टेबुल (समय सारिणी) पर आता हूं । रेलवे के टाइम टेबुल के बारे में लोगों से सजेशन (सुझाव) मांगे जाते हैं और लोग सजेशन लिखकर भेजते भी हैं लेकिन अफसरों को टाइम (समय) ही नहीं मिलता कि वह उन सजेशंज पर विचार कर सकें । उनको उन सजेशंज को एग्जामिन (जांच) करने का समय ही नहीं मिलता है । ऐसे ऐसे सजेशन जो कि एक लेमैन भी समझता है कि वह ठीक हैं माने नहीं जाते हैं । वह सजेशन जो थोड़ी ही दूर के लिंक के बारे में दिये जाते हैं वह भी नहीं माने जाते हैं । इसका जो कारण मुझे दिखाई देता है वह यही है कि अफसरों को इनको एग्जामिन करने का समय ही नहीं मिलता है ।

इन सब कारणों से मैं आप से कहूंगा कि आप रिग्रूपिंग पर विचार करें और इस मामले को छोड़ न दें, इसको ड्रॉ अवे (छोड़ देना) न करें । मैं चाहता हूं कि आप ज़ोन बढ़ायें जिससे कि ओपरेटिव एफिशेंसी (संचालन क्षमता) और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशेंसी (प्रशासन क्षमता) बढ़ सके ।

श्री बी० मुनिस्वामी (तिंडीवनम्) : रेल व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण ने हमें किस प्रकार निराश किया है इस सम्बन्ध में मैं केवल एक या दो उदाहरण देना चाहता हूं ।

पुनर्वर्गीकरण किये जाने के बाद हमें कुछ एकरूपता की आशा थी परन्तु सत्य यह है कि एकरूपता नहीं हुई है । दक्षिण रेलवे को ही लीजिये । साउथ इन्डियन रेलवे, एम० ऐण्ड एस० एम० रेलवे और मैसूर रेलवे, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है । अभी भी यह रेलवे स्वतन्त्र रूप से उसी प्रकार कार्य कर रही हैं जैसे पुनर्वर्गीकरण

से पहले करती थीं । कर्मचारियों में कोई एकरूपता नहीं है । जब इन भूतपूर्व रेलों का कोई पदाधिकारी किसी प्रशासी पद पर आता है तो वह वही नियम लागू करने की सोचता है जो उसकी रेलवे में थे । अधिक खलबली मच जाती है । रेलवे के हितों के लिये समिति का नियुक्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है ।

पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् रेलवे कर्मचारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान में बदली की जाती है । इससे वेतन की दो विभिन्न श्रेणियों के कारण असन्तोष उत्पन्न होता है । साउथ इन्डियन रेलवे के एक भूतपूर्व कर्मचारी को, एम० एस० एम० रेलवे के एक भूतपूर्व कर्मचारी से विभिन्न वेतन दिया जाता है । यहां तक कि केन्द्रीय वेतन आयोग के कुछ वेतन नियमों के कारण स्वच्छता निरीक्षकों (सैनीटरी इन्सपैक्टर) के वेतन में भी अन्तर है । इसलिये मेरे विचार में संसद् सदस्यों और जनता के सदस्यों की एक मिली जुली समिति नियुक्त करने का यही उपयुक्त अवसर है ।

पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् इंजनों का जहां तक सम्बन्ध है, जिम्मेदारी किसी दूसरे के कन्धों पर डालना एक आम बात हो गई है । दक्षिण रेलवे में इंजनों की स्थिति बहुत ही निराशाजनक हो गई है । कोई भी उन्हें देखने में दिलचस्पी नहीं लेता । जब डी० एम० ई० और ए० एम० ई० के पास बात पहुंचाई गई तो उन्होंने शिकायतों को ग़लत बताया और कहा कि इंजन बिल्कुल ठीक हैं । ड्राइवरों ने इंजीनियरों को तारों पर तार भेजे कि इंजन उछल रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : रेलवे मंत्री के समक्ष उछलिये ।

श्री बी० मुनिस्वामी : अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि कार्यक्षमता में सुधार के लिये समिति नियुक्त करने की आवश्यकता है ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सीधी) : यह जो प्रस्ताव राजाराम शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह वस्तुतः आज के समय की पुकार है । रेलवे में जो भ्रष्टाचार देखा जा रहा है और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि रेलवे के अधिकारी उस पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, रेलवे का जो सामान बर्बाद हो रहा है, उसमें भी सुधार लाने की क्षमता उन में नहीं है उसका केवल यही कारण है कि रेलवेज़ को केवल छः ज़ोन (विभाग) में विभाजित कर दिया गया है । जितने भी माननीय सदस्यों ने आज अपने भाषण दिये हैं उन में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है और इसको माना भी है कि अगर ज़ोन को छः की बजाय ज्यादा ज़ोन में विभक्त कर दिया जाये तो सम्भवतः रेलवे की ताकत और रेलवे के अधिकारियों की शक्ति आज के मुकाबले में अधिक हो सकती है । भ्रष्टाचार समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी उसने इस बात पर जोर डाला था कि आज रेलवे में भ्रष्टाचार इसलिये है कि ज़ोन बहुत थोड़े हैं । अगर ६ से बढ़ाकर १२ मंडल कर दिये जायें तो रेलवे के अधिकारियों की निरीक्षण की शक्ति बहुत बढ़ जायेगी । आज एक अधिकारी को बहुत बड़े जोन का निरीक्षण करने पर अपनी शक्ति लगानी पड़ती है । इसलिये देख भाल अच्छी तरह से नहीं हो सकती । जब वही शक्ति वह एक छोटे मण्डल पर लगायेगा तो वह ज्यादा अच्छी देख भाल कर सकेगा, मुसाफिरों की तकलीफों को ज्यादा अच्छी तरह सुन सकेगा, व्यापारियों की दिक्कतों को ज्यादा अच्छी तरह दूर कर सकेगा । रेलवे की जो मशीनें हैं, इंजिन हैं उनको और जो चीज़ें बरबाद हो रही हैं उनको अच्छी तरह से देख भाल कर सकेगा । अगर १२ मण्डल बना दिये जायें तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है । एक जनरल मैनेजर से किसी

[श्री बी० डी० शास्त्री]

सदस्य की बात हुई थी तो उसने बतलाया था कि अगर ज़ोन छोटे कर दिये जायें तो क्षमता बढ़ जायेगी ।

जब ६ मण्डल बनने वाले थे उस समय व्यापारियों ने इसका बहुत विरोध किया था और कहा था कि इससे व्यापारियों को बहुत असुविधा होगी । और वही अब हो रहा है कि व्यापारी असुविधा से दुखी हैं । यदि और ज़ोन बढ़ा दिये जायें तो उनकी यह असुविधा दूर हो सकती है ।

रेलवे की पुनर्गठन की जांच समिति ने पांच वर्षों तक पुनर्गठन के स्थगित करने की जो सिफारिश की है और उसमें पुनर्गठन के जो कारण दिये हैं वे बहुत मौजूं नहीं मालूम देते । इसमें अमरीका के एक उच्च रेलवे अधिकारी श्री एन० डी० वेलेंटाइन का सहयोग नहीं प्राप्त किया जा सका । उनकी अमरीका की रेलवेज़ में बड़ी धाक है । हमको ऐसे उच्च अधिकारी का सहयोग अपेक्षित था । उनके जैसा और कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं मिल सका जो कि उचित कारणों पर प्रकाश डालता । लिहाजा जो कारण उस समिति ने दिये हैं वे बहुत मौजूं नहीं हैं ।

आज हमारे देश में कुल ३४४०६ मील की रेलवे लाइने हैं । आगामी पंचवर्षीय योजना में अन्दाजा है कि चार या पांच हजार मील लम्बी लाइनें और बढ़ जायेंगी । इस तरह से हमारे देश में करीब ३८ हजार मील लम्बी रेलवे लाइनें हो जायेंगी । अब अगर इतनी लम्बी रेलवे लाइनों का हम पांच सात जोन्स में बंटवारा करेंगे तो हमको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा । उस हालत में एक जोन ६ से ७ हजार मील का लम्बा होगा और फिर वही दुरवस्था रहेगी जिसके कारण आज भी रेलवेज में रोना पड़ रहा है । रूस में दो हजार मील तक के अधिकतम जोन बनाये गये हैं । उनकी जो सीमा निश्चित की गई है वह २००० मील से ज्यादा नहीं है । रूस में कुल रेलवे लाइन ७५ हजार मील लम्बी है और उसमें ४१ मण्डल हैं । यह ७५ हजार मील लम्बी रेलवे लाइन ४१ मण्डलों में विभाजित की गई है ।

एकवर्थ कमीशन (आयोग) के सामने गवाही देते हुये रेलवे के एक विशेषज्ञ, श्री हिंडले ने कहा था कि किसी भी दशा में ५००० मील से ज्यादा का एक मण्डल नहीं होना चाहिये । उन्होंने कहा था कि चाहे कोई अफसर कितना भी कुशल क्यों न हो उसके लिये यह असम्भव होगा कि वह ५००० मील से ज्यादा बड़े मण्डल का ठीक से नियंत्रण कर सके ।

एक माननीय सदस्य : तीन हजार ।

श्री बी० डी० शास्त्री : आपने बतलाया कि ३००० । तो इतना ही होगा । आज हमारी मध्य रेलवे ५६ हजार मील से ऊपर है, और इसी तरह से दूसरी रेलवेज हैं । सभी मण्डल काफी बड़े हैं और इसीलिये उन के काम में उतनी क्षमता नहीं है ।

इंगलैंड रेलवे का जनक है । उसने ही सब से पहले रेलवेज़ का आविष्कार किया था । पहले वह भी बड़े जोनों के पक्ष में था । लेकिन अब उसने भी अपने यहां छोटे छोटे जोन बनाये हैं और वह यह मानने लगा है कि जितना एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा छोटा होगा उतना ही निरीक्षण ज्यादा अच्छा होगा । फ्रांस में भी यही बात है । इसी तरह से जरमनी और अमरीका में भी यही बात है । इसी तरह से यदि यहां भी छोटे छोटे जोन बनाये जायें तो हमारे रेलवे विभाग की कार्यक्षमता में बहुत वृद्धि हो सकती है ।

मेरे ख्याल से दक्षिण में तीन जोन बनाये जा सकते हैं । सन् ५१ के पूर्व, जब कि दक्षिणी रेलवेज़ का पुनर्गठन किया गया था, दक्षिण

में ११ रेलवेज़ थीं जो १५०० मील के हेर फेर में थीं और शेष ९ रेलें ५५ से ८८३ मील लम्बी थी। यह जो बड़े मंडल बने हैं ये दुखदायी साबित हो रहे हैं। क्षमता विभाग ने भी इस विषय में अपनी सिफारिशें दी हैं जो कि गोपनीय रखी गई हैं। लेकिन अन्दाजा है कि उसने भी ९ या १० मण्डलों की सिफारिश की थी। दक्षिण में हम पुरानी साउथ इण्डियन रेलवे का एक मण्डल बना सकते हैं। उसकी लम्बाई २३४९ मील है और उसकी आमदनी १७ करोड़ है। आगामी पंचवर्षीय योजना में सन् १९६१ तक उसकी लम्बाई ३००० मील हो जायेगी और उसकी आमदनी २३ करोड़ हो जायेगी। दूसरा मण्डल पुराना मद्रास सदर्न मरहठा रेलवे लाइन का बनाया जा सकता है जिसकी लम्बाई शायद २९३८ मील है और आमदनी सवा बाईस करोड़ है। आगामी पंचवर्षीय योजना में यह लाइन ३२५० मील लम्बी हो जायेगी और इसकी आमदनी २७ करोड़ हो जायेगी। तीसरा मण्डल पुरानी निजाम रेलवे का बनाया जा सकता है जो कि अभी १४३२ मील लम्बी है और जिसकी आमदनी ७ करोड़ है। अगली पंचवर्षीय योजना में यह लाइन १८०० मील लम्बी हो जायेगी और इसकी आमदनी १२ करोड़ हो जायेगी। ये तीनों मण्डल क्रमशः अपने कारखाने गोल्डन रोक, पैराम्बूर और सिकन्दराबाद में बना सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत में मध्य भारत को साथ ले कर ६ या ७ मण्डल बनाये जायें। दो मण्डल पश्चिम में बनाये जा सकते हैं और एक या दो मण्डल पूर्वी भाग में भी बनाये जा सकते हैं। इस तरह से कुल १२ या १३ मण्डल होते हैं। अगर हम अपनी रेलवेज़ को १२ या १३ मण्डलों में विभाजित कर दें तो इसमें कोई शक नहीं कि शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जायेगी, और जो खामियां आज दिखाई देती हैं उनको दूर किया जा सकेगा।

श्री एल० बी० शास्त्री : चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव रखा गया है मुझे उस प्रस्ताव को रखने वाले के विचार के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी है और जिन मेम्बरों ने इस बात पर जोर दिया है कि रिग्रूपिंग (पुनर्गठन) पर फिर से विचार होना चाहिये मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि गवर्नमेंट रिग्रूपिंग के सवाल पर विचार ही नहीं करना चाहती। हम गौर करना चाहते हैं, हम विचार करना चाहते हैं। मैंने हमेशा यह कहा है कि रिग्रूपिंग के सवाल पर मैं ने कभी अपना दिमाग बन्द नहीं किया और अभी हाल में आपने देखा कि ईस्टर्न रेलवे को हमने दो लवेज़ में बांटा, ईस्टर्न रेलवेज (पूर्वी रेलवे) और साउथ ईस्टर्न रेलवे (दक्षिण पूर्वी रेलवे)। पिछली बार भी जब श्री मुखर्जी ने यहां आध घंटे की डिबेट (वादविवाद) रखी थी उस समय भी मैंने यह कहा था कि रिग्रूपिंग के सवाल पर हम विचार करने को तैयार हैं।

लेकिन हाउस को इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिये और मिस्टर एन्थनी ने जो स्टाफ (कर्मचारियों) के बारे में कहा कि रिग्रुपिंग ने स्टाफ के सवालों को बहुत बढ़ा दिया है, तो यही बात इस समय भी उन्हें सोचनी चाहिये कि आज रिग्रुपिंग नये सिरे से हम करें और सारी रेलवेज़ में तबदीली करें, परिवर्तन करें तो स्टाफ़ मैटर्स बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगे और समस्याओं की कोई कमी नहीं रहेगी।

हाल में ईस्टर्न रेलवे को हमें ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे इन दो डिवीज़नों में बांटना पड़ा और उस सिलसिले में स्टाफ़ के कुछ सवाल हमारे सामने पेश आये। बहुत थोड़े लोगों का, २, ३ हज़ार आदमियों

[श्री एल० बी० शास्त्री]

का मामला था, नार्थ ईस्टर्न रेलवे के दो हज़ार के करीब आदमियों का मामला था लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि उनका भी सवाल हल होना काफ़ी एक कठिन काम हो गया। ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासन सम्बधी) और दूसरे सवाल हमारे सामने आये। तो यह एक बात हमेशा ख्याल में रखनी चाहिये कि जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि एक कमेटी मुक़र्रर की जाये और रेलवेज़ का पुनर्संगठन हो, तो अभी तो आपने एक स्टेट्स रिआरगनाइज़ेशन कमिशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट को देखा है कि उसकी रिपोर्ट के कारण एक अजीब सी हालत मुल्क में पैदा हो गई है, तो यह जो आप सारी रेलवेज़ का पुनर्गठन करना चाहते हैं और उसके हेतु जो यह कमेटी बनेगी तो मैं आपसे कहता हूं कि रेलवे के प्लान (योजना) में, यह जो हमारा अगला पांच साल का प्लान है, उसका बहुत सारा काम बिगड़ जाने वाला है। आज नई नई रेलवे बनाने के मानी क्या हैं ? नई नई रेलवे बनाने के मानी होंगे नये नये हेडक्वार्टर्स (मुख्यालय) बनाना और लाखों रुपये हमारे इमारतों के बनाने में खर्च आयेंगे। इसके साथ ही हमारे हज़ारों स्टाफ़ (कर्मचारिवृन्द) के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बदलना पड़ेगा, उनके लिये क्वाटरों का इन्तज़ाम करने का मसला हमारे सामने पेश आयेगा क्योंकि कहीं पर हमारे स्टाफ के पास क्वार्टर हैं तो कहीं पर क्वार्टर्स नहीं हैं और जब हम क्वार्टर वाले स्टाफ़ को ऐसी जगह तबदील करते हैं जहां उनके लिये क्वार्टर मौजूद नहीं हैं तो क्वार्टर देने के वास्ते हमें इन्तजाम करना पड़ेगा और सैकड़ों और हजारों की तादाद में हमें क्वार्टर बनाने पड़ेंगे। इस तरह के और भी कितने ही सवाल हमारे सामने उस वक्त पेश आयेंगे। इसके अलावा स्टाफ़ की सीनियारिटी (वरिष्ठता) का भी सवाल हमारे सामने होगा और साथ ही जिस काम में वे अपनी मौजूदा जगह पर लगे हुये हैं वही काम दूसरे डिपार्टमेंट में वह करने को पा सकेंगे कि नहीं या उनको नये काम पर लगा दिया जायेगा। इतनी समस्यायें, इतने सारे सवालात एक साथ पैदा हो जायेंगे और सारा स्टाफ़ परेशानी में रहेगा और एक बेचैनी की हालत रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी हालत में हम अपने उस दूसरे पंचवर्षीय प्लान (योजना) को जिस पर कि हमने बहुत ज़ोर दिया है ठीक से चला सकेंगे अगर जो लोग उसको चलाने वाले हैं, उनके दिमाग में शान्ति न हो और उनकी शिकायतें हों ? इसलिये मैं चाहता हूं कि आप जब इस तरह का प्रस्ताव करते हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिये कि इसका आखिर नतीजा क्या होगा। मैं ऐसा बिलकुल किसी विरोध के ख़याल से नहीं कहता लेकिन आपको यह देखना चाहिये कि आया इस काम को आज इस मौके पर करने से फायदा ज्यादा होगा या उससे नुकसान होनेका डर है।

दूसरी बात यह है कि रिग्रुपिंग की बात महज़ एक बिना पर करना कि चूंकि करप्शन (भ्रष्टाचार) ज्यादा बढ़ गया है, मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता। ऐंटी करप्शन इनक्वायरी कमेटी (भ्रष्टाचार विरोधी पूछताछ समिति) ने एक माने में इस सवाल पर अपनी राय दी और ठीक दी लेकिन मैं समझता हूं कि करप्शन का रिग्रुपिंग के साथ बहुत नज़दीक का सम्बन्ध नहीं है। रिग्रुपिंग का काम की अच्छाई पर असर तो हो सकता है लेकिन यह कहना कि रिग्रुपिंग ठीक न होने के कारण करप्शन ज्यादा बढ़ गया है, मैं ठीक नहीं समझता, कुछ हद तक तो उनकी यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रिग्रुपिंग से पहले करप्शन नहीं था ? अगर करप्शन रेलवे में है या था तो वह पहले भी था जब कि रिग्रुपिंग नहीं हुई थी और अब भी मौजूद है, साथ ही यह भी कहना कि पहले करप्शन का औसत कम था, अब बढ़ गया है, ठीक नहीं है, करप्शन का प्रतिशत ऐसे निकालना ठीक नहीं होगा। ऐंटी करप्शन इनक्वायरी कमेटी की सिफ़ा-

रिशों से जो उन्होंने सुझाई हैं, हम बहुत सारी सिफ़ारिशों से सहमत हैं, उनसे इत्तिफ़ाक करते हैं और हम उनको जल्दी से जल्दी अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसमें आम तौर पर तो मैं मानता हूं कि हमें हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिये और जाहिर है कि अगर रेलवे का काम बढ़ता जायेगा और विस्तार होता जायेगा तो हम नई रेलवे बनाने से इंकार नहीं करेंगे लेकिन आज यह कहना कि सिर्फ़ करप्शन के ख़याल से चूंकि वह अधिक है, इसलिये नई रेलवे और नये जोन्स बनायें, मेरी राय में यह बात ठीक नहीं लगती । करप्शन के सवाल को हर हालत में सुधारना पड़ेगा, उसे हमें हल करना होगा ।

दो, एक बातें श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहीं, मैं उनसे इंकार नहीं करता । जहां तक ख़र्च कम होने की बात है, यह बात भी मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत एक, दो रेलवे में रिग्रुपिंग करने के बाद कुछ कमी हुई है लेकिन वह नाम मात्र की है और वह भी दो ही तीन रेलवे में हुई है । लेकिन आम तौर पर मैं यह मानता हूं कि कोई ख़ास कमी जिसकी कि आशा की जाती थी, कि रिग्रुपिंग से होगी, नहीं हुई । यह कहना कि रिग्रुपिंग की वजह से अफ़सरों की तादाद बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, यह बात भी ठीक नहीं है । जो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर की बात कही, वह मैं मानता हूं, वह एक पोस्ट है जो रिग्रुपिंग के बाद बनाई गई है लेकिन मैं यह भी उन से कहना चाहता हूं कि अब भी साउथ ईस्टर्न रेलवे पर हमने कोई सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर नहीं रखा और मुमकिन है कि हमारा उस पर ऐसा विचार भी हो कि वहां पर सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर (वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक) का कोई कार्य नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि हम इसकी ख़ामख्वाह एक पोस्ट बना कर रक्खें । यह जो अफ़सरान की तादाद रेलवे में बढ़ी है वह कई कारणों से बढ़ी थी । इसी ज़माने में सारी स्टेट्स रेलवेज़ (राज्य रेलवे) इसमें मिली हैं और इनके मिलने से काफ़ी संख्या अफ़सरों की और दूसरे लोगों की रेलवे में आ गई है । यह भी ध्यान में रखना है कि रेलवे के बढ़ते हुये काम की वजह से भी स्टाफ़ और अफ़सरान में काफ़ी नम्बर बढ़ा है । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अभी अपने अफ़सरों और काम करने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी और उनकी तादाद हर साल बढ़ती ही जायेगी क्योंकि अगर रेलवेज़ का एक्सपेंशन होना है और वह होना ही है तो उसमें अगर हम अफ़सरान (अधिकारियों) और स्टाफ़ (कर्मचारिवृन्द) की संख्या न बढ़ायें तो जो हमारा काम बढ़ेगा उसको कौन करेगा । आपने देखा होगा कि हमने सेकेंड फाइव ईयर प्लान के सिलसिले में आज से भरती करना शुरू कर दिया है और लगभग ६० इंजीनियर्स हमने भर्ती किये हैं और हमें हाल ही में शायद ९० या १०० इंजीनियर्स तक भर्ती करने पड़ेंगे, बल्कि हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हमें भर्ती करने की आवश्यकता महसूस हो । जहां ज़रूरत आज इस बात की है कि हम अपनी संख्या बढ़ायें वहां आप यह न समझें कि मेरे दिमाग में यह बात नहीं है कि हमें एकोनोमी का ख़याल नहीं रखना है लेकिन आज उसकी तरफ़ ध्यान रखते हुये हमारे लिये यह ज़रूरी है कि हम काम की और विस्तार की तरफ़ ज्यादा ध्यान दें । अब ऐसी सूरत में यह ऐतराज करना कि साहब आप स्टाफ़ बढ़ा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं बैठता आपने यह बात भी कही कि आज अफ़सरान और जो उनके नीचे स्टाफ़ काम करता है उनके बीच में सम्पर्क नहीं है । आप जो यह बात कह रहे हैं, मेरी उससे हमदर्दी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे रेलवे के अफ़सरान और उनके साथ जो हमारे स्टाफ़ के दूसरे भाई, काम करने वाले हैं, उनके बीच में आपस में एक भाईचारे की भावना

[श्री एल० बी० शास्त्री]

होनी चाहिये, उन में सम्पर्क बना रहना चाहिये क्योंकि मैं स्वयं इस बात को बहुत मुनासिब नहीं समझता कि अफ़सरान कुछ अपने को अलग रख कर एक क़िले में अपने को बन्द रखें और दूसरे जो उनके साथ स्टाफ़ में काम करने वाले हैं, वे उनसे अलग रहें। मैं खुद इस अलगाव में विश्वास नहीं करता और मैं हमेशा इस बात पर ज़ोर देता आया हूं कि हमारे अफ़सरान और स्टाफ़ में सम्पर्क बढ़ना चाहिये। यह ठीक है कि जनरल मैनेजर और हेड्स आफ़ दी डिपार्टमेंट में अगर हम रेलवेज़ की ज़ोन छोटी कर दें तो उनका सम्पर्क हो सकता है। आज उनका सम्पर्क बहुत कम हो पाता है। छोटे छोटे जोन्स बनाने से ऊपर के लोगों का अर्थात् जनरल मैनेजर्स और हेड्स आफ़ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनका कुछ सम्पर्क तो ज़रूर हो जायेगा लेकिन जितना आप चाहते हैं कि वायुमण्डल में परिवर्तन हो और सचमुच कुछ सम्पर्क हो सके, मिलना जुलना हो सके, तो वह तो तभी होगा जब हमारी भावना बदले, अधिकारियों के अन्दर की मनोवृत्ति बदले, उनके अन्दर इस बात का विचार हो कि हमें लोगों के साथ मिल करके, उनसे बातचीत करके, उनकी मदद लेकर के काम करना है।

मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात बिल्कुल ठीक लगती है कि जल्दी से जल्दी हमको रेलवे को डिवीजनल पद्धति पर संगठित करना चाहिये, यानी उनका उस दृष्टि से पुनर्संगठन हो। आप जानते हैं कि कई रेलवे में रीजनल सिस्टम (प्रादेशिक पद्धतियां) हैं, डिवीजनल सिस्टम हैं, कुछ जगहों पर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम हैं। इनकी वजह से, मेरे ख्याल में, काफी दिक्कत पैदा होती है और रेलवेज में अलग अलग सिस्टम के काम करने से, खास तौर से रीजनल सिस्टम में, अफ़सरों का जो अन्तर्सम्बन्ध होना चाहिये, वह नहीं होता है। मिकैनिकल, सिविल और ट्रान्स्पोर्टेशन, सब के अलग अलग स्वतन्त्र आफ़िसर्स रहते हैं। अब हम यह कदम उठाना चाहते हैं कि जहां रीजनल सिस्टम है वहां हम एक आदमी को इंचार्ज कर दें जो कि रीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट (प्रादेशिक अधीक्षक) हो, या उसका और जो चाहे नाम रख लिया जाय। जैसे डिवीजन्स में एक डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट इंचार्ज होता है जो अन्तर्सम्बन्ध बनाये रखता है ट्रान्स्पोर्टेशन, मिकैनिकल और सिविल शाखाओं का। इस वक्त तो हम फौरन यह करने जा रहे हैं कि रीजनल सिस्टम का सुधार हो, लेकिन इससे मुझे सन्तोष नहीं। मैं यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी रेलवे में डिवीजनल संगठन कायम हो, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे में है। ईस्टर्न रेलवे में तो वह है ही, सेन्ट्रल रेलवे को भी हम पूरी तरह से डिवीजनल सिस्टम पर बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। इसकी स्कीम (योजना) तैयार हो रही है, शायद कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन बाद में हों। इसके लिये मकानों की जरूरत जरूर है, लेकिन हमने कहा है कि हम इसका बहुत ज्यादा इन्तजाम इस समय नहीं करेंगे। हम सिर्फ ऐसी इमारतें इस वक्त बनायेंगे जो कि दस, पन्द्रह साल काम दे जायें। उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ती जायेगी हम बनाते जायेंगे। इस तरह हम इमारतों पर रुपया ज्यादा खर्च न कर के रेलवेज को डिवीजिनल सिस्टम पर जल्दी से जल्दी ला सकेंगे। हमारा इरादा यही है कि हो सके तो हम इस काम को दो, तीन वर्षों में पूरा कर लें, हालांकि ठीक समय तो मैं नहीं बता सकता हूं।

इसी तरह से हम वैस्टर्न रेलवे, नार्थ ईस्टर्न रेलवे में और सदर्न रेलवे को भी डिवीजनल संगठन पर लाना चाहते हैं। सदर्न रेलवे में हम इस काम को जल्दी उठाना चाहते हैं और हमने सदर्न रेलवे से कहा है कि वह जल्दी से जल्दी अपने प्रस्ताव इस बारे में भेजे क्योंकि सदर्न रेलवे लम्बी रेलवे है, शायद छः हजार मील है, मैसूर और ट्रावनी

के रीजन्स बहुत बड़े हैं और दूर दूर हैं। हम चाहते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिये हम पहले मैसूर और हुगली डिवीजनों पर विचार करें और इस तरह से धीरे धीरे हम सारी सदर्न रेलवे को डिवीजनल संगठन में बदल दें।

रेलवे बोर्ड ने कहा है कि शायद यह सारा डिवीजनल संगठन जो हम नार्थ ईस्टर्न रेलवे में करना चाहते हैं वह १९५८-५९ तक पूरा होगा। लेकिन मेरी राय है कि इस को और जल्दी करना चाहिये। मुमकिन है कुछ टेकनिकल कठिनाइयां हों, लेकिन हम चाहते हैं कि १९५८-५९ से पहले ही इस रेलवे में डिवीजनल संगठन कायम किया जाय और डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट रख दिये जायें। वह करीब करीब जनरल मैनेजर ही होता है। जिस तरह से जनरल मैनेजर होता है उसी तरह से डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट भी जो कि एक छोटा जनरल मैनेजर होता है, काम करता है। वह वही काम करता है जो कि जनरल मैनेजर हेडक्वार्टर्स पर करता है।

मेरा आपसे कहना है कि यह जो डिवीजनल सिस्टम में तबादला होगा उससे अच्छे काम करने की योग्यता भी बढ़ेगी और काम में आसानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आगे चल कर रेलवे का विस्तार करना है, और जैसा मैंने कहा है कि पांच साल में हम पांच, छः हजार मील की डबलिंग और नई लाइनें बनाना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि काफ़ी काम बढ़ेगा, अगर ट्रैफिक ५०, ६० फी सदी बढ़ा तो उसका भी इन्तजाम करना पड़ेगा। अगर रेलवे के काम का बोझ बढ़ा तो उस हालत में डिवीजनल सिस्टम होने से नई रेलवेज के बनाने में आसानी होगी। डिवीजनों के बनने के बाद स्टाफ की जो एक बड़ी समस्या होती है वह भी कुछ कम हो जायेगी। अगर हम इस डिवीजनल संगठन को बना लें और उसके बाद हमें नई रेलवे बनानी पड़ें तो उसमें बहुत सुविधा हो जायेगी और इतनी कठिनाइयां नहीं पैदा होंगी।

आप कमेटी की बात कहते हैं, लेकिन हमने एक एफिशिएन्सी ब्यूरो भी बनाया है, रेलवे मिनिस्ट्री ने कायम किया है। इस एफिशिएन्सी ब्यूरो (कार्यक्षमता विभाग) की सदा जांच पड़ताल और देख भाल रहती है। उसने काफी अच्छा काम किया है वह इस बात को देखती है कि कहां पर ट्रैफिक और काम का बोझ बढ़ रहा है और वहां पर किस तरह का इन्तजाम होना चाहिये। तो अगर आप इस बात को रेलवे पर छोड़ दें तो मैं हाउस से यह बात कह सकता हूं कि रेलवे के खयाल से और देश के ख्याल से कोई नुकसान नहीं होगा और मैं हाउस कोइस के खिलाफ शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे हमने ईस्टर्न रेलवे को बांटा अगर हम को और रेलवेज में भी करना पड़ा तो हम पीछे रहने वाले नहीं हैं।

मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जहां तक एफिशिएन्सी वगैरह की बात है उस में जो आप ने आपरेशनल रेशो (संचालन अनुपात) की बात कही उस के बारे में इस समय कुछ कह सकना तो बड़ा मुशिकल है क्योंकि उस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। आपरेशनल एफिशिएन्सी तो देखने की बात है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि यह कहना कि रेलवे की एफिशिएन्सी कम हो गई है, यह ठीक बात है। हमारा जो सारा काम है वह ट्रान्सपोर्टेशन (परिवहन) का है और वह बराबर सुधरता जा रहा है। मैं आप को सिर्फ दो तीन आंकड़े बतलाना चाहता हूं। १९५४, १९५५ के नवम्बर के पहले दस दिन के जो आंकड़े मेरे पास आये वह तीन रेलवेज के थे ब्राड गेज और मीटर गेज (छोटी लाइन) दोनों के। सेन्ट्रल रेलवे में १३ परसेन्ट (प्रतिशत) बढ़ा तो ब्राड गेज

[श्री एल० बी० शास्त्री]

(बड़ी लाइन) में हुआ और १२ परसेन्ट मीटर गेज में हुआ। वेस्टर्न में १९५५ में २२ परसेन्ट ज्यादा हुआ, के अनुपात से १९५४। सदर्न रेलवे में ९ प्रतिशत ज्यादा हुआ ब्राड गेज में और ८ प्रतिशत मीटर गेज में। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे पर्फारमेन्स की एफिशिएन्सी का ताल्लुक है, उस में बराबर तरक्की होती जाती है। १ नवम्बर तक हम ने कोशिश की कि हम अपनी लाइनों की क्षमता बढ़ाने का काम करलें जिस में २० प्रतिशत हमारी शक्ति बढ़ जाय। वह काम हो रहे हैं और वह नवम्बर के अन्त तक पूरा हो जाने वाला है।

पिछली बार जब कि एक सवाल इस सदन में उठा था और मिस्टर मुकर्जी ने वह उठाया था उसमें मैंने कहा कि कलकत्ता आफिस में नार्थ ईस्टर्न रेलवे पर दूसरी रेलवेज के मुकाबले में बहुत कम काम हुआ है। नार्थ इस्टर्न रेलवे सब से इस में पीछे रही। मैंने कहा था कि मुझे अफसोस है कि यह ऐसा है। लेकिन मेरी इस बात पर स्टाफ ने बहुत ही ज्यादा विरोध किया और नाराज़गी का इजिहार किया। इस पर मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि नार्थ इस्टर्न रेलवे पर एक महीने में एक आदमी द्वारा औसत नम्बर जो केस पूरे किये गए, वह सिर्फ पांचै थे १९५४–५५ में। इस संख्या का अगर आप दूसरी रेलवे से मिलान करें तो नारदर्न में ९.५ थे ईस्टर्न पर जो कि उनके बगल में है ११.१, सदर्न पर १२.२ सैंट्रल पर १३.१ और १५.४ वेस्टर्न रेलवे पर। नार्थ ईस्टर्न रेलवे का स्टाफ कलकत्ता में विरोध और प्रदर्शन करने में आगे रहा है और इसका नतीजा यह निकलता रहा है कि काम पीछे पड़ता रहा है। आंकड़े हमारे सामने हैं। मैं इतना और भी बतलाना चाहता हूं कि अगर आप केवल नार्थ इस्टर्न रेलवे के कलकत्ता आफिस को ही लें तो वहां का औसत ६.९ का निकलता है और जब कि ईस्टर्न रेलवे का जो कि उनकी बगल में है ११.१ रहा है। तो यह एक स्थिति पैदा हो जाती है स्टाफ के बारे में जिस वक्त कि आप यह तमाम चर्चा रिग्रुपिंग वगैरह की करने लगते हैं।

मुझे आज सब से जरूरी जो चीज़ मालूम होती है वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना और उसका पूरा करना। मैं चाहता हूं कि चाहे वह प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) हो चाहे कोई दूसरा सब इस बात को अनुभव करें, कि आज के वक्त में रेलवेज की कितनी आवश्यकता है। जो १४८० करोड़ रुपये की बात हम ने कही है उसके बारे में अकसर लोग कहते हैं कि यह बढ़ा हुआ अनुमान है। मैं एन्थनी साहब से सहमत करता हूं कि यह बढ़ा हुआ नहीं है यह तो कमी की ओर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस बात को समझ लिया जाए कि अगर पूरे प्लान (योजना) ने रेलवे की वजह से या ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से नुकसान उठाया तो यह एक अफसोस की बात होगी। जैसा कि यहां पर इस हाउस में कहा गया और मैं भी उसे पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कि जिस बात की जरूरत है वह यह है कि ट्रांसपोर्ट (परिवहन) को अधिक से अधिक महत्व दिया जाय।

यह कहा जाता है कि बहुत पुराने इंजनों से काम लें, वैसे ही वैगन से काम लें और पुरानी लाइनें न बदलें। जब ऐसी बात होती है तो उसकी वजह से मैं यह देखता हूं कि कभी कभी हमारे प्लान में और रेलवे बोर्ड के काम में बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमिशन अपना विचार इस सम्बन्ध में निश्चय करे आखिर यह सब सवाल इस वक्त कैसे उठ सकते हैं। एक तरफ तो हम तेजी बढ़ाने की बात करते हैं, क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं और साथ ही यह कहते हैं कि प्लान बड़ा होना चाहिये और दूसरी तरफ रिग्रुपिंग के सवाल को अगर हम उठाते हैं तो यह ठीक मालूम नहीं देता। मेरा निवेदन है कि मेहरबानी कर के इस सवाल को इस वक्त आप न उठायें। जैसे जैसे जरूरत होगी

इस पर हम गौर करेंगे । मेरी दरख्वास्त है कि राजा राम जी, इस प्रस्ताव को वापस ले लें । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन वक्त को देखते हुये यही मुनासिब है कि इसे वापस ले लिया जाये क्योंकि इस सवाल को इस वक्त उठाने से न उनको फायदा होगा और न रेलवेज़ को ही फायदा होगा ।

श्री राजा राम शास्त्री : वास्तव में मेरे प्रस्ताव का खास उद्देश्य यह था कि समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाए इस प्रस्ताव का न सिर्फ विरोधी पक्ष की ओर से बल्कि कांग्रेस की ओर से भी समर्थन किया गया है । यह देख कर मुझे कुछ थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ है कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है । न सिर्फ इन्क्वायरी कमेटी (पूछताछ समिति) और उसके तमाम मेम्बरों ने बल्कि और जितने भी मेम्बरों के यहां पर भाषण हुये हैं उन्होंने भी इस प्रस्ताव का जो सिद्धान्त है उसका समर्थन किया है । मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि रिग्रुपिंग की तरफ उनका ध्यान है । मेरा उद्देश्य केवल यह था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता में कोई रुकावट न पड़े और रिग्रुपिंग की समस्या पर अगर एक्सपर्ट कमेटी विचार करे तो उससे इस प्लान को सफल बनाने में मदद मिल सकेगी । सभापतिजी, मंत्री जी के इन सब बातों के कहने के बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी फरके एक एक्सपर्ट कमेटी (विशेषज्ञ समिति) बनायें और उसके मेम्बरों पर भरोसा रखिये, उसकी सद्भावना पर विश्वास कीजिये । उनका उद्देश्य यह हर्गिज़ नहीं होगा कि रेलवे की व्यवस्था में गड़बड़ पड़ जाये और इससे आपको कोई हानि नहीं होगी । कमेटी न बना कर आप समस्या पर अकेले ही दिमाग लड़ायेंगे और मैं समझता हूं कि इससे कहीं बेहतर यह होगा कि ज्यादा लोग समस्या पर विचार करें और जो हल वह सुझायेंगे वह कहीं अच्छा होगा । इसलिये मैं अब भी कहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर जिद न करें जो कुछ मैंने कहा है उस को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें । मेरा पक्का विश्वास है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से किसी किस्म की रेलवे की व्यवस्था में अड़चन नहीं पड़ेगी । क्योंकि दूसरा प्रस्ताव पेश होने वाला है, इसलिये मैं और ज्यादा न कहते हुये इतना ही कहना चाहता हूं कि वह इसे जरूर स्वीकार करलें ।

श्री डी० सी० शर्मा : (होशयारपुर) आप इसे विदड्रा (वापस) नहीं करते ।

सभापति महोदय ने संकल्प मतदान के लिये प्रस्तुत किया और वह अस्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : सब से पहले मैं माननीय मंत्री जी और श्री राजा राम शास्त्री को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ज्यादा न बोल कर और दूसरे मेम्बरों ने जो कि इस प्रस्ताव पर जो कि अभी हाउस के सामने पेश था बोलना चाहते थे, न बोल कर मुझे यह मौका दिया कि मैं अपने प्रस्ताव को यहां पर पेश कर सकूं । इससे पूर्व कि मैं और कुछ कहूं मैं चाहता हूं कि पहले अपने प्रस्ताव को हाउस के सामने प्रस्तुत कर दूं । मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है

> "इस सभा की यह राय है कि सरकारी कारखानों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं के लिये योग्य और उपयुक्त व्यक्ति भर्ती करने के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (संघ लोक सेवा आयोग) की तरह एक औद्योगिक सेवा कमिशन स्थापित किया जावे ।"

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

यह प्रस्ताव जैसा कि इसके शब्दों में प्रकट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । हमारे देश में औद्योगीकरण की जो प्रगति हो रही है वह इतनी विशाल है और इतनी महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न पर ठंडे हो कर बैठे रहना और गड़बड़ी पड़ने का मौका देना उचित नहीं है । आज हमारे देश में राज्य सरकारों की ओर से जो कारखाने और उद्योग चलाये जा रहे हैं उन में दो हजार करोड़ से भी ज्यादा की रकम लगी हुई है और जब उन उद्योग धंधों की ओर हम देखते हैं वहां पर अव्यवस्था और गड़बड़ी ही पाते हैं और इसका एक मुख्य कारण लोगों में दक्षता की कमी है । यही कारण है कि प्रगति धीमी है । मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि जहां जहां भी कारखाने खुले हैं वहां बड़े बड़े स्कैंडल्ज़ (गड़बड़) होने की घटनायें हुई हैं । आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (हिन्दुस्तान भवन निर्माण कारखाना) किस तरह से शुरू हुई और उसका इन्तजाम समय समय पर बदलता गया और आज उसकी क्या अवस्था है । हमारे उत्पादन मंत्री जानते हैं कि उनको उस फैक्टरी को छोड़ कर मिनिस्ट्री आफ वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई (निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय) के सुपुर्द करना पड़ा है । आपको मालूम ही है कि अभी पिछली बार अम्बरनाथ मशीन टूल फैक्टरी के सम्बन्ध में ही यहां पर वाद विवाद हुआ था और वहां पर कितनी दुर्व्यवस्था रही और उत्पादन समय पर शुरू नहीं हो सका । बंगलौर में जो कारखाने खुले हैं और जिनमें टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ (टेलीफोन उद्योग) एक है वहां पर आपने देखा होगा कि मैनेजिंग डाइरेक्टर ने अपने रिश्तेदारों को रख कर गड़बड़ी पैदा की और काम की प्रगति में बाधा डाली । जो प्रस्ताव मैं ने पेश किया है उस पर बड़े ध्यान से गौर करने की आवश्यकता है और इसको मान कर सरकार का जो उद्देश्य उद्योग धंधों को चलाने का है वह पूरा हो सकता है । हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में उत्पादन बढ़े और कारखानों का इन्तजाम दक्ष लोगों के हाथों में हो । मैं पूछता हूं कि क्या कारण है कि आज जो सरकार उद्योग चलाती है वह सफल क्यों नहीं होते हैं और क्या कारण है कि उनके मुकाबले में निजी उद्योग धंधे सफलतापूर्वक चलते हैं । यह जो निजी उद्योग धंधों और सरकारी उद्योग धंधों में अन्तर है इसका क्या कारण है । यह निश्चित है कि हमारे उद्योगों में जो लोग रखे जाते हैं वह अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं और उनमें भ्रष्टाचारी व्यक्ति रख लिये जाते हैं । इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि हमारे उद्योग धंधों का नवीनीकरण हो और उन में दक्ष और योग्य व्यक्ति भरती किये जायें । यदि ऐसा नहीं होता है तो इन उद्योग धंधों का बहुत बुरा हाल होगा और हमारी सरकार को असफलता का सामना करना पड़ेगा ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार २८ नवम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६०१५-१६

*प्रत्येक विवरण के सामने दिखाये गये सत्र के दौरान, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा कार्यों पर सरकार द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सभा पटल पर रखे गये ।

(१)	अनुपूरक विवरण	संख्या २	लोकसभा १९५५ का दसवां सत्र
(२)	अनुपूरक विवरण	संख्या ८	लोकसभा, १९५५ का नवां सत्र
(३)	अनुपूरक विवरण	संख्या १२	लोकसभा, १९५४ का आठवां सत्र
(४)	अनुपूरक विवरण	संख्या १६	लोकसभा, १९५४ का सातवां सत्र
(५)	अनुपूरक विवरण	संख्या २२	लोकसभा, १९५४ का छठा सत्र
(६)	अनुपूरक विवरण	संख्या २७	लोकसभा, १९५३ का पांचवां सत्र
(७)	अनुपूरक विवरण	संख्या ३२	लोकसभा, १९५३ का चौथा सत्र
(८)	अनुपूरक विवरण	संख्या ३७	लोकसभा, १९५३ का तीसरा सत्र
(९)	अनुपूरक विवरण	संख्या ३५	लोकसभा, १९५२ का दूसरा सत्र
(१०)	अनुपूरक विवरण	संख्या ३३	लोकसभा, १९५२ का पहिला सत्र

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ६०१६-२१

कार्य मंत्रणा समिति का सताईसवां प्रतिवेदन निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया गया :—

(१) कि शुक्रवार, १६ दिसम्बर १९५५ के दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को स्थगित नहीं किया जायेगा ;

(२) कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन आयोग की चर्चा को दिये गये कुल ५४ घंटों में से ढाई घंटे की कमी को समय समय पर अध्यक्ष द्वारा घोषित दिनों में सभा की बैठक अधिक देर तक करके किया जायेगा ।

विधेयक पर विचार ०२२—६१०६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर खंड-वार अग्रेतर चर्चा जारी रही । खंड ६ से १२ स्वीकृत हुये । खंडवार विचार समाप्त नहीं हुआ ।

गैर सरकारी सदस्यों को विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत

उन्तालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत

गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिवेदन अस्वीकृत

श्री आर० आर० शास्त्री द्वारा १३ सितम्बर, १९५५ को रेलवे पुनर्वर्गीकरण के बारे में रखे गये संकल्प पर चर्चा हुई तथा संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा

श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प रखा गया तथा उनका भाषण असमाप्त रहा ।